पशुपालन विभाग,

मैनुअल

वर्ष 2016–17

उत्तराखण्ड राज्य

मुख्य पशु चिकित्साधिकारी,
हरिद्वार

सूचना का अधिकार

अधिनियम–2005 की धारा–4

17 मैनुअलो का संग्रह

भाग –1

संशोधित संस्करण 2016–17

मुख्य पशुचिकित्साधिकारी
पशुपालन विभाग जनपद,
हरिद्वार

जनपद–हरिद्वार का परिचय

जीवनदायिनी ,मोक्ष प्रदायिनी पतित पावनी मॉ गंगा नदी के दाहिने तट पर बसे हुए हरिद्वार को पुरातत्वविद् करीब पौने चार हजार साल पूर्व की मानव बस्ती के रूप में स्वीकार करते है । भौगोलिक दृष्टि से यह 29–58 उत्तरी अक्षांश तथा 78–10 पूर्वी देशाान्तर पर स्थित है । ईसा पूर्व 1200 से 1700 वर्ष के मध्य की गेरवे रंग की संस्कृति वाली सभ्यता के आबादी वाला क्षेत्र है । मॉ गंगा के उद्गम स्थल गोमुख,गंगोत्री से करीब 300 किलो मीटर नीचे समतल मे मॉ गंगा की धारा के किनारे में चर्चित गंगा द्वार के नाम से प्रख्यात यह नगर देव नदी मॉ गंगा के लिए प्रथम समतल भुमि प्रदान करता है।

शिवालिक पर्वत माला के छोर पर बिल्व पर्वत और नील पर्वत के मध्य लम्बाई में बसा यह छोटा सा खूबसुरत नगर अपनी प्राकृतिक सुशमा,मनोहारी गंगा तटो ,वहा होने वाली पूजा आरतियों के सुन्दर नयनाभिराम दृश्यों शिवालिक की वन और पहाडो वाली प्राकृतिक विरासतों मन्दिरो,आश्रमों और अखाडो के कारण यह प्राचीन काल से व्यापारी ,घुम्क्कड़ो ,तीर्थयात्रीयों और मॉ गंगा भक्तो को अपनी और आकर्षित करता है। जहॉ प्रत्येक 12 वें वर्ष कुम्भ तथा छठें वर्ष में अर्धकुम्भ के पवित्र स्नान होते है,जिसमें करोड़ो लोग स्नान कर पुण्य प्राप्त करतें है

उत्तरांचल राज्य के मुख्यालय से 69 किलोमीटर दूर पश्चिम की और 196000 हैक्टेअर विस्तृत भूभाग मै फैला हरिद्वार जनपद स्वंतत्र रूप से 28 दिसम्बर,1988 को अस्तित्व में आया । 04 जून,1986 को हरिद्वार के साथ लगभग सारा कुम्भ क्षेत्र जोड़ कर एक नये हरिद्वार विकास क्षेत्र का गठन किया गया तथा हद्विार विकास प्राधिकरण की स्थापना की गयी । नवसृजित जनपद हरिद्वार में रूडकी एंव हरिद्वार के साथ ही एक नई तहसील लक्सर का गठन भी किया गया।

जनपद हरिद्वार आज 1444213 की आबादी वाला ऐसा जिला बन गया है जहॉ लगभग हर प्रकार का खाद्यान प्रचुर मात्रा में उत्पन्न होता है ।गन्ना,आलु,तिलहन,मुगंफली,हरी सब्जियां तथा दुग्ध उत्पादन के जिले का आर्थिक आधार है। इसके अतिरिक्त धान,गेंहुॅ,हरहर,मटर,उडद,चना,आदि भी इस जनपद की मुख्य फसले है।

मॉ गंगा के तट पर बसा जनपद हरिद्वार का तीर्थो में महत्वपूर्ण स्थान है, जहॉ पर मांया देवी मन्दिर,चण्डीदेवी मन्दिर,मनसा देवी मन्दिर,दक्ष महादेव मन्दिर, गौरी शंकर मन्दिर,सती कुण्ड भूमानिकेतन,वैष्णेां देवी मन्दिर भारत माता मन्दिर,बिक्कलेश्वर महादेव मन्दिर,पिरान कलियर,भीमगोडा तालाब जैसे दर्शनीय स्थान है। हरकी पौडी का तो शास्त्रो में महत्वपूर्ण स्थान है। हर की पैडी पर प्रत्येक सायंकाल पतितपावनी मॉ गंगा की आरती के समय पर एक आलौकिक दृश्य प्रकट होता है जहां विश्व भर के लोग मॉ गंगा के इस रूप का दर्शन करने आते है और अपना जीवन धन्य मानते है।

जनपद हरिद्वार में पशुपालन विभाग का एक बड़ा योगदान है । जनपद में कुल पशुधन की संख्या 533768 है। जिसमें 148385 गौवंशीय तथा 268535 महिशवंशीय पशुओ की संख्या है। इसके अतिरिक्त जनपद में कुल 2270 भेड़ तथा 21265 बकरियां तथा 1675 घोड़े टट्टू आदि है। जनपद के 148385 गौवंशीय पशुओ में से 46031 पशु शंकर नस्ल के है । जनपद हरिद्वार में 16 पशुचिकित्सालय 2

,द,श्रेणी पशुचिकित्सालय तथा 38 पशु सेवा केन्द्र कार्यरत है । जिनका कार्य जनपद के समस्त पशुओ को चिकित्सा आदि सुविधा, एंव वैज्ञानिक ढगं से अपनाई जाने वाली कृत्रिम गर्भाधान, की सुविधा उपलब्ध कराना है।

'प्राक्कथन ''

सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अनुच्छेद धारा–4 के अन्तर्गत विभिन्न कार्यालयो, विभागो में अधिनियम की धारा–4 के अंतर्गत 17 अल्स बनाये जाने का प्राविधान है प्रत्येक मैनुअल में वर्गीकत सूचना उपलब्ध रहेगी, ताकि नागरिको द्वारा सूचना प्राप्त करने हेतु जब भी आवेदन किया जायेगा तो आधार भूत सूचनाएं इन मैनुअलो में ही उपलब्ध हो जायेगी, तथा शेष सूचनाओं के लिए अन्य श्रोतो का आश्रय लेना होगा ।

पशुपालन विभाग उत्तराखंड द्वारा अधिनियम की धारा–4 द्वारा निर्धारित 17 मैनुअलो के अंतर्गत विभिन्न विभागीय सूचनाओ का एक स्थान पर उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया है, विभाग के लिए जहॉ यह एक अभिनव एवं चुनौतीपूर्ण कार्य था, तब विभागीय मैनुअलो का अध्यावधिक रूप से व्यवस्थित करने की पुरानी परपंरा को पुनर्जीवित करने में सहभाग करने हेतु एक सुखद अनुभव भी था, इसी अवधारणा से इस कार्य को सम्पन्न किया गया है । 17 मैनुअलो को एक किताब के रूप में तैयार किया गया । जिसमें सभी मैनुअलो की विषय सूची किताब मे ही मैनुअलो के साथ लगी है । वर्तमान में जो मैनुअल का रूप उभर कर आया है वह एक प्रारम्भिक अवस्था है, तथा इसे निरन्तर अध्यावधिक किया जायेगा, इसके अतिरिक्त मैनुअलो को पूर्ण रूप से कम्प्यूटरीकृत कर वेबसाइट में भी उपलब्ध कराने की व्यवस्था करने हेतु सी0डी उपलब्ध कराई जा रही है ।

मुख्य पशुचिकित्साधिकारी
हरिद्वार

प्रस्तावना

1.1– पशुपालन विभाग का गठन पदो का विवरण पुनर्गठन सम्बन्धी सूचना :–

ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा वर्ष 1892 में सिविल वैटनरी विभाग की स्थापना की गई थी, जिसका उद्‌देश्य प्रदेश में अश्व उत्पादन को प्राथमिकता देना था । इसके अन्तर्गत बाबूगढ़ (मेरठ) में एक डिपो खोला गया, जहां सामान्य प्रबन्धक के साथ–साथ प्राथमिक चिकित्सा तथा अश्व प्रदशनी मेलों का आयोजन कराया जाता था । इसको प्रभावी बनाने हेतु वर्श 1901 में सात पशु चिकित्सालयों की स्थापना की गई ।

वर्ष 1899 में ग्लाईन्ड एण्ड फारसी तथा 1910 में पशुफार्म मझरा (लखीमपुर)एवं वर्श 1913 में माधुरीकुण्ड (मथुरा) में स्थापित किये गये पंजाब पशु चिकित्सालय महाविधालय, लाहौर में पशु सम्बन्धी प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई ।

वर्ष 1916 में पशुपालन कार्य को गति देने के लिए डिप्टी सुपरटेन्डेन्टो के अधीन रखकर तीन सर्किलो को बाटा गया तथा अधीनस्थ कर्मचारियों जिला परिषदों द्वारा उपलब्ध कराये गये डिस्टंक बोर्ड एक्ट 1922 के लागू होने पर कार्यो में आई समस्याओं के फलस्वरूप इसी वर्ष कैटिल ब्रीडिंग कार्य हेतु मझरा फार्म (खीरी) माधुरीकुण्ड फार्म(मथुरा)कृषि विभाग को सौंप दिये गये तांकि बैनीपुर (आगरा) व आटा (जालौन)क्वाराईन स्टेशन खोले गये । वर्ष 1933 में सब–सर्किलो को समाप्त करते हुए वर्ष 1935 में वैटनरी इनवेस्टीगेशन आफिसर नियुक्ति किये गये, पशुप्रजनन का कार्य कृषि विभाग द्वारा संतोषजनक न होने के कारण वर्ष 1939 में यह कार्य सिविल वैटनरी डिर्पाटमैंट को सौंप दिया गया इस प्रकार वर्श 1944तक धीरे–धीरे पशु सम्बन्धी कार्य सिविल वेटनरी डिपार्टमैंट को स्थानान्तरित कर दिये गये ।

1 अप्रेल,1944 में निदेशक पशु पालन विभाग की स्थापना की गई, जिसके द्वारा वर्ष 1946 तक सिविल वेटनरी डिपार्टमैंट के सभी कार्य निदेशक पशुपालन के नियंत्रण में ग्रहण कर लिए गये ।

पशुपालन निदेशालय स्थापित होने के पश्चात पशु,लघु पशु, मछली, कुक्कुट डेरी गौशाला, रोगनियत्रंण एवं बचाव कार्य हेतु विभिन्न पदों की स्थापना की गई व वर्ष 1945 में वैक्सीन एवं सीरम के निमार्ण हेतु बी0पी0सैक्सन एवं कषत्रिम गर्भाधान व बाझपन हेतु ऐनीमल जेनेटिस्ट की नियुक्ति की गई व वर्श 1946 में माधुरीकुण्ड(मथुरा) क्षेत्रीय पशुधन अनुसंधान केन्द्र खोला गया ।

वर्ष 1947 में पशु चिकित्सालय में नियंत्रण हेतु यू0पी0 प्रोविलाईजेशन आफ हास्पीटल एक्ट तथा वेटनरी प्रोकटशनर के पंजीकरण हेतु यू.पी.वेटनरी कौन्सिल एक्ट पारित किये गये ।

वर्ष 1953 में गौ–संवर्धन इनक्वायरी कमेटी का गठन किया गया जिसके फलस्वरूप उत्तर प्रदेश गो–बध निवारण अधिनियम 1955 अस्तित्व मे आया आने वाले समय की मांग को देखते हुए क्रमषः1947 व 1960 में पशु चिकित्सा विभाग व पशुपालन महाविधालय मथुरा एवं पंतनगर (नैनीताल) की स्थापना की गई, जिसके अन्तर्गत चार वर्षीय वी.वी.एस.सी. तथा दो वर्षीय एम.वी.एस.सी.पाठ्‌यक्रमों की शुरूआत हुई ।

वर्ष 1964 में यू.पी.लाईवस्टाक डेवलेपमैंट एक्ट यू.पी. गौशाला एक्ट पारित किये गये एवं इसके अतिरिक्त यू.पी. काऊ सैलैटर नियम बनाये गये ।

उत्तर प्रदेश लखनऊ में स्थित पशुपालन निदेशालय में सर्वप्रथम निदेशक की सहायता हेतु अपर निदेशक, उप निदेशक, मुख्यालय, लघु पशु (के.विलेज स्कीम) (रिण्डरपेस्ट) बनाये, इसके अतिरिक्त निम्न अनुभाग पशुधन अनुभाग,सामान्य अनुभाग, आडिट एवं लेखा स्थापना योजना, साख्यिकीय पशुधन एवं कृषि प्रक्षेत्र स्थापित किये गये । पशुधन विकास के अन्तर्गत नस्ल सुधार को ध्यान में रखते हुए स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार कालसी फार्म, देहरादून तथा चकगजरिया(लखनऊ) पर यह योजना चलाई गई एवं बुल रियरिंग फार्म (मथुरा) तथा आटा(जालौन) निदेशक के नियंत्रण में स्थापित किये गये । और ग्रामीण जनपदों को लाभ देने के लिए राजकीय पशुधन एवं कृषि प्रक्षेत्र पशुपालन विभाग के अन्तर्गत 14 प्रक्षेत्रों पर काम किया गया, जिसके उत्तरांचल राज्य में पशुपालन विभाग केन्द्रीय भेड़ एवं अनुसंधान केन्द्र, पशुलोक–ऋषिकेश एवं पशुधन एवं दुग्धशाला प्रक्षेत्र कालसी, देहरादून में स्थापित है

बेहतर प्रशासनिक एवं नियंत्रण हेतु एवं अनुश्रवण हेतु 9 सर्किलों में बाटा गया और प्रत्येक सर्किल में उप निदेशक कार्य देखने हेतु रखे गये । उत्तरांचल राज्य में दो सर्किल में मण्डल वर्तमान में कार्यरत है ।

1– अपर निदेशक, पशुपालन विभाग गढवाल मण्डल पौडी

2– अपर निदेशक, पशुपालन विभाग कुमांयू मण्डल नैनीताल

प्रत्यक जनपद में जिला पशुधन अधिकारी रखें गये थे जो अब उत्तराखण्ड राज्य में 13 जनपदों में मुख्य पशुचिकित्साधिकारी के रूप में कार्यरत है।

जिला पशुधन अधिकारी की स्थापना 1989 में हुई इससे पूर्व हरिद्वार जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश के अन्तगत था। जनपद की स्थापना का उदेश्य आने वाले निकटस्थ इलाकों को उन्नत नस्ज की मवेशी उपलब्ध कराना तथा जिले में श्वेत क्राति को देना विभाग द्वारा वर्तमान में महत्वपूर्ण चार चिन्हित कार्यक्रम– पशु चिकित्सा–2 बधियाकरण–3

टीकाकरण– कृत्रिम गर्भाधान चलाये जा रहे । इसके अतिरित पशुप्रर्दशनी , गोष्ठियां, वारा नीकिटस वितरण, चूवा वितरण का कार्य सम्पादित किया जाना है।

जनपद हरिद्वार के अर्न्तगत 16 पशुचिकित्सालय एवं 17 पशु सेवा केन्द्रो के अतिरिक्त अटल आदर्श ग्राम योजनार्न्तगत 19 पशु सेवा केन्द्र कार्यरत है। पशुचिकित्सालय बहादराबाद पर शल्य चिकित्सा केन्द्र स्थापित किया गया है तथा कुक्कुट प्रक्षेत्र की स्थापना की गयी है। जनपद में प्रत्येक विकास खण्ड में एक चारा बैंक की स्थापना भी की गयी है।

मुख्य पशुचिकित्साधिकारी,पशुपालन विभाग, हरिद्वार

सूचना के अधिकार सम्बन्धी मैनुअल की सूची–

क0स0	मद विवरण / मैनुअल	पृष्ठ संख्या
1	मैनुअल–1 संगठन की विशिष्टियां,कृत्यं एवं कर्तव्य	08–17
2	मैनुअल–2 अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियांएवं कर्तव्य	18–20
3	मैनुअल–3 विनिश्चय करने की प्रकिया मे पालन की जाने वाली प्रकिया जिसमे पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित है ।	21–24
4	मैनुअल–4 कर्तब्यो के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापमान	25–27
5	मैनुअल–5 अपने द्वारा या अपने नियंत्राणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किए गये नियम,विनियम, अनुदेश, निर्देषिका और अभिलेख	28–34
6	मैनुअल–6 ऐसे दस्तावेजो के जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन है, प्रवर्गो का विवरण	35–48
7	मैनुअल–7 किसी व्यवस्था की विशिष्टियां जो उसकी नीति की संरचना या उसके कियान्वयन के संबंध मे जनता के सदस्यों से परामर्ष के लिए या` द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान है ।	49–52
8	मैनुअल–8 ऐसे बोर्डो / परिशदों / समितियों एवं अन्य अधिकारियों का विवरण	53–60
9	मैनुअल–9 अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका	61–64
10	मैनुअल–10 प्रत्येक अधिकारी / कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक जिसमें उसके विनियमो में यथा उपलब्धि, प्रतिकर की प्रणाली सम्मिलित है ।	65–75
11	मैनुअल–11 सभी योजनाओ प्रस्तावित व्ययो और किये गये संविताणो रिर्पोट की विशिष्टियां उपदर्षित करते हुये अपने प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट	76–82
12	मैनुअल–12 सहायता कार्यक्रमों के कियान्वयन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमो के लाभार्थियो के ब्यौरे सम्मिलित है	83–86
13	मैनुअल–13 रियायत, अनुज्ञापत्रों तथा प्राधिकारों के प्राप्तिकर्त्ताओं के सम्बन्ध में विवरण	87–101
14	मैनुअल–14 इलैक्ट्रांनिक रूप में उपलब्ध सूचना	102–104
15	मैनुअल–15 सूचना प्राप्त करने के लिये नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण	105–106
16	मैनुअल–16 लोकसूचना अधिकारियो के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियां	107–111
17	मैनुअल–17 अन्य उपयोगी जानकारियां	112–117

मैनुअल–1

संगठन की विशिष्टयां कृत्य और कर्तव्य

क्रम सं0	विवरण	पेज नं0
1.1	पशु 'पालन विभाग का गठनः पदो का विवरणः पुनर्गठन सम्बन्धी सूचना	08–10
1.2	विभाग के कार्यकलाप	11–12
1.3	विभाग के कर्तव्यो/दायित्वो सम्बन्धी कार्यालय ज्ञाप	13–17

मुख्य पशुचिकित्साधिकारी हरिद्वार के कार्यालय के अन्तर्गत विभिन्न संस्थाओ में कार्यरत एवं स्वीकृत पदो का विवरणः–31.3.2017 तक की स्थिति

क्र0	लेखाशीर्ष/ योजना का नाम	कार्यरत संस्था का नाम	संस्था पर स्वीकृत/कार्यरत पदो की संख्या /पदनाम			
				स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1	निदेशन तथा	कार्यालय मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	01	01	0
2		कार्या0 मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	उप मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	01	01	0
3		कार्यालय मुख्य पशुचिकित्साधिकारी हरिद्वार	वरिष्ट प्रशासनिक अधिकारी	01	01	0
4		कार्यालय मुख्य पशुचिकित्साधिकारी हरिद्वार	प्रशासनिक अधिकारी	01	01	0
5		कार्यालय मुख्य पशुचिकित्साधिकारी हरिद्वार	आशु लिपिक	01	0	01
6		कार्यालय मुख्य पशुचिकित्साधिकारी हरिद्वार	मुख्य प्रसार अधिकारी	01	0	01
7		कार्यालय मुख्य पशुचिकित्साधिकारी हरिद्वार	प्रधान सहायक	01	01	0
8		कार्यालय मुख्य पशुचिकित्साधिकारी हरिद्वार	वरिष्ट सहायक	02	02	0
9		कार्यालय मुख्य पशुचिकित्साधिकारी हरिद्वार	कनिष्ट सहायक	02	04	0
10		कार्यालय मुख्य पशुचिकित्साधिकारी हरिद्वार	लेखाकार	01	01	0
11		कार्यालय मुख्य पशुचिकित्साधिकारी हरिद्वार	सहायक लेखाकार	01	0	01
11		कार्यलय मुख्य पशुचिकित्साधिकारी हरिद्वार	अपर/सहायक	02	03	0
12		कार्यलय मुख्यपशुचिकित्साधिकारी हरिद्वार	वाहन चालक	02	02	0
13		,,	अर्दली	01	01	0
14		,,	चपरासी	01	01	0
15		पशुचिकित्सालय हरिद्वार	पशुचिकित्साधिकारी ग्रेड 1	01	01	0
			चीफ वेटनरी फार्मेसिस्ट	02	02	0

			पशुधन सहायक	04	04	0
		पशुचिकित्सालय बहादराबाद	पशुचिकित्साधिकारी ग्रेड 1	01	01	0
16			वेटनरी फार्मेसिस्ट	01	01	0
			पशुधन प्रसार अधिकारी	01	01	0
			पशुधन सहायक	03	04	0
17		पशुचिकित्सालय बेंलडी	पशुचिकित्साधिकारी ग्रेड 2	01	01	0
			वेटनरी फार्मेसिस्ट	01	01	0
			पशुधन सहायक	01	02	0
18		पशुचिकित्सालय तेलीवाला	पशुचिकित्साधिकारी ग्रेड 2	01	01	0
			वेटनरी फार्मेसिस्ट	01	01	0
			पशुधन सहायक	02	02	0
19		पशुचिकित्सालय रूडकी	पशुचिकित्साधिकारी ग्रेड 1	01	01	0
			वेटनरी फार्मेसिस्ट	01	01	0
			पशुधन सहायक	02	03	0
20		पशुचिकित्सालय नारसन	पशुचिकित्साधिकारी ग्रेड 1	01	01	0
			वेटनरी फार्मेसिस्ट	01	01	0
			पशुधन सहायक	02	02	0
21		पशुचिकित्सालय सिकरोडा	पशुचिकित्साधिकारी ग्रेड 2	01	01	0
			वेटनरी फार्मेसिस्ट	01	01	0
			पशुधन सहायक	01	02	0
22		पशुचिकित्सालय मंगलौर	पशुचिकित्साधिकारी ग्रेड 2	01	01	0
			वेटनरी फार्मेसिस्ट	01	01	0
			पशुधन सहायक	02	02	0
23		पशुचिकित्सालय गोरधनपुर	पशुचिकित्सधिकारी ग्रेड 2	01	01	0
			वैटनरी फार्मेसिस्ट	01	01	0
			पशुधन सहायक	01	01	0
24		पशुचिकित्सालय लण्ढौरा	पशुचिकित्साधिकारी ग्रेड 2	01	01	0
			वेटनरी फार्मेसिस्ट	01	01	0
			पशुधन सहायक	01	02	0
25		पशुचिकित्सालय भगवानपुर	पशुचिकित्साधिकारी ग्रेड 1	01	01	0
			वेटनरी फार्मेसिस्ट	01	01	0
			पशुधन सहायक	02	03	0
26		पशुचिकित्सालय झबरेडा	पशुचिकित्साधिकारी ग्रेड 2	01	01	0
			वेटनरी फार्मेसिस्ट	01	01	0
			पशुधन सहायक	01	01	0
27		पशुचिकित्सालय खानपुर	पशुचिकित्सधिकारी ग्रेड1	01	01	0
			वेटनरी फार्मेसिस्ट	01	01	0
			पशुधन सहायक	02	01	01
28		पशुचिकित्सालय रायसी	पशुचिकित्साधिकारी ग्रेड 2	01	0	01
			वेटनरी फार्मेसिस्ट	01	01	0
			पशुधन सहायक	02	01	01
29		पशुचिकित्सालय लालढाग	पशुचिकित्साधिकारी ग्रेड 2	01	01	0
			वेटनरी फार्मेसिस्ट	01	01	0
			पत्रवाहक	02	02	0
30		पशुचिकित्सालय लक्सर	पशुचिकित्साधिकारी ग्रेड 1	01	01	0
			वेटनरी फार्मेसिस्ट	01	0	01
			पशुधन सहायक	02	02	0
31		सचल प0 चि0 बहादराबाद	पशुचिकित्साधिकारी ग्रेड 2	01	0	01

			वेटनरी फार्मेसिस्ट	01	01	0
			पशुधन सहायक	03	04	0
32		पशु सेवा केन्द्र श्यामपुर	पशुधन प्रसार अधिकारी	01	0	01
33		पशु सेवा केन्द्र ज्वालापुर	क्षेत्र प्रसार अधिकाारी	01	01	0
			ड्रेसर	01	0	01
34		पशु सेवा केन्द्र फेरूपुर	पशुधन प्रसार अधिकारी	01	01	0
35		पशु सेवा केन्द्र ऐथल	पशुधन प्रसार अधिकारी	01	01	0
36		पशु सेवा केन्द्र पथरी	पशुधन प्रसार अधिकारी	01	01	0
37		पशु सेवा केन्द्र दौलतपुर	पशुधन प्रसार अधिकारी	01	0	01
38		पशु सेवा केन्द्र अलावलपुर	पशुधन प्रसार अधिकारी	01	01	0
39		पशु सेवा केन्द्र मेवडकला	पशुधन प्रसार अधिकारी	01	01	0
40			ड्रेसर	01	0	01
41		पशु सेवा केन्द्र नन्हेडा	क्षेत्र प्रसार अधिकारी	01	01	0
42		पशु सेवा केन्द्र सुल्तानपुर	क्षेत्र प्रसार अधिकारी	01	01	0
43		पशु सेवा केन्द्र चन्द्रपुरी	क्षेत्र प्रसार अधिकारी	01	0	01
44		पशु सेवा केन्द्र निरंजनपुर	पशुधन प्रसार अधिकारी	01	01	0
45		पशु सेवा केन्द्र मानकपुर	पशुधन प्रसार अधिकारी	01	01	0
48		द क्षेणी प0चि0 चूडियाला	पशुधन प्रसार अधिकारी	01	0	01
49			ड्रेसर	01	0	01
50		द क्षेणी प0चि0 लखनौता	क्षेत्र प्रसार अधिकारी	01	01	0
51		पशु सेवा केन्द्र बुग्गावाला	पशुधन प्रसार अधिकारी	01	01	0
52		पशु सेवा केन्द्र हल्लूमाजरा	पशुधन प्रसार अधिकारी	01	01	0
53	अटल आदर्श ग्राम योजना	पशु सेवा केन्द्र मुण्डलाना	पशुधन प्रसार अधिकारी	01	01	0
54		पशु सेवा केन्द्र चोली शाहपुर	पशुधन प्रसार अधिकारी	01	01	0
55		पशु सेवा केन्द्र हबीबपुर नवादा	पशुधन प्रसार अधिकारी	01	0	01
56		पशु सेवा केन्द्र मानूबास	पशुधन प्रसार अधिकारी	01	0	01
57		पशु सेवा केन्द्र बादशाहपुर	पशुधन प्रसार अधिकारी	01	01	0
58		पशु सेवा केन्द्र सलेमपुर	पशुधन प्रसार अधिकारी	01	0	01
59		पशु सेवा केन्द्र भौरी	पशुधन प्रसार अधिकारी	01	0	01
60		पशु सेवा केन्द्र खाताखेडी	पशुधन प्रसार अधिकारी	01	01	0
61		पशु सेवा केन्द्र ढंढेरा	पशुधन प्रसार अधिकारी	01	0	01
62		पशु सेवा केन्द्र मोहम्मदपुरजट	पशुधन प्रसार अधिकारी	01	0	01
63		प0 से0 केन्द्र भिक्कमपुरजीतपुर	पशुधन प्रसार अधिकारी	01	0	01
64		पशु सेवा केन्द्र मो0पुर बुर्जर्ग	पशुधन प्रसार अधिकारी	01	0	01
65		पशु सेवा केन्द्र पोडोवाली	पशुधन प्रसार अधिकारी	01	0	01
66		पशु सेवा केन्द्र खेडीशिकोहपुर	पशुधन प्रसार अधिकारी	01	0	01
67		प0 से0 केन्द्र सिकंदरपुरभैंसवाल	पशुधन प्रसार अधिकारी	01	0	01
68		पशु सेवा केन्द्र लिब्बरहेडी	पशुधन प्रसार अधिकारी	01	0	01
69		पशु सेवा केन्द्र खंजरपुर	पशुधन प्रसार अधिकारी	01	0	01
70		पशु सेवा केन्द्र मुंडाखेडाकलां	पशुधन प्रसार अधिकारी	01	01	0
71		पशु सेवा केन्द्र तांशीपुर	पशुधन प्रसार अधिकारी	01	0	01
72		पशु सेवा केन्द्र गैडीखाता	पशुधन प्रसार अधिकारी	01	01	0

1.2– विभाग के कार्यकलाप :–

पशुपालन विभाग के भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की शतप्रतिशत आपूर्ति हेतु विभिन्न स्तरों पर उत्तरदायित्व का निर्धारणः–

कार्यक्रम का नाम– न्याय पंचायत स्तर

कार्य अधिकारी पशुधन प्रसार अधिकारी

1–कृत्रिम गर्भाधान–कृत्रिम गर्भाधान कार्य कराने के लक्ष्यों को शतप्रतिशत प्राप्त करने,उनका अनुसरण करना तथा संतति परीक्षण आदि का उत्तरदायित्व पशुधन प्रसार अधिकारी का होगा ।

2–उत्पन्न सतति 3–टीकाकरण

4–चिकित्सा 5–बधियाकरण

6–चारा विकास कार्यक्रम–

अ–चारा विकास कार्यक्रम का सघनीकरण एवं सघन विकास योजना(जिला योजना)–पशुधन प्रसार अधिकारी द्वारा कृषकों का चयन कर,पशु चिकित्साधिकारियों से प्राप्त बीज का कृषकों कों निशुल्क वितरण किया जाता है ।

ब–चारा मिनिकिट वितरण एवं प्रदर्शन–पशुधन प्रसार अधिकारियों द्वारा कृषकों का चयन कर प्राप्त मिनिकिटों कृषकों के यहां जाकर प्रदर्शन कराना प्रगति उपलब्ध कराना ।

पशुपालन विभाग के भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की शतप्रतिशत आपूर्ति हेतु विभिन्नस्तरों पर उत्तरदायित्व का निर्धारणः–

कार्यक्रम का नाम– विकास क्षेत्र स्तर

कार्य अधिकारी पशु चिकित्सा अधिकारी

1–कृत्रिम गर्भाधान–न्याय पंचायत स्तर हेतु समस्त आवश्यक निवेशों की सामयिक आपूर्ति कराना विकास क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले समस्त कार्यक्रमों के लक्ष्यों को शतप्रतिशत पूर्ति कराना,विभिन्न कार्यक्रमों में गुणात्मक सुधार लाने के लिए नियमित निरीक्षण एवं न्याय पंचायत स्तर/जिला स्तर के मध्य में समन्वय स्थापित करने का उत्तरदायित्व पशुचिकित्साधिकारी का होगा ।

2–उत्पन्न सतति तदैव

3–टीकाकरण –क्षेत्र के सभी पशुओं को रोग–निरोधक टीके लगाना बीमार पशुओं की

4–चिकित्सा चिकित्सातथा निकृष्ट सांडों का बधियाकरण का कार्य

5–बधियाकरण

6– चारा विकास कार्यक्रम–

अ–चारा विकास कार्यक्रम का सघनीकरण एवं सघन विकास योजना(जिला योजना) पशुचिकित्साधिकारी द्वारा विकास क्षेत्र हेतु सामयिक निवेशों को पशुधन प्रसार अधिकारियों को उपलब्ध कराना तथा अनुश्रवण ।

ब–चारा मिनिकिट वितरण एवं प्रदर्शन–पशु चिकित्साधिकारियों द्वारा मुख्य पशु चिकित्साधिकारी से प्राप्त मिनिकिटों को उपलब्ध कराना तथा चारा प्रदर्शनों का

निरीक्षण ।

पशुपालन विभाग के भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की शतप्रतिशत आपूर्ति हेतु विभिन्न स्तरों पर उत्तरदायित्व का निर्धारणः–

कार्यक्रम का नाम– जिला स्तर

कार्य अधिकारी – मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी

1–कृत्रिम गर्भाधान– जनपद के अंतर्गत आने वाली समस्त संस्थाओ के अंतर्गत कार्यरत कार्यक्रमो को सफल एवं लक्ष्यो की शत प्रतिशत पूर्ति कराने के लिए आवश्यक निवेशो की आपूर्ति कराना, वित्तीय आवश्यकताओ की पूर्ति, पर्याप्त मात्रा में धन की व्यवस्था करना विकास क्षेत्र स्तर पर आने वाली कठिनाइयो का त्वरित निस्तारण करना विकास क्षेत्र मंडल/प्रदेश स्तर पर समन्वय रखना/जनपद स्तर पर, विभिन्न कार्यक्रमो का अनुश्रवण एवं संस्थाओ का निरीक्षण आदि का उत्तरदायित्व मुख्य पशुचिकित्साधिकारी का होगा ।

2–उत्पन्न सतति तदैव

3–टीकाकरण तदैव क्षेत्र के सभी पशुओं को रोग–निरोधक टीके लगाना बीमार पशुओं की चिकित्सा तथा निकृष्ट सांडों बधियाकरण का कार्य

4–चिकित्सा तदैव

5–बधियाकरण तदैव

6–विभिन्न वैक्सीनों का उपयोग–जनपद में प्राप्त वैक्सीन का उपयोग समय से कराना तथा समय से मांग प्रस्तुत करने का दायित्व मुख्य पशुचिकित्साधिकारी का होगा ।

7–चारा विकास कार्यक्रम–
अ–चारा विकास कार्यक्रम का सघनीकरण एवं सघन विकास योजना(जिला योजना)– मुख्य पशुचिकित्साधिकारी द्वारा पशुचिकित्साधिकारियो को सामयिक निवेशों को उपलब्ध कराना, आवश्यक धन की व्यवस्था, कार्यो हेतु मार्ग दर्शन देना एवं निरीक्षण तथा अनुश्रवण पशुचिकित्साधिकारियो एवं मण्डल से समन्वय स्थापित करना,विकास हेतु नयी योजनायें बनाना एवं उपलब्ध कराना ।
ब–चारा मिनिकिट वितरण एवं प्रदर्शन–मुख्य पशु चिकित्साधिकारियों द्वारा नैशनल शीड कारपोरेशन रूद्रपुर उधमसिंह नगर से मिनीकिट प्राप्त कर पशुचिकित्साधिकारियों को उपलब्ध कराना । प्रर्दशनी का निरीक्षण /अनुश्रवण ।
8–विभागीय परिसम्पत्तियो ऐव भवनो का अनुश्रवण एव अवस्थापना सुविधाओ का विकास

1.3 मुख्य पशुचिकित्साधिकारी स्तर पर कार्य एवं कर्तव्य

1.जनपद स्तर पर पशुपालन हेतु योजना तैयार करना, कार्यान्वित करना और उनका परिवेक्षण करना
2.पशुचिकित्सालयो की स्थापना, रखरखाव व प्रबंधन करना ।
3.'द' श्रेणी पशुऔषधालयो व पशुसेवा केन्द्रो की स्थापना रखरखाव व प्रबंधन ।
4.कृत्रिम गर्भाधान तथा नैसर्गिक अभिजनन द्वारा स्थानीय पशुओ की नस्ल सुधार ।
5.डेयरी, व अन्य स्थानीय पशुओ की नस्ल सुधार हेतु कार्यक्रम चलाना ।
6.पशुओ के संक्रामक रोगो महामारी के बचाव हेतु समयबद्ध कार्यक्रमानुसार टीकाकरण अभियान चलाना महामारी का निवारण तथा नियंत्रण करना ।
7.संतुलित आहार व चारा घास क्षेत्रो का विकास ।
8.कृषको पशुपालको एवं अन्य उपभोक्ता समुदायो को प्रशिक्षण ।
9.विभागीय परिसंपत्तियो एवं भवनो का अनुश्रवण एवं अवस्थापना सुविधाओ का विकास ।

विकास खण्ड स्तर पर (पशुचिकित्साधिकारी) कार्य एवं कर्तव्य

विभाग द्वारा संचालित समस्त कार्यक्रमो का कार्यान्वयनः–
1.पशुचिकित्सा एवं संपादन का विकास ।
2.पशुओ एवं कुक्कुटो में महामारी व छूत के रोगो का निवारण एवं नियंत्रण ।
3.सघन पशु नस्ल सुधार कार्यकम कृ0ग0 की सुविधा पशुपालक के द्वार पर उपलब्ध कराना ।
4.चारा एवं घास उत्पादन के कार्यक्रमो का कार्यान्वयन परिसम्पत्तियो एवं भवनो का रखरखाव ।

पशुधन प्रसार अधिकारियो के कार्य एवं कर्तव्य

1.प्रारम्भिक पशुचिकित्सा एवं पशुसम्पदा का विकास /
2.पशुओ एवं कुक्कुट पक्षियो में महामारी एवं छूत के रोगो के निराकरण हेतु समयबद्ध कार्यक्रमानुसार टीकाकरण का सम्पादन ।
3.पशु नस्ल सुधार कार्यक्रम पशुपालक के द्वार पर जाकर कृ0ग0 तथा पशुगर्भित करना ।
4.चारा विकास कार्यक्रम का सघनीकरण हेतु चारा बीज व चारा मिनीकिट्स का प्रदर्शन तथा प्रोत्साहित करना
5.परिसम्पत्तियो एवं भवनो का रखरखाव ।

पशुधन प्रजनन की परिकल्पना

1.पशुपालन को प्रदेश में स्वरोजगार एवं अर्थव्यवस्था का एक मुख्य आधार बनाकर राज्य के सकल घरेलू उत्पादक (जी0डी0पी0) में वर्षद्धि करना ।
2.पशुपालको को उन्नत नस्ल एवं उत्तम गुणवत्ता के पशु उपलब्ध कराना ।
3.पशु नस्ल सुधार हेतु विभिन्न पशु प्रजनन विधाओ (ए0आई) के माध्यम से 2015 के अतं तक शत प्रतिशत प्रजनन योग्य पशुओ को संगठित पशुप्रजनन कार्यक्रम से आच्छादित करके पशुपालको के द्वार पर उपलब्ध कराना
4.दूध, अण्डा, कुक्कुट, मॉस एवं अन्य पशु जन्य योग्य पदार्थो के उत्पादन वृद्धि करके प्रति व्यक्ति आय मे बढोत्तरी करना

लक्ष्य एवं उद्देश्य

1.पशुपालन को प्रदेश में स्वरोजगार एवं अर्थव्यवस्था का एक मुख्य आधार बनाना ।
2.पशुओ के अनुवांशिक गुणो में वृद्धि करना तथा पशुधन की स्थानीय नस्लो को संरक्षित/सुरक्षित रखना
3–पशुओ के अनुवांशिक गुणो में बृद्वि करना तथा पशुधन की स्थानीय नस्लो को संरक्षित /सुरक्षित रखने के लिए पशुपालकों को प्रोत्साहित करना।
4–दूध अण्डा कुक्कुट मांस एंव अन्य पशुजन्य भोज्य पदार्थो के उत्पादन में बृद्विकरना तथा मानव आहार में पशुजन्य प्रोठीन की मात्रा मे बृद्वि करना ।
5–क्षेत्र में कृषि कार्य /भारवाहन हेतु पर्याप्त मात्रा में ह्यष्ट पुष्ट बेलो की नियमित आपूर्ति का सृजन सुनिश्चित करना ।
6–मैदानी क्षेत्रो में डेरी उधोग को प्रात्साहित करने के लिए उच्च दूध उत्पादन एवं शीघ्र परिपक्वता और उच्च जनन क्षमता से युक्त हाई बींड पशुओ की संख्या मे अभिबृद्वि करना एंव अच्छे नस्ल के सांडो का वीर्य उपलब्ध कराना ।
7–प्राइवेट सेक्टर सहकारिताओं तथा गैर सरकारी संगठनो को आवश्यक निवेशो तथा सेवाओ के लिए प्रोत्साहित करना ।
8–पशुओं के भरण पोषण उत्पादन में बृद्वि के लिए पशु आहार तथा चारा श्रोत्रो में बढोतरी करना तथा उनके लिए सस्ता पशु आहार विकसित करना ।

पशुधन प्रजनन

गौ एंव महिषवंशीय पशु

1–मैदानी क्षेत्रो में दूधारू पशुओ के लिए अज्ञात कुल के स्थानीय अवर्गीकष्त देशी गाय के प्रजनन हेतु एच0एफ0गौ साहिवाल एच0एफ0 ग सिन्धी का प्रस पर समागम कराकर विदेशी रक्त को 50प्रतिशत तक सिमित रखना
2–भैसो के लिए शुद्व मुर्रा नस्ल के साथ उन्नयन (अप ग्रेडिगं) किया जाना हैं।
3–ज्ञात कुल गौ वंशी देशी नस्लो (रेड सिन्धी ,सहिवाल शंकर) के लिए उसी नस्ल के शुद्व सांडो के वीर्य उपलब्ध कराकर इन प्रजातीयो का संरक्षण तथा संर्वधन सुनिश्चित करना ।
4–शंकर नस्ल की गायो को शकंर नस्ल के साडो के वीर्य से गर्भित कराकर विदेशी रक्त को 50 प्रतिशत सीमित रखना।

सुकर प्रजननः–

1–सुकर प्रजनन नीति के लिए चयनित विदेशी ब्रीड यार्कसायर/लार्ज वाइट याक शायर (दोनो प्रजातिया भारत में उपलब्ध है) के साथ नैसर्गिक अभिजनन द्वारा अब ग्रेडिगं किया जाना ।

कायलर कुक्कुट प्रजननः–

1–कॉमर्शियल हाईब्रीड पोल्ट्री का प्रजनन उघोग के लिए सर्वोत्तम है ,क्यो कि उनके पास इस हेतु उत्कृष्ठ संसाधन है । अतः कॉमशियल पोल्ट्री ब्रीडस का प्रजनन इस क्षेत्र में कार्यरत निजी संस्थाओ द्वारा किया जायेगा ।
2–घरेलु कुक्कुट पालन हेतु स्थानीय देशी ब्रीड और व्हाइट लेग हार्न जातियो द्वारा विकास करना ।

पशु पालन विभाग के अर्न्तगत ग्रामस्तर तक चलाये जा रहे कार्यक्रमों का विवरणः–

पशु चिकित्सा रोग नियत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत 16 पशु चिकित्सालयों ,2 द,श्रेणी पशु चिकित्सालयों तथा 38 पशु सेवा केन्द्रो के माध्यम से पशुओ के स्वास्थ्य एंव रोगो के नियत्रण हेतु विभिन्न सुविधायें उपलब्ध कराई जा रही है

अनुसूचित जाति एंव जनजाति हेतु स्वरोजगारपरक कुक्कुट /बछियापालन इकाई योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति एंव जनजाति के व्यक्तियों को स्वोरोजगार उपलब्ध कराने के उददेश्य से कुक्कुट पालन इकाईयो की स्थापना हेतु प्रति इकाइ र्रू 1800.00 की दर से चलाई जा रही है।

विभाग के कार्यकलाप

1–पशु चिकित्सा एंव रोग नियत्रण कार्यक्रम

पशुओं की उत्पादन क्षमता का समुचित लाभ प्राप्त करने के लिए उनको स्वस्थ रखना परम आवश्यक है। पशुओं के स्वास्थ्य सुरक्षा एंव रोग नियत्रण हेतु विभिन्न सुविधायें उपलब्ध कराने के उददेश्य से वर्तमान में 16 पशु चिकित्सालय ,02 द,श्रेणी पशु चिकित्सालय तथा 38 पशु सेवा केन्द्र कार्यरत है। पशु संक्रामक रोगो के नियत्रण की दशा में भी विभाग पुर्णतया सजग है। विभाग पशुओं की माहमारी की रोकथाम तथा उनकी सुरक्षा के लिए समय–समय पर गला घोटु लगड़िया एफ0एम0डी0,बी0क्यु आर0डी0 ,एस0एफ0,एफ0पी0 आदि रोगो के निवारण हेतु टीके लगाये जाते है।

पशु विकास कार्यक्रम

पशु विकास कार्यक्रम का मूल उददेश्य प्रदेश में उपलब्ध गाय एंव भैंसो की नस्ल सुधार कर उनकी उत्पादकता तथा उत्पादन क्षमता में तीब्र गति से बृद्वि करना है। इस उददेश्य की पुर्ति हेतु यु0एल0डी0बी0 की स्थापना केंन्द्र सरकार की शतप्रतिशत सहायता से जनपद देहरादून में की जा चुकी है जिसने जुलाई 2002 से कार्य प्रारम्भ कर दिया है वर्तमान में जनपद हरिद्वार को यु0एल0डी0 द्वारा तरल नत्रजन तथा गाय व भैंस का वीर्य उपलब्ध कराए जा रहा है।

विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का संक्षिप्त विवरण :–

उत्तराचंल राज्य के लोगो की आजीविका का एकमात्र साधन कृषि एंव पशुपालन व्यवसाय परम्परागत रूप से रहा है। पशुपालन कार्यक्रम का प्रसार एंव विस्तार करने हेतु पशुपालन विभाग हेतु समय–समय पर अनेक कार्यक्रम चलाये जाते रहे है। 2012 की पशुगणना के अनुसार जनपद में 444329 पशुओ एंव 89034 कुक्कुट पक्षियो को आवश्यक चिकित्सा प्रदान करने विभिन्न लोगो से बचाव हेतु टीकाकरण करने एंव नस्ल सुधार की सुविधा उपलब्ध कराने के उददेश्य विभाग द्वारा वर्तमान में निम्न योजनाऐ चलाई जा रही है।

अ– आयोजनागत –जिला सैक्टर योजनायें :–

1–पशु चिकित्सा हेतु दवा वैक्सीन/शिविरों का आयोंजन

इस योजना के अन्तर्गत जनपद में 16 पशुचिकित्सालयों ,2 द,श्रेणी पशु चिकित्सालय व 38 पशु सेवा केन्द्रो पर आवश्यक औषधियों ,उपकरणो की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए सामान्य योजना के अन्तर्गत 47.75 लाख स्पेशल योजना अन्तर्गत रू0 30.40 लाख की धनराशि व्यय की गयी है। वर्ष 2016–17 मे पशुओ की चिकित्सा व 7769 पशुओ का बधियाकरण किया गया । वर्ष 2016–17 में 317449 पशुओ का टीकाकरण किया गया है। दुग्ध विकास विभाग द्वारा स्थापित दुग्ध समितियों के मार्गो पर उपलब्ध पशुओ को चिकित्सा,टीकाकरण आदि की सुविधा पशुपालक के द्वार पर उपलब्ध करायी गयी।

2– वर्तमान कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रो का सुट्टढीकरण एवं स्थापना –

पशु नस्ल सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत कृत्रिम रूप से पशुओं को गर्भित करने हेतु कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रो के माध्यम से पशुपालको को उनके दुधारू प्रजनन योग्य गौ एंव महिष वंशीय पशुओ में कृत्रिम रूप से प्रजनन की सुविधा उनके द्वार पर उपलब्ध कराई जा रही है। वित्तीय वर्ष 2016–17 से यह कार्य उत्तराखण्ड लाइवस्टाक डेवलेपमैन्ट बोर्ड द्वारा सम्पादत किया जा रहा है तथा जिला योजना से स्वीकृत धनराशि विभाग द्वारा बोर्ड को उपलब्ध कराई जा रही है। वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए सामान्य योजनान्तर्गत रू. 0.30 लाख स्पेशल योजनान्र्तगत रू0. 0.20 लाख की धनराशि व्यय की गई है। तथा 58604 पशुओ मे कृत्रिम गर्भाधान किया गया जिसके सापेक्ष 31449 संतति उत्पन हुई ।

3–ग्राम्य और प्रसार कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदर्शनियो का आयोजन – पशुपालन कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करने तथा पशुपालन के प्रति लोगो को प्रोत्साहित के लिए मेलो /पशु प्रर्दशनियों का आयोजन समय–समय पर किया जाता हैं।जनपद में प्रति पशु प्रदर्शनी रू 0.70 लाख की दर से वर्ष 2016–17 में रु0 2.10 लाख की धनराशि ब्यय की गई है ।

?4– चारा विकास कार्यक्रम का सघनीकरण एवं विकास :–

जनपद हरिद्वार में वित्तीय वर्ष 2016–17 में चारा विकास के अन्तर्गत सामान्य योजना के अन्तर्गत रू. लाख स्पेशल योजना अन्तर्गत रू. लाख कम्पो0 योजना अन्तर्गत धनराशि व्यय की गई है जिससे 158.40 कुन्तल बीज तथा 4787 चारा मिनीकिट वितरित किया गया ।

ब–आयोजनागत–राज्य सैक्टर योजनायें–

1–कृ0ग0 से उत्पन्न संतति बछिया को पुरूस्कृत करने की योजना में वर्ष 2016.17 में धनराशि आवंटित नही हुआ ।

2–पशु चिकित्सालय पर शल्य चिकित्सा योजना अन्तर्गत वर्ष 2016–17 में प्राप्त धनराशि 4.00 लाख का शतप्रतिशत उपभोग किया गया।

स–आयोजनागत –केन्द्र पोषित योजनायें–

1–पशु रोगो पर नियंत्रण हेतु राज्यो को सहायता (75 केन्द्र पोषित)–

पशुओं में होने वाली विभिन्न बीमारियों पर नियंत्रण हेतु भारत सरकार की 75 प्रतिशत सहायता के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 में **रू14.90 लाख** की धनराशि व्यय की गयी है।

1– राष्टीय /आर्थिक महत्व के पशु बीमारियों की रोकथाम हेतु पशु टीकाकरण (एफ0एम0डी0 एच0एस0,बी0क्यु0,आर0डी0 एस0एफ आदि) समयबद्व कार्यक्रम के अनुसार एक अभियान के रूप में पशुपालक के द्वार तक चलाया जाता ळें

क0स0	**पशुरोग का नाम**	**टीकाकरण की समय–सारणी**
1–	एफ0एम0डी0	अक्टूवर –दिसम्बर ,
2–	एच0एस0	मई ,जून
3–	बी0 क्यु0	मई –जून
4–	आर 0डी 0	दिसम्बर –जनबरी
5–	एस0 एफ 0	मई –जून
6–	–	–

पूंजीगत परिव्यय
पशु पालन विभाग की विभिन्न संस्थाओ के भवन निर्माण हेतु लाख में

क0सं0	**संस्था का नाम**	**स्वीकृत धनराशि**	**अवमुक्त धनराशि**
1	पशु चिकित्सालय बहादराबाद पर कुक्कुट शैड का निर्माण	9.05	10.00
2			
––	**योगः–**	**9.05**	**10.00**

आयोजनेत्तर योजनायें–

1–निदेशन तथा प्रशासन –

विभाग के सभी अवस्थापना केन्द्र जैसे पशु चिकित्सालय ,पशु सेवा केन्द्र में कार्यरत स्टाफ हेतु अधिष्ठान मदो में एंव विभिन्न योजनाओ मे व्यवस्था हेतु वर्ष 2016–17 में रू. **119.19 हजार** व्यय किया गया ।

परिशिष्ट–1 त्रिस्तरीय पचांयतो के कृत्य,दायित्व एंव भूमिका

1–राज्य स्तर :

1. पशुचिकित्सा सम्बन्धी नीति का निर्धारण ।
2. पशु सम्पदा जिसमें कुक्कुट,डेरी भी शामिल है के,विकास के सम्बन्ध में भावी योजना तैयार करना

अ.पशु औषधि,उपकरण व संयत्रे की पशुचिकित्सा संस्थाओं को उपलब्धता का अनुश्रवण सुनिश्चित करने के लिए नीति तैयार करना विनियमयन करना ।

ब. विभागीय कार्यकालापो के निष्पादन व अनुश्रवण हेतु आवश्यक मानव संशाधन की व्यवस्था,विनियमन व प्रशस्तर करना ।

3.नस्ल सुधार के सन्द्रर्भ में अनुसंधान करना व उसे प्रोन्नति करना ।

4. विस्तार कार्यक्रमों की प्रोन्नति,ऋण वितरण व अनुसंधान हेतु निजी क्षेत्र–गैर सरकारी एंजेन्सी और अनुसंधान की भागेदारी का प्रयास करना ।

5. पशुधन विकास के माध्यम से रोजगार सृजन व गरीबी उन्मूलन गतिविधियों को बढ़ावा व प्रोन्नत करना।

6.पशुधन उत्पादन,प्रसंस्करण व विपणन की स्थापना व विस्तार हेतु निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करना

7. पशुचिकित्सा शिक्षा एंव अनुसंधान हेतु संस्थाओ की स्थापना एंव प्रोन्नति करना ।

8. हड्डी,चर्म व अन्य पशु उत्पादो के उत्पादन व प्रसस्करण की प्रोन्नति करना ।

9. मासं,कुक्कुट,अण्डा,हड्डी तथा अन्य पशु उत्पादो के निर्यात को प्रोत्साहित करना ।

10. घास क्षेत्रो के विकास व पशु चारा एंव संतुलित पशु आहार उत्पादन के कार्यक्रमो की प्रोन्नति हेतु नीति निर्धारण करना 11. अन्तर्राष्ट्रीय एंजेसीयों व वित्तीय संस्थाओं के समुख वित्तीय सहायता हेतु परियोजनायें प्रस्तुत करना।

12. विभागीय भवनो तथा परिसम्पतियेां के रख रखाव के सम्बन्ध में धनराशि के आवंटन हेतु नीति निर्धारण ।

2.जिला पचांयत स्तरः–

1.जनपद हेतु पशुपालन हेतु योजना तैयार कराना । कार्यान्वित करना और उनका पर्यवेक्षण करना

2. पशुचिकित्सालयों की स्थापना रख रखाव एंव प्रवन्धन।
3. मध्य श्रेणी के पशुचिकित्सालयों व डिस्पेसरी की स्थापना रख रखाव एंव प्रवन्धन।
4. कृत्रिम गर्भाधान व अन्य साधनो से गौधन,कुक्कुट व अन्य पशुओं की नस्ल सुधार करना।
5. डेरी कुक्कुट व सुकर पालन के विकास को प्रोत्साति करना ।
6. पशुओं मे खुरपका मुहॅपका रोगो सहित संक्रामक रेागो महामारी का निवारण तथा नियत्रण ।
7. संतुलित आहार चारा व घास क्षेत्रो का विकास ।
8. कृषको,पशुपालको व अन्य उपभोगक्ता समुदायक का प्रशिक्षण ।
9. हडडी,चर्म व पशु उत्पादोओ के प्रसंस्करण हेतु केन्द्रो की स्थापना व उन्हे प्रोन्नत करना
10. नस्ल सुधार चारा व पशु आहार के कार्यक्रमो के नियोजन अनुसधान एंव विपणन हेतु नीजि क्षेत्रो कि संस्थाओ व गैरसरकारी एंजेसियो को सम्वत करना।
11. पशु नस्ल सुधार प्रक्षेत्रो के कार्याकलापो का पर्यवेक्षण तथा सांड व अन्य सुविधाये उपलब्ध कराना
12. बकरी भेड सूकर पालन प्रक्षेत्रो का विकास एंव प्रोन्नति ।
13. पशुपालन सम्बधी योजनाओ का प्रचार प्रसार करना।
14. जिला परिषद मे निहित परिसम्पतियों एवं भवनो का अनुरक्षण।

3. क्षेत्रीय पचांयत ंस्तर –

1. क्षेत्र पचांयतो को अभ्यर्पित समस्त कार्याक्रम का कार्यन्यवन ।
2. ग्राम पचांयतो का पर्यवेक्षण व जिला पचांयतो ंकी आख्या।
3. ग्राम पचायंत द्वारा संस्तुति स्तथल लाभार्थीयो को सामाग्री वितरण हेतु चयन ।
4. प्राकृतिक पशुपालन केन्द्रो का नियोजन तथा अनुश्रण ।

5. कार्यक्रमो का कार्यन्यवन यथा –

अ.पशुचिकित्सा व पशु सम्पदा के विकास, सेवाओ व स्टाकमेन केन्द्रो का रख रखाव व प्रवन्धन।

ब. पशुओ एंव कुक्कुट मे महामारी व छूत के रोगो का निवारण एंव नियत्रण ।

स. संघन पशु विकास कार्यक्रम ।

द. विकसीत चारा एंव घास के उत्पादन की प्रोन्नति ।

य. क्षेत्र पचायतो मे निहित परिसम्पतियों एवं भवनो का रख रखाव

3. ग्राम पचांयत स्तर

1. डेरी कुक्कुट व सूकर से सम्बन्धित पशुपालन कार्यक्रमों का कार्यन्यवन ।
2. पशु कुक्कुट तथा अन्य पशु सम्पदा के नस्ल सुधार कार्यक्रम ।

3. जनता के सहयोग से सार्वजनिक तराई क्षेत्रो का विकास एंव रख रखाव।
4. पशुओ में महामारी व छूतवा रोगो के निवारण एंव नियत्रण मे सहायता करना ।
5. पशु गृहो,सदनो की स्थापना तथा छूट्टा पशु के नियत्रण हेतु प्रयास करना ।
6. पशु कंकालो के एकत्रीकरण उपयोग हेतु केन्द्रो की स्थापना ।
7. ग्राम पचायतो मे निहित परिसम्पतियों एवं भवनो का रख रखाव ।
8. चारा विकास सार्वजनिक चारागाहो का रख रखाव तथा उसके दुरूपयोग का नियत्रण व बाधाओ का निवारण ।

परिशिष्ट–2

क0 स0	कार्यक्रम/योजना/स्कीम का नाम	कार्यक्रम/संस्था जो सौपी गयी	सम्बद्व कार्मिक
1	2	3	4
1	निदेशन एंव प्रशासन		
	प्रशासनिक ढांचे का सुदृढीकरण	मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, कार्यालय जिला–पचांयत	पशुचिकित्साधिकारी
2	पशुचिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवायें		
	1–राष्ट्रीय महत्व तथा अन्य पशु रोगो की विधिवत नियन्त्रण की योजना (50 प्रतिशत केन्द्र पोषित)	मण्डल स्तर	
	2–पशु महामारी की निगरानी व उनकी रोकथाम हेतु ज्वलन्त कार्यक्रम की योजना (50 प्रतिशत केन्द्र पोषित)	निदेशालय एंव मण्डलीय स्तर पर	
	3–वेटनरी काउन्सिल ऐक्ट एंव कार्यालय की स्थापना (50 प्रतिशत केन्द्र पोषित)	प्रदेश स्तर	
	4–पशु रेाग अनुसंधान तथा निदान प्रयोगशालाओं के सुधार एंव विस्तार की योजना	मण्डलीय /जनपदीय स्तर	
	5–बी0पी0संस्थान का प्रसार एंव सुदृढीकरण	प्रान्तीय स्तर	
	6–पशुचिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवायें	पशुचिकित्सालय पशु सेवा केन्द्र,''द''श्रेणी औषधालय	पशुचिकित्साधिकारी,पशुधन प्रसार अधिकारी
	7–खुरपका,मुहपका रोग के उन्मुलन की योजना	खुरपका,मुहॅपका वैक्सीन	पशुचिकित्साधिकारी, पशुधन प्रसारअधिकारी पैरावेट/इन्सेमिनेटर
3	**गाय एंव भैंस विकास**		
	पशुचिकित्सालयों के बाहर के क्षेत्रो में सकंर प्रजनन तथा भैसो में अतिहिमीकृत वीर्य द्वारा प्रत्याभिजनन की योजना (राज्य सैक्टर)		
4	गाय,भैसो मे कृत्रिम गर्भाधान प्रजनन की सुविधा तथा बायफ संस्थान से प्रजनन सुविधा उपलब्ध करना (राज्य सैक्टर)	कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र कृत्रिम गर्भाधान उप केन्द्र नैसर्गिक अभिजनन केन्द्र	पशुचिकित्साधिकारी
5	गाय,भैसो मे कृत्रिम गर्भाधान प्रजनन की सुविधा तथा बायफ संस्थान से प्रजनन सुविधा उपलब्ध करना (जिला सैक्टर)		
6	राजकीय पशुधन एंव कृषि प्रक्षेत्रो की व्यवस्था (राज्य योजना)		
7	क्षेत्रीय पशुओं के विकास द्वारा ग्रामीण पशुपालको के आर्थिक उन्यनयन की योजना राजकीय सेल (राज्य योजना)	टीकाकरण व चिकित्सा	निदेशक
8	क्षेत्र के विकास की योजना (राज्य सैक्टर)	वुन्देलखण्ड का सर्वागीण विकास	उप निदेशक/मुख्य पशुचिकित्साधिकारी
9	राजकीय प्रक्षेत्रो पर पशुओ के उत्पादन एंव विभिन्न सुविधा उपलब्ध कराना (जिला सैक्टर)	उन्नतशील सांडो का क्रय एंव वितरण	मुख्यपशुचिकित्साधिकारी/पशुचिकित्साधिकारी
10	कुक्कुट विकास		
	राज्य में कुक्कुट हैचरीज की स्थापना (राज्य योजना)	कुक्कुट पक्षीयों /लेयर/ब्रायलर कुक्कुट चूजा का विक्रय	मुख्य तकनीकी अधिकारी,कुक्कुट/कुक्कुट प्रक्षेत्र प्रवन्धक

11	प्रादेशिक कुक्कुट काम्पलैक्स की स्थापना (राज्य सैक्टर)	लगु सीमान्त कृषको का कुक्कुट उत्पादन लेयर द्वारा स्वरोजगार का अवसर सुलभ कराना	मुख्यपशुचिकित्साधिकारी
12	कुक्कुट प्रक्षेत्र/ हैचरीज की स्थापना विकेन्द्रीत समन्वित कुक्कुट विकास (जिला सैक्टर)	व्यवसायिक लेयर/ब्रायलर चूजो का उत्पादन एंव विक्रय	मुख्य तकनीकी अधिकारी,कुक्कुट/कुक्कुट प्रवन्धक
13	सघन भेड़ विकास योजना एंव प्रक्षेत्रो की स्थापना	अशंदान पर मेढां वितरण अन्य	1.भेड़ पर्यवेक्षक
14	बकरी प्रजनन सुविधओ का विकास (जिला सैक्टर)	बकरी प्रक्षेत्र प्रजनन सुविधा अंशदान पर बकरी का वितरण उन्नतशील बकरी/बकरा सांड उत्पादन करके पशुपालको को वितरण करना	पशुचिकित्साधिकारी
15	सूकर विकास –		
16	सूकर प्रक्षेत्रो की स्थापना (जिला सैक्टर)	सूकर पालको को प्रशिक्षण करना	मुख्य पशुचिकित्साधिकारी
17	पशुधन विकास –		
18	पशुधन विकास कार्यक्रमो का प्रचार व प्रसार (राज्य सैक्टर)	राज्य स्तर	निदेशक
19	पशुधन विकास कार्यक्रमो का प्रचार व प्रसार (जिला सैक्टर)	पशुधन विकास सम्बन्धी पशुधन प्रदर्शनी,गोष्टी, प्रचार कैम्प आदि	पशुचिकित्साधिकारी
	पेक एनीमल्स के विकास की योजना व कार्यक्रम (राज्य सैक्टर)	राज्य स्तर	निदेशक
20	चारा विकास कार्यक्रम–		
	चारा विकास कार्यक्रमो का सघनीकरण (जिला सैक्टर)	1.चारा बीजो का वितरण 2. प्रमाणित बीजो को कृषको में वितरण एंव चारा उत्पादन हेतु प्रतिलक्षीत करना	पशुचिकित्साधिकारी/ पशुधन प्रसार अधिकारी
21	शोध एंव सांख्यिकीय –		
	पशुधन उत्पादन तथा प्रवन्धक सांख्यिकीय अध्ययन तथा शोध कार्या (राज्य सैक्टर) 50 प्रतिशत केन्द्र पोषित	राज्य स्तर	निदेशक

(मैनुअल–2)

अधिकारियों और कर्मचारियो की शक्तियॉ एवं कर्तव्य

विषय सूची

क्रम सं0	विवरण	पेज नं0 18–19
2.1	अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां एवं कर्तव्यों का विवरण	19–20

1 विभागीय अधिकारियों की शक्तियॉ एवं कर्तव्यों का विवरण–

प्रशासनिक अधिकार	मुख्यपशुचिकित्साधिकारी–वेतनमान रूपया 2550–3200 नियुक्ति अधिकार प्राप्त है इसके अतिरक्त वेतन आहरण, वार्षिक वेतनवृद्वि, समयमान वेतनमान स्वीकृत करना सभी प्रकार के अवकाश स्वीकृत करना प्रदत्त है । 2–जनपद के अन्तर्गत के पशु चिकित्साधिकारियों पर पूर्ण रूप में प्रशासनिक नियंत्रण तथा विभिन्न संस्थाओं का निरीक्षण एवं भौतिक सत्यापन तथा अन्य कार्य। 3–समूह–घ के कर्मचारियों का वार्षिक स्थानान्तरण का अधिकार ।
वित्तीय अधिकार	1–रूपया 50000 तक बिना कोटेशन प्राप्त किये राजकीय सामाग्री का क्रय 2–रूपया 100000 से 300000 तक सामाग्री का क्रय कोटेशन प्राप्त कर । 3–रूपया 300000से अधिक सामाग्री का क्रय टेण्डर आमात्रित कर, निदेशक/शासन की स्वीकृति के उपरान्त । 4–सामान्य भविष्य निधि आहरण का अधिकार अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों का 3 महिने के मूल वेतन के बराबर स्वीकृति का अधिकार
विविध अधिकार	1–उपनिदेशक/निदेशक/शासन स्तर पर सौपी गई जांच रिर्पोट का निश्पादन । 2–उच्च स्तर पर आयोजित बैठकों में भाग लेना एवं उनका अनुपालन सुनिश्चित करना । 3–क्षेत्र में फैले हुए बीमारियों पर प्रभावी रूप से नियंत्रण हेतु पशु चिकित्साधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी करना । 4–चारे दाने की समुचित व्यवस्था करवाना । 5–विभागीय कार्यो की संस्थावार समीक्षा एवं शतप्रतिशत पूर्ति सुनिश्चित करवाना। 6–20–सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत जिलाधिकारी महोदय द्वारा आंवटित लक्ष्यों के सापेक्ष भौतिक सत्यापन कार्य करना ।

अधिकारियो और कर्मचारियो की शक्तियॉ और कर्तव्य

विभाग के संचालन विभागीय कार्यक्रमों हेतु जनपद स्तर पर मुख्य पशु चिकित्साधिकारी तथा पशुचिकित्सालयों हेतु पशुचिकित्साधिकारी के पद सृजित है,तथा जनपद मुख्यालय एवं पशुचिकित्सालयों के लिये सृजित पदों के पद धारकों के अधिकार एवं कर्तब्य निम्नवत् है ।

1–मुख्य पशु चिकित्साधिकारी

मुख्य पशुचिकित्साधिकारी जनपद में संचालित हो रही विभिन्न विभागीय योजनाओं के कियान्वयन,संचालन हेतु उत्तरदायी होता है । मुख्य पशुचिकित्साधिकारी जनपद में कार्यरत समस्त कार्मिको पर प्रशासनिक एवं वित्तीय नियन्त्रण रखना है । विभागीय योजनाओ के संचालन के कियान्वयन हेतु शासन से आबंटित धनराशि का समय पर उपयोग सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व भी मुख्य पशुचिकित्साधिकारी का है व विभागीय संस्थाओ का सामयिक निरीक्षण व अभिलेखों का उचित रखरखाव भी करना है ।

2–पशुचिकित्साधिकारी

पशुचिकित्साधिकारी का मुख्य कार्य क्षेत्रान्तर्गत पशुनस्ल सुधार कार्यक्रम का प्रचार प्रसार करना,पशुचिकित्सालय क्षेत्रान्तर्गत संचालित योजनाओ का कियान्वयन अनुश्रवण करना,क्षेत्रान्तर्गत फेलने वाले रोगो की रोकथाम हेतु टीकाकरण करना साथ पशुचिकित्सालय क्षेत्रान्तर्गत कार्यरत कर्मचारियो पर प्रशासनिक नियन्त्रण रखना है । पशुचिकित्साधिकारियो का यह भी दायित्व होता है कि वह विभिन्न योजनाओ के अर्न्तगत क्रय किये जाने वाले पशुओ के स्वास्थ्य की जॉच कर उनके सम्बन्ध में स्वस्थता प्रमाण पत्र जारी करे,पशु वधशालाओ में वध किये जाने वाले पशुओं के स्वास्थ्य की जॉच करना भी पशुचिकित्साधिकारी के कर्तव्यों में आता है । पशुचिकित्सालय व पशुसेवा केन्द्रों के भण्डार के वार्शिक सत्यापन व अभिलेखो का रखरखाव करना ।

3–पशुधन प्रसार अधिकारी

पशुधन प्रसार अधिकारी का मुख्य कार्य क्षेत्रान्तर्गत पशु नस्ल सुधार ,टीकाकरण,चिकित्सा,बधियाकरण एवं चारा बीज वितरण का है । इसके अतिरिक्त क्षेत्र में विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओ का प्रचार–प्रसार कर पशुपालकों को विभागीय योजनाओ की जानकारी देते हुए उन्हें विभागीय योजनाओ के प्रति प्रेरित करना है । पशुधन प्रसार अधिकारी का यह भी कर्तव्य है कि वह क्षेत्र में फेलने वाले संक्रामक रोगो की रोकथाम हेतु समय–समय पर टीकाकरण करें और पशुओं में यदि कोई गम्भीर बीमारी फेली हो तो उससे उच्चाधिकारियो को अवगत करावें। पशुसेवा केन्द्र पर किये जाने वाले कार्यो की पंजिका का रखरखाव करना।

4–पशुचिकित्सा फार्मेसिस्ट

पशुचिकित्सा फार्मेसिस्ट का मुख्य कार्य पशुचिकित्सालय स्तर पर रखे जाने वाले अभिलेखों का रखरखाव,पशुपालकों को पशुचिकित्साधिकारी द्वारा बताये गये नुश्खे के अनुसार बीमार पशुओं के उपचार हेतु दवा वितरण,बीमार पशुओं की मरहम पटटी करना है।

5–ड्रैसर

पशुचिकित्सालय में आने वाले बीमार पशुओं की मरहम पटटी एवं बीमार पशुओं के उपचार में पशुचिकित्सक की सहायता करना ।

6–वाहन चालक

वाहन का रख रखाव करना ।

7–अनुसेवक

पशुचिकित्साधिकारी के निर्देषानुसार पशुचिकित्सालय में आने वाले बीमार पशु की देखरेख करना व पशुचिकित्सालय की व्यवस्था में सहयोग करना एवं प्शुचिकित्सालय की समुचित साफ सफाई करना।

8–अन्वेषक

जनपद स्तर पर विभिन्न योजनाओ से सम्बन्धित पशुधन ऑकडो का संकलन करना,पशुगणना सम्बन्धी ऑकडो का संकलन करना एवं अण्डा ,ऊन,दूध का अनुमान निकालना तथा संकलित सूचना को सक्षम उच्च अधिकारियों को प्रेषित करना है।

9–लिपिक वर्गीय कर्मचारी

जनपद स्तरीय कार्यालय में लिपिक वर्ग के विभिन्न पद स्वीकृत है जिन्हें पृथक–पृथक कार्य सौपा जाता है यथा प्रधान लिपिक का दायित्व गोपनीय पत्रों पर पत्राचार करना,वार्षिक प्रविष्टियों का रखरखाव करना एवं कार्यालय के अधीनस्थ कर्मचारियो पर नियन्त्रण करना,विभिन्न स्तरों से प्राप्त पत्रों को कार्यालयाध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत करना तथा कार्यालय के विभिन्न पटल सहायको से प्राप्त पत्रावलियो को परीक्षण के उपरान्त कार्यालयाध्यक्ष को प्रस्तुत करना है । कार्यालय के स्थापना लिपिक का कार्य अधिष्ठान में नियुक्त समस्त कर्मचारियो की सेवा पुस्तिकाओ का रखरखाव करना,व्यक्तिगत पत्रावलियो का रखरखाव करना,कर्मचारियो के सेवा सम्बन्धी समस्त प्रकरणो का निस्तारण करना है । कार्यालय के लेखाकार का कार्य शासन से आबंटित समस्त बजट का वित्तीय नियमों के परिपेक्ष्य में उपयोग सुनिश्चित करने हेतु कार्यालयाध्यक्ष को प्रस्ताव प्रस्तुत करना ,कार्यालय एवं क्षेत्रीय अधिकारियो/कर्मचारियो द्वारा समय–समय पर क्रय किये जाने वाले सामान से सम्बन्धित बिलो की जॉच करना,यात्रा भत्ता बिलो की जॉच करना एवं वित्तीय नियमों के परिपेक्ष्य में उनके आहरण की कार्यवाही करना है ।कार्यालय के कैशियर/भण्डारक का मुख्य दायित्व विभिन्न योजनाओ के अर्न्तगत आहरित धनराशि का भुगतान सम्बन्धितों को वित्तीय नियमों के अनुसार करना है तथा कार्यालय हेतु क्रय सामग्री से सम्बन्धित स्टोर आदि का रखरखाव ,एवं रोकड बही व स्टाक बुकों का रखरखाव एवं तत्सम्बन्धी कार्य करना है । कार्यालय में एक पत्र प्रेषण लिपिक होता है जिसका मुख्य कार्य विभिन्न स्तरो से प्राप्त होने वाली डाक को प्राप्त करना एवं प्रेषित की जाने वाली डाक का प्रेषण एवं एवं डाक टिकट पंजिका आदि का रखरखाव करना है । कार्यालय में एक बिल लिपिक होता है , जिसका मुख्य कार्य वेतन बिल,यात्रा भत्ता बिल तैयार कर उन्हें परीक्षणोपरान्त वित्तीय नियमों के परिपेक्ष्य में आहरण हेतु आहरण वितरण अधिकारी को प्रस्तुत करना है । कार्यालय में एक सा0भ0नि0 लिपिक होता है,जिसका कार्य अधिष्ठान में कार्यरत अधिकारियो/कर्मचारियो की सा0भ0नि0 पास बुको का रखरखाव एवं सामान्य भविष्य निधि से अस्थाई/अन्तिम निष्कासन के स्वीकृति हेतु प्रस्ताव तैयार करना है । कार्यालय में एक पशुधन लिपिक होता है जिसका कार्य विभागीय योजनाओ से सम्बन्धित समस्त प्रकरणों पर कार्यवाही करना,बैठके आयोजित करना,बैठको की अनुपालन आख्या तैयार करना,जिला योजना तैयार करना एवं विभागीय कार्यक्रमो एवं जिला योजना से सम्बन्धित मासिक प्रगति विवरणो को तैयार करना है ।

(मैनुअल–3)

विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमे पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित है।

विषय सूची

क्रम सं0	**विवरण**	**पेज नं0**
3.1	पशु पालन विभाग	21–22
3.2	पशु पालन विभाग के अन्तर्गत प्रयुक्त की जाने वाली औशधिया वैक्सीन, उपकरणों आदि के क्रय हेतु नीति निर्धारण संख्या 258–**XV**–1/2(100) /2007	22–24

3.1 पशुपालन विभाग

पशुपालन विभाग की स्थापना जनपदों में श्वेत क्रांति एवं पालतू पशुओं के विकास की दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए की गई है । पूर्व में उ0प्रदेश शासन के अधीन विभाग कार्यरत था । वर्तमान समय में उत्तरांचल राज्य की स्थापना हो जाने के फलस्वरूप पशुपालन विभाग एक महत्वपूर्ण विभाग है । वर्तमान में विभाग मे राज्य स्तर पर अपर निदेशक, मण्डल स्तर पर उप निदेशक एवं जनपद स्तर पर मुख्य पशु चिकित्साधिकारी तथा विकास खण्ड स्तर पर पशु चिकित्साधिकारी एवं अधिक पशुधन वाले क्षेत्रों में ग्राम स्तर पर पशुधन प्रसार अधिकारी कार्यरत हैं ।

जनपद के अधीन कार्यरत संस्थाओं का विवरण–

क्रं.सं.	कार्यरत संस्थायें	संख्या
1	पशु चिकित्सालय	**16**
2	पशु सेवा केन्द्र	**38**
3	क्ष0ग0केन्द्र/उपकेन्द्र	**16/38**

3.2 पशुपालन विभाग के अंतर्गत प्रयुक्त की जाने वाली औषधियो/वैक्सीन, उपकरणो आदि के क्रय हेतु नीति निर्धारण :

संख्या 258–XV&1/2(100) /2007

प्रेषक,

अमरेन्द्र सिन्हा,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन,

सेवा में,

अपर निदेशक,
पशुपालन विभाग,
उत्तराखण्ड, गोपेश्वर, चमोली।

पशुपालन अनुभाग–1 देहरादून दिनाकं 24 नवम्बर 2008

विषयः–पशुपालन विभाग के अन्तर्गत प्र युक्त की जाने वाली औषधि यों/वैक्सीन,उपकरणो आदि के क य हेतु नीती निर्धारण।

महोद य,

उपरोक्त विष यक आपके पत्र संख् या 69/क्रय प्रकोष्ठ/औषधि/2008–09 दिंनाक 20 जून 2008 के क्रम में शासन स्तर पर सम् यक विचारोपरान्त पशुपालन विभाग के अर्न्तगत प्र युक्त की जाने वाली औषधि यों/वैक्सीन, उपकरणों आदि के क य हेतु नीति निर्धारण हेतु पूर्व में जारी समस्त शासनादेशो को अतिक्रमित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है, कि पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड में पशुचिकित्साल यों /पशु सेवा केन्द्रो तथा अन् य योजनाओ मे उप योग मे लाई जाने वाली औषधि यो /वैक्सीन /सर्जिकल उपकरणो, गॉज बैण्डेज, ड्रेसिंग मेटीरि यल, प्र योगशालाओ में प्र युक्त होने वाले उपकरणो , एवं रीऐजेण्टस रसा यन तरल नत्रजन पात्रो कृत्रिम गर्भाधान प्रणाली में प्र युक्त होने वाले उपकरणो, अतिहिमीकृत वी र्य आदि क्रय प्रकिया के विकेन्द्रीकरण के अर्न्तगत क्रय किये जा येगे। इस प्रकार के क य में नियमो एवं वित्त विभाग द्वारा क्रय प्रक्रिया में पारदर्शित रखने के सम्बन्ध में सम य सम य पर जारी आदेशो का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2– क्रय हेतु औषधि यो का चयन एवं मात्राा निर्धारण राज्य स्तरीय विशेषज्ञ समिति राज्य स्तरीय क्रय एवं दर अनुबन्ध समिति को निम्नवत परिभाषित कि या जाता है।

राज् य स्तरी य विशेषज्ञ समिति

1– अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, अध्यक्ष
2– मुख्य अधिशासी अधिकारी, यू0एल0डी0बी0 सदस्य
3– औषधि नियत्रक उत्तराखण्ड या उनके द्वारा नामित से युक्त निदेशक स्तर के अधिकारी सदस्य
4– विभागाध्यक्ष औषधि विज्ञान विभाग कालेज ऑफ वेटनरी साइस,पंतनगर विश्वविद्याल या उनके द्वारा नामित प्रोफेसर **प्रतिनिधि**
5– उप निदेशक, पशुलोक सदस्य
6– उप निदेशक, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल सदस्य
7–मुख्य पशुचिकित्साधिकारी चमोली/टिहरी/देहरादून/पिथौरागढ/नैनीताल/उधमसिहनगर

यह समिति औषधियो/वैक्सीन/सर्जिकल उपकरण गॉज ड्रैसिग मेटीरियल, तरल नत्रजन पात्रों कृत्रिम गर्भाधान प्रणाली में प्रयुक्त होने वाले उपकरणो अतिहिमीहकृत वीर्य आदि की आवश्यकता के सन्दर्भ में विशिष्यटयो/मानको /गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए उनका चयन एवं मात्रा निर्धारित करेगी। इसके सदस्य सं योजक समिति के सदस् यो को समस्त वाछित सूचना ये समय से उपलब्ध करायेगे। इसके सदस्य संयोजक का यह भी दा ियत्व होगा कि इस समिति की बैठक के अनुमोदित कार्यवृत्त को सभी सदस्यो एवं शासन को अनिवार्य रूप से प्रेषित करे तथा किसी सदस्य अथवा शासन द्वारा आपत्ति किये जाने पर उसके नियमानुसार निराकरण सुनिश्चित करे एवं अन्तिम रूप से चयनित सूचियो को राज्य स्तरीय क्रय एवं दर अनुबन्ध समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यो को ससमय प्रेषित करे।

राज्य स्तरीय कय एवं दर अनुबन्ध समिति

1– अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड अध्यक्ष
2– निदेशक, उद्योग या निदेशक उद्योग द्वारा नामित प्रतिनिधि सदस्य
3– शासन द्वारा नामित एक विषय विशेषज्ञ सदस्य

4– वित्त व्यय नियत्रक सदस्य

5– औषधि निंयत्रक , उत्तराखण्ड द्वारा नामित एक अधिकारी, औषधि नियत्रक (आयुर्वेद) सदस य द्वारा नामित प्रतिनिधि (आवश्यकतानुसार)

उपरोक्त समिति विभाग मे प्रयोग होने वाली औषधि रसायन, वैक्सीन, गौज, उपकरण, ड्रेसिग, मैटिरियल आदि की आवश्यकता के सन्दर्भ मे उनका चयन/निविदा प्रपत्र (फार्मस) का निर्धारण/ औषधि का अपव्यव के आधार पर निर्धारण/साल्ट की गुणवत्ता का निर्धारण तथा जनपदवार औषधि की मात्रा का निर्धारण करेगी। इसके अतिरिक्त उक्त समिति औषधि की गूणवत्ता उचित न होने की स्थिति में आर्थिक दण्ड का निर्धारण करेगी, जो कि क्रय मूल्य के 3 गुने तक हो सकता है।

यह क्रय समिति राज्य स्तरीय विशेषज्ञ समिति द्वारा चूनी गयी औषधियो , वैक्सीन, उपकरण आदि एवं राज्य स्तरीय क्रय एवं दर अनुबन्ध समिति द्वारा निर्धारित प्रतिष्ठानो से निर्धारित दरो पर उपलबध आय व्ययक प्राविधान के अर्न्तगत ही क्रय की कार्यवाही करेगी। यदि किन्ही कारणवश दर अनुबन्ध उपलब्ध न हो और स्थानीय स्तर पर औषधिया/वैक्सीन आदि की तत्काल आवश्यकता हो तो उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अर्न्तगत यह समिति इस प्रकार की औषधि/वैक्सीन क्रय किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान करने के लिए अधिकृत होगी।

3– (क) जिला योजना मे प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष औषधि/वैक्सीन तथा उपकरणो आदि का क्रय तथा जनपदो को अन्य स्त्रोतो से प्राप्त धनराशि के सापेक्ष समस्त क्रय समिति के अनुमोदन उपरान्त जनपदीय मुख्य पशुचिकित्साधिकारी द्वारा किया जायेगा।

(ख) राज्य सेक्टर योजना के अर्न्तगत प्राप्त धनराशि एवं आय व्ययक के आयोजनेतत्र पक्ष के अर्न्तगत प्राप्त धनराशि क`सापेख शत प्रतिशत क्रय निदेशालय स्तर पर किया जायेगा परन्तु आपूर्ति सम्बन्धित जिले के केन्द्रीय भण्डार/पशुचिकित्सालय/पशु सेवा केन्द्र /प्रेक्षेत्र जैसी भी स्थिति हो मे आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा की जायेगी।

(ग) यदि किसी उपकरण का मूल्य 100000 रूपया प्रति ईकाई से अधिक है तो इसके क्रय से पूर्व विभागाध्यक्ष /शासन की स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होंगा।

क्रय प्रक्रिया

(1) औषधियो का क्रय ख्याति प्राप्त औषधि निर्माताओ से ही किया जायेगा जिसके मूल्याकन हेतु सी0ए0 द्वारा अभिप्रमाणित विगत दो वर्षो की बैलेस शीट की टर्नओवर की प्रतिया ली जाय और उन्ही फर्मो ासे दवा की खरीद की जाय जिनका ऐलोपैथी औषधियो के सम्बन्ध में विगत दो वर्षो का टर्नओवर रूपया 8 करोड प्रतिवर्ष तथा आयुवेद दवाओ एवं फीड सप्लीमेट हेतु विगत दो वर्षो का टर्नओवर रूपया 3 करोड प्रतिवर्ष होना चाहिए तथा यह टर्नओवर पशुओ से सम्बन्धित औषधियो उपकरण से सम्बन्धित होना आवश्यक है। साथ ही स्थानीय औषधि निर्माताओ को 10 प्रतिशत की मूल्य वरियता दी जायेगी। दवा की प्रत्येक खरीद पर नमूने की जॉच आवश्यक करा ली जाये।

(2) औषधियो में अवलवण के आधार पर निविदाये आमत्रित की जायेगी।

(3) निविदा दात्री फर्म अगर पूर्व में अधोमानक अथवा नकली दवा बनाने में दण्डित हुई हो तो उस ईकाई से औषधि क्रय नही की जायेगी। यदि फर्म किसी राजकीय संस्था द्वारा क्रय प्रक्रिया का अनुपालन न करने के दोष मे ब्लैक लिस्ट अथवा अन्य किसी अपराध मे दण्डित हुई हो तो भी फर्म से औषधि का क्रय न किया जाए।

4– क्रय किये जाने वाली औषधि की माग प्रत्येक मुख्य पशुचिकित्साधिकारी द्वारा अपने पशुचिकित्सको से प्राप्त की जायेगी तथा जनपद की संकलित मांग पशुचिकित्सको द्वारा दी गई मांग के अनुसार है से सम्बन्धित प्रमाण पत्र मु.ख्य पशुचिकित्साधिकारी को विशेषज्ञ समिति को देना अनिवार्य होगा।

5– एक बार में क्रय की गई विभिन्न औषधियो मे से 10 प्रतिशत दवाओ के रेण्डम नमूने लेकर उनका ख्याति प्राप्त संस्था से विश्लेषण कराया जाये ताकि गंणवत्ता सुनिश्चित की जा सके।

6– प्रत्येक इस्तेमालद के अयोग्य घोषित आपूर्ति की गई औषधि के रखरखाव की जिम्मेदारी आपूर्तिकर्तो की होगी।

7– आपूर्तिकर्ता फर्म को 90 प्रतिशत मूल्य का भुगतान औषधि/उपकरणो के सुरक्षित गतव्य स्थल तक पहुॅचने के 10 दिन के भीतर तथा शेष 10 प्रतिशत का भुगतान 16 सप्ताह के भीतर अथवा गुणवत्ता सबधी जॉच आख्या आने के बाद जो भी पहले हो कर दिया जायेगा।

8– यदि आपूर्ति किया गया माल अधोमानक कोटि का पाया जाता है, तो जॉच पर आया व्यय आपूर्तिकर्ता फर्म से लिया जायेगा और ऐसे आपूर्तिकर्ता को ब्लैक लिस्ट भी किया जायेगा।
तथा आपूर्तिकर्ता फर्म से उन्हे भुगतान की गई समस्त धनराशि का तीन गुना वसूल की जायेगी।

9'–विभाग मे तकनीकी स्टाफ की कमी एवं पशुओ को पशुचिकित्सालय तक लाने की असुविधा को देखते हूए इन्जैक्शन के स्थान पर खिलाने की वैकल्पिक दवा को प्राथमिकता दी जाय।

10–वित्तीय वर्ष हेतु औषधियो/वैक्सीन/ सर्जिकल उपकरण, गॉज, ड्रेसिग मेटीरियलो तरल नत्रजन पात्रोकृत्रिम गर्भाधान प्रणाली मेप्रयुक्त होने वालें उपकरणो अतिहिमीकृत वीर्य आदि कीआवश्यकतानुसार मांगप्रत्येक पशुचिकित्साधिकारी/प्रक्षेत्र प्रबन्धक अथवा मुख्य पशुचिकित्साधिकारी को उपलब्ध करायेगे । वे इसके परीक्षणोपरान्त जनपद की संकलित मांग मण्डलीय उप निदेशक, पशुपालन विभाग के माध्यम से निदेशक , पशुपालन को उपलब्ध करायेगे। समीक्षा के उपरान्त राज्य की संकलित माग राज्य स्तरीय विशेषज्ञ समिति के सदस्य सयोजक को अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित करेगे।

11–`राज्य स्तरीय विशेषज्ञ समिति द्वारा चयनित औषधियो/वैक्सीन/सर्जिकल उपकरण, गॉज ड्रेसर मेटीरियलो, तरल नत्रजन पात्रो, कृत्रिम गर्भाधान प्रणाली मे प्रयुक्त होने वाले उपकरणो अतिहिमीकृत वीर्य आदि के क्रय हेतु राज्य स्तरीय क्रय एवें दर अनुबन्ध समिति शासन द्वारा निर्धारित निविदा शर्तो/निविदा प्रपत्रो पर निविदा आमत्रित करेगी। इसके सदस्य सयोजक का देायित्व होगा कि अन्य अपेक्षित विवरण के अतिरिक्त चयनित औषधियो`/वैक्सीन/सर्जिकल उपकरण गॉज ड्रेसिग मेटभरियलो तरल नत्रजन पात्रों कृत्रिम गर्भाधान प्रणाली में प्रयुक्त होने वाले उपकरणो, अतिहिमीकृत वीर्य आदि की विशिष्टिया मात्राये एवं गन्तव्य स्थान निविदा प्रपत्रो मे अवश्य इगित करे।

12— क्रय की पूर्ण प्रक्रिया उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 में की गई व्यवस्थान्जर्तगत की जायेगी।

13— भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रम जों पशुचिकित्सा हेतु औषधियॉ/वैक्सीन का निर्माण करते हो को टेण्डर प्रक्रिया में सम्मिलित करते हुए उनके द्वारा निर्मित औषधियो /वैक्सीन का दर निर्धारण इस प्रकार सुनिश्चित करेगे, ताकि शासन को हानि न हो और यदि सार्वजनिक उपक्रम अपने द्वारा निर्मित दवाओ जो निर्माण लाइसेस में प्राविधानित हो ,कि आपूर्ति न्यूनतम दरो पर देने हेतु सहमत हो जो अद्यतन राजकीय क्रय हेतु निर्धारित की गई हो। इसके साथ ही औषधियो/वैक्सीन निर्माता उत्तराखण्ड में स्थापित लद्यु उद्योग इकाईयो के संदर्भ में उद्योग विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा शासनादेश द्वारा प्रदत्त सुविधाओ का भी दर/प्रतिष्ठान निर्धारण में संज्ञान लिया जायेगा।

14— उत्तराखण्ड मे जडी—बूटी एवं सुगन्ध पादप औषधि उत्पादन को बढावा देने के परिप्रेक्ष्य में उपलब्ध आय व्ययक व्यवस्था के सापेक्ष 20 प्रतिशत की सीमा तक देशी दवाओ का क्रय किया जा सकता है। देशी दवाओ का तात्पर्य ऐसी औषधियो से है, जो जडी बूटी एवं अन्य स्थानीय अवयवों/घटको के मिश्रण से निर्मित होती है, एव जिनका निर्माण आयुर्वेद द्वारा प्रदत्त अध्यावधिक लाइसेस के अन्तर्गत किया जाता है।

15— अपर निदेशक , पशुपालन का यह दायित्व होगा ि कवे उपकरणो को छोकर आपूर्ति की जाने वाली प्रत्येक सामग्री के दो सील किये गये नमूने इनके परिरक्षण के मानको के अनुसार अवनी अभिरक्षा रखेगे तथा समय समय पर विशिष्टियोक एव गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु परीक्षण करते रहेगे। इनमे से एक नमूने का सील शासन के आदेशोपरान्त ही खोली जा सकेगी। राज्य स्तरीय क्रय एवं दर अनुबन्ध समिति का यह दायित्व होगा ि कवे विशेषज्ञ समिति द्वारा चयनित सामग्रियो की विशिष्टिया एवं राज्य स्तरीयच क्रय एव्र दर अनुबन्ध समिति द्वारा निध र्ारित दरो /निर्धारित प्रतिष्ठानो एव मात्राओ की सूचना अन्य सम्बन्धित विवरणो सहित समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, मुख्य पशुचिकित्साधिकारी,द प्रक्षेत्र प्रबन्धक एवं उत्तराखण्ड पशुधन विकास परिषद तथा उत्तराखण्ड भेड एवं ऊन विकास परिषद के मुख्य अधिशासी अधिकारीगण को ससमय उपलब्ध कराये।

16— राज्य मे गौमूत्र जन्य पदाथ्रे को महत्व दिये जाने के उददेश्य से गौमूत्र आधारित डिसीनफिसटट का क्रय फिनाइल क्रय के अनुसार किया जायेगा।

17— पशुपालन विभाग द्वारा औषधियो/वैक्सीन उपकरणो एवं अन्य सामग्रियो आदि के विभागीय दर अनुबन्ध निष्पादन तथा क्रय की कार्यवाही तत्कालउ पूर्ण करनी सुनिश्चित की जाये। आगामी वर्षो में यह कार्यवाही वित्तीय वर्ष के प्रथम त्रेमास मे पूर्ण कर ली जाय। निविदा हेतु प्रपत्रो के पूर्व अनुमोदित नमूने ही प्रचलित रहेगे।

18— यह व्यवस्था आगामी तीन वर्षो तक प्रभावी रहेगी। परन्तु यथासमय आवश्यजानूरूप कभी भी परिवर्तन किया जा सकता है।

19— इस आदेश के अर्न्तगत किये गये विशिष्ट प्राविधानो से अछूते विषयार्न्तगत प्रवृत्त अन्य शासवकीय नियम /प्राविधान यथावत लागू रहेगे।

20— यह आदेश वित्त विभाग की सहमति के क्रम में निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय
(अमरेन्द्र सिन्हा)
सचिव

संख्याः—258 (1) /XV—1/2007—तददिंनाके

प्रतिलिपिः—निम्नालिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1— महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी लेखा अनुभाग , उत्तराखण्ड।
2— संयुक्त निदेशक/रजिस्ट्रार उत्तराखण्ड पशुचिकित्सा परिषद, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड।
3— उद्योग निदेशक, उत्तराखण्ड।
4— विभागाध्यक्ष, मेडिसन कालेज ऑफ वेटनरी साईन्स, पंतनगर विश्वविद्यालय पतंनगर उधमसिहनगर।
5— विभागाध्यक्ष, सर्जरी, कालेज ऑफ वेटनरी साईन्स, पंतनगर विश्वविद्यालय पतंनगर उधमसिहनगर।
6— मुख्य औषधि नियत्रकं, उत्तराखण्ड स्वास्थ्य निदेशालय, देहरादून।
7— समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8— समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।

भवदीय
(अमरेन्द्र सिन्हा)
सचिव

(मैनुअल–4)

कृत्यों के निर्वहन हेतु नियम विनिमय, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख

विषय सूची

क्रम सं0	विवरण	पेज नं0
4.1	कृत्यो के निर्वहन के लिए स्थापित मानक/नियम	25–27

4.1 पशुपालन विभाग, कृत्यो के निर्वहन के लिए स्थापित मानक/नियम

1	अन्तराष्ट्रीय स्तर पर पशुधन मांस और उसके उत्पादन निर्यात/आयात के मानक रूल्स अण्डर दी गैलेन्डर्स एण्ड फारसी एक्ट Glanders and farcy act
2	The U.P Prevention of cow slaughter act 1955
3	U.P livestock improvement act
4	U.P gaushala act
5	The Prevention of cruelty to animal act 1960
6	The drug and cosmetics act
	:Yl rFkk eSuqYl
1	The U.P Prevention of cow slaughter Rules, 1964
2	The Prevention of cruelty to Draught And Pack Animal Rules,1966
3	The Prevention of cruelty to animal (Licensing of Farries) Rules,1965
4	Performing Animal Rules,1973
5	Transport of Animal Rules,1978 (a) Dog and Cat (b) Monkeys © Cattle (d) Equines (e) Sheep & Goats
6	International Coventions For he Transport of Animal] Meat And Other Products Rules
7	Export of Livestock and Livestock Products Rules
8	The Uttar Pradesh Pasudhan Sudhar Rules,1964
9	The Uttar Pradesh State Veterinary Council Rules,1991
10	उत्तरांचल पशुधन प्रजनन नीतिए 2005
11	उत्तर प्रदेश पशु सुधार नियम 1964
12	उत्तरांचल गौवध नियमावली
	अन्य
1	राष्ट्रीय गौवंश आयोग की प्रश्नावली
2	विभागीय अधिकारियों को प्रतिनिहित वित्तीय अधिकारों का संकलन 1993
3	शासन से प्राप्त शासनादेशों का संकलन
4	विभागीय अधिकारियों को प्रतिनिहित वित्तीय अधिकारों का संकलन
5	वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन प्रक्षेत्रों की हानि
6	प्रक्षेत्रों को हानि से बचाने के लिए आर्थिक दृश्टि से अनुपयोगी पशुओं के निस्तारण के सम्बन्ध में
7	पशुकुरता निवारण अधिनियम के अर्न्तत शासनादेश
8	नागरिग अधिकार पत्र (पशुपालन विभाग)

कृत्यों के निर्वहन के लिए स्थापित मानक/नियम–विभागीय विकास कार्यो के सम्पादन हेतु लक्ष्य दिये गये हैं जिसकी पूर्ति जनपदवार की जाती है । विवरण निम्नानुसार है –

महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की भौतिक प्रगति सामान्य/स्पेशल/ट्राईबल सब प्लान 16–17पशुपालन विभाग,जनपद हरिद्वार

क0सं0		इकाई	वर्षिक लक्ष्य	क्रमिक पूर्ति	
1	पशुचिकित्सा	संख्या	207000	222417	
2	बधियाकरण	संख्या	8750	7769	
3	टीकाकरण	संख्या	375000	317449	
4	प्राकषतिक गर्भाधान	गाय	–	....	
5		भैस	–	.....	
	उत्पन्न संतति	गाय	–	.....	
		भैस	–	.....	
6	कृत्रिम गर्भाधान	गाय		23049	
		भैंस	52000	13451	
7	उत्पन्न संतति	गाय	–	12005	
		भैस	25000	7570	
8	कुक्कुट पक्षी वितरण	संख्या	80000	192000	
9	दवापान	संख्या	5000	6304	
10	दवास्नान	संख्या	2500	8936	
11	चारा मिनी किट वितरण		–	4974	
12	चारा बीज वितरण		–	15837	

(मैनुअल–5)

अपने द्वारा या अपने नियंत्राणधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किए गये नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख

क्र0सं0	विवरण	पष्ठ सं0
5.1	भोटिया ग्रेजिंग रूल्स	28 31
5.2	उत्तर प्रदेश पशुधन सुधार रूल्स 1964	32–34

GOVERNMENT OF UTTAR PARDESH
FOREST DEPARTMENT
8th JULY,1927
APPENDIX XII
Bhotia Grazing Rules

Miscellaneous

FOREST DEPARTMENT
8th JULY 1927

NO.712/xiv 155. 1918 incontinuation of department notification no. 519/XIV-1551998 dated may 12'1927. the govt. in council of the uttar pardesh state'in exercise of the powers conferred by clouse (i) of section 32'and clouse (d) of section 76 of the Indian forest ACT(no. XIV of 1927) has made the following rules', they supersede the rules contained in notification no.596/XIV-155-1998'' dated December 16, 1998 to regulate grazing in the reserved and protected forests of kumaon civil division of cattle including sheep and goats, belonging to bhotias (of all classes). Tibetans danpuris, residents of garhwal, almora and nanital during such time as the cattle may be used as pack animals for the purpose of carriage.

RULES

(For the purposes of these rules only the above classes of persons are hereafter tenned tranders)

1- traders may subject to the condition given below, graze their cattle, including sheep and goats, in such portions of the reverse and protected forest as are not closed to rights or tp grazing.
2- in the following reseved and protected forests grazing and lopping by traders government and subject to the rules and condition given in paragraph 11-A of this notification.
3- East Almora Division

Liti	Madkhani
Namik	Gopalia
Majia-Ka-Danda	Duk
Hum	Sobla
Khulia	Hirigomri reserves
Jamia	Juliagarh
Athansi	Rungling
dafiadhura	Panya
Majithamb	

protected forest lying north of the kharbagar- nachni-mawani-dabani road and a line from mawani dabani to khela.

WEST ALMORA DIVISION

Sunderdunga	
Dhakuri	
Siskhani	Reseves

protected forests in patli malla danpur Garhwal Division

All forests lying north of the alak nanda river from rudraprayag to karnaparyag and of the pinder river from karanparyag to nand- keshri and east of nand keshri to the gwaldam bridle path except such portion as are closed to rights and grazing.

4- Any trader may graze cattle free and subject to the rules prescribed by government in any reserved forest blok in which he may have been granted rights or concessions under a forest settlement.

5- for grazing in order than the aboves areas passes must be taken out for which shall be leveled at the following rates;

for buffalos	At four annas per annum
for jibus, bullocks&cows	At two annas per annam
for sheep and goats	At two annas per annam

ponies mules oe Donkeys in the western circle only.

The passes will be valid for the whole of the year from the 1st july to 30th june and the same fee will be levied for a part as for the whole of the year. As a concession, during the pleasures of the government no fees or passes will be required for panies, mule or donkeys in the kumaun circle.

NOTE- Any traser who evades a payment of the above at the grazing chaukies mentioned in rule 5 below and is subsequently caught without a pass will be liable double fee paid as a punitive measures.

choukies at which the above passes must be taken out and the above fee paid, will be maintained during the season that a traders more down from the high level was at onear

Julajibi	
Mawni dabani	
TEJAB	In the east Almora division
Nachni	
Kapkot	
Rudraprayag	
Karanparyag	In the garhwal division
Narainprayag	
Gwaldam	

The conservator of forest kumaun circle, shall have power to add to the number of cancel or alter the position of the above chaukies, with the approvel of the Deputy- commissioner in charge of kumaun.

6-To meet the requirements of the traders adding to the numbers of their herds of cattle below the above line of chaukies passes may be taken out at all forest range officers or revenus collecting.

7-The following camping grounds, situated within or in the neighbor-hood of the old reserved forest in the kumaun civil division are sanctioned for the use of traders with cattle halting at other places in the old reserved forests in forbidden.

8-A- kumaun circle

east almora divisiosn

(1) -Burasu	(4) chalthi
(2.) Mathiabanj	(5) Takula
(3) Meljhari	(6)Dhoulchina
(Syn.Sukhidhan)	

West almora Division

(1) Gaillekh chak Airadeo	chalthi
(2) Padholi c5	takula
3-ganiadeoli	malookhan
4-Tarakhet	

Nainital Division

1-malla Dhungani	Ratighat
2-Haria Banaik	Gaujani

3-Padampuri	pangot
4-chanpi	
B- Western Circle	
Haldwani Division	
1-jaulasal	Tanakpur
2-Dogari	kholgarh
3-Chini	Durgapipal
4-Bastia	Selakhal
Ramnagar DIVISION	
1-Mohan	Amsot
2-Mownar	Laldhang
3-Dubichaur	Ramnagar
Kalagarh Division	
1-Jhuna	Pakhrao
2-Kalagarh	Morghati
Lansdowne Division	
1-Shishamghat	Dogadda
2-Laldhang	Amsaur
3-Haldhukhata	Kairigarh
4-Saneh	Kotdwar

At the above camping grounds halter for a longer duration than two nights are not permitted except at Dogadda where three nihts are permited. and at tanakpur, RAMNAGAR&Kotdwar where halts may extend until herds and flocks are required to move on.

8-Alternation in the above lists of sanctioned camping ground may be made by the conservators of forest. Kumaun and western circles within their respective spheres with the approvel of the deputy commissioner in charge kumaun.

The forest department may demarcate the area within which camping at any other place shall then beforbidden.

9-Traders wishing to keep their cattle in the old reserved forest in kumaun circle for longer periods than allow under rule 7 above for the purpose of carrying forest produce must obtain special permission from the divisional forest officer of the forest concerned. The number of cattle to be so admitted and the less to be charged will be decide by the officer.

10-The new reserve in the kumaon circlethose constitude reserved forest subsequent to the year 1911 in class 1 reserves no restriction whatever are at present made as regards the situation of camping grounds in class 2nd reserve camping or grazing of cattle by traders within Regeneration areas. Fuel and fodder reserve and plantation is prohibited.

11- The condition under which traders grazing cattle free in the reservs detailed in rule 2 above of under passes taken out in accordance with rule 4 above may top for fodder are as follows.

(1) In the new reserve.

No tree may be lopped within 50 feet of the centre line of any road or bridle path maintainred by government or the district board.

(a) No tree may be lopped in regeneration areas fuel and fodders reserve plantations and deodar bams.

(b) No tree of the following species may be lopped

1-Deodar	cedrus
2-Surai	cupressus jorulosa
3-Akrot or Akhor	juglans regia
4-Tum	cedilla toona
5-Sal	shorea robusia
6-chir	pinus longffofia
7-Kail	pinus excelsa
8-Spruse Raj	picea morinda
9-Silver fir	Abies pindraw and web pindraw

© Bamboos and ringals may not be lopped.

(e) In the old reserves.

Rules (a)to(d) of the new reserves apply here also here also with the following addition

(c) No trees of the following species may be lopped;

(10) Sandan ougeeinia Dalbergioides

(11) Asian Terminalia SP.

5.2 THE UTTAR PRADESH PASHU PALAN SUDHAR RULES

THE UTTAR PRADESH PASHUPALAN SUDHAR RULES,1964

1. Short title and commencement - (a) Those rules may be called the uttar pradesh Pashdhan sudhar Rules, 1964

   (b) They shall apply to the area of areas to which the provisions of the uttar pradesh Pashudhan Sudhar Adhiniam, 1964 (UP act no. XVIII of 1964), are applied under subsection (3) of section 1 of the said adhiniam .

2. Definitions – In these rules unless there is anything repugnant in the subject or context –

   (a) "Adhiniam" means the uttar pradesh Pashudhan Sudhar Adhinium, 1964 (UP act XVIII of 1964);

   (b) "Deputy Director" means the Deputy Director of animal husbandry of the area to which the provisions of the Adhiniam have been supplied;

   (c) "Form means" a form appended to these rules; and

   (d) "Section" means section of adhiniam.

3. Qualifications of livestock officer [Section 17(2)(a)].- A Livestock officer will be a veterinarian possessing a degree of diploma in veterinary science from any of the recognized Veterinary institutions in india or abroad and working in the animal husbandry department of Uttar Pradesh on any of the following posts;

(1) Zila Pashudhan Adhikari

(1) Veterinary Insemination Officers.

(2) Veterinary Officers.

(3) Veterinary Assistant Surgeon.

(4) Assistant Development Officer (Animal Husbandry)

4. Production of bulls for inspection (section 5).- An order under section 5 requiring any person keeping a bull to produce it for inspection shall be in form 1.

5. Certification and breeding of bulls (section 6).- the certification under section 6 in respect of an approved bull shall be in form II and the approved bull shall be branded on its right hind quarter, i.e. on the hip region with the following mark which shall be of the dimensions indicated therein.

   Further a serial no. would be allowed by Livestock officer of the approved bull which shall be branded on the left hind quarter.

6. Manner of filling appeals [Section 7(2)(a)]- (I). An appeal against an order passed under sub-section (1) of section 7 may be preferred within thirty days of the date of the order appealed against;

   (II). The appeal shall be addressed to the deputy director and may be either personally presented before him or sent to him by registered post.

   (III). The appeal may also be presented before either District Livestock Officer in which case a receipt shall be obtained from him and may be sent to him by registered post. the district livestock officer shall as early as possible forward the connected papers to the Deputy Director for Disposal.

7. Manner of enquiry about ownership of unclaimed bulls [Section 8(1)].- The livestock officer shall before declaring that a bull is not owned by any known person ascertain the ownership of the bull by issuing a notice in form III and also by beat of drums and

by affixing copies thereof in conspicuous places in such areas as he may deem necessary. If no claimant for the bull appears within seven days from the date of issue of the aforesaid notice, he shall consider that the bull is not kept by any known person and take further action in the matter under subsection (I) of section 8.

8. Manner of giving unclaimed bulls in custody [Section 8(3)]. Where a dispute relating to ownership of a bull is pending in a court the livestock officer, may be order in form IV, give the bull in the custody of the keeper of the nearest cattle-pound of the person in charge of the nearest Veterinary Dispensary or the Gram Pradhan and the cost of maintaining the bull during the period of custody shall be recovered from the person who may be declared by the court as the owner thereof.

Manner of inspection and entry by livestock officer [Section 10(b)].- A livestock officer before entering any premises or other place for carrying out the purposes of section 10 of the adhiniam where he has reason to believe that an unapproved bull is kept shall issued in form V, a notice of his intention so to do to the owner of a premises or in his absence the occupier thereof, and shall than enter the premises along with two respectable persons of the locality as witnesses. He shall not enter the premises after sunset and before sunshine and shall

9. have due regard to the privacy of the female occupants of the premises.

10.Procedure to be followed by the livestock officer, if he is not a gazetted officer. in case the livestock livestock officer is not a gazetted officer a copy of the notice served under rule 9 and a report of the action taken thereon shall immediately be submitted to the district livestock officer of the district concerned.

11.Manner of removal of unapproved bulls from prohibited area (section 7 (i)(ii)). The order under sub section (1) of section 7 requiring a person keeping a bull to have it castraled or removed beyond the prohibited area, shall be in form vi, and it shall be complied with by such person within a period of fifteen days from the date of service of such order.

12.Maintenance of such registers by livestock officer section (11) – The livestock officer shall maintain or cause to be maitained a register giving perticulars of inspection, castrations, certifications, and brandings in form VII.

13.Manner of service of notices and order under the act [Section 17(h)] –

(1) when a notice or any order is required to be given to any person under these rules, it shall be served.

(a) By giving or lendering the name of such person or to any adult member of his house-hold.

(b) If such person left the place and –

(I) His address elsewhere is known then, by registered post;

(II) If such address is not known then by affixing the same on the outer door of his last known place or residence.

(c) If none of the aforesaid means are available then by affixing the same at some conspicuous place in the locality where the person was stated to have last resided and also by beat of drums in the locality.

(2) in case of joint ownership it shall be sufficient to serve the notice or order on any one of such owners.

(3) In case of a compny, the notice or order shell be served on the compny or any person in charge of and responsible, to the compny for the conduct of its business at that time.

(4) FORM – I

(See rule 4)

Orderv requiring submission of bull for inspection

To,

.....

Whereas it has been intimated to me that you keep unapproved bull/bulls;

Now, therefore, in exercise of the power under section 5 of the U.P. Pashudhan Sudhar Adhiniyam, 1964, I hereby require you to produce the same for inspection by me between..... hours for the purpose on the..... day of..... 19..... at.....(Place)..... in village..... tehsil..... district..... and to officer the following facilities in connection with such inspection, namely :

(1)

Livestock Officer

Dated this.....day of 19

FORM – II

(See Rule 5)

Certificate No..... Date.....

This is to certify that the bull described below which is owned by ..... son of ..... resident of..... is an approved bull of the purpose of the Uttar Pradesh Pashudhan Sudhar Adhiniyam, 1964.

Description of the bull.....

The certificate shall be valid upto ..... and is granted to the conditions mentioned below;

Condition of certificate The owner shall –

(i) Inform the Livestock Officer of any illness, defect or deformity which is likely to render the bul;l unsuitable for breeding purposes.

(ii) Give intimation to the livestock officer in the even of the death of the bull or when it is castrated sold or otherwise transfered to any other person.

(iii) Submit the bull for inspection when so required by livestock officer.

.....

Livestock Officer

FORM – III

(See Rule 7)

Notice of enquiry regarding unclaimed bulls

Whereas it has not been possible to trace the owner of the bull described below;

Now, Therefore, in Pursuance of the provisions of sub section (1) and (2) of section 8 of the uttar pradesh pashudhan sudhar adhinium, 1964 Notice is hereby given that if the sald bull is not claimed to the satisfaction of the under signed officer with in seven days of the date of this notice it shall be seized and inspected and shall be branded and certified as approved or shall be castrated as may be necessary :

(मैनुअल–6)

ऐसे दस्तावेजों के, जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन है, प्रवर्गो का विवरण

विषय सूची

क्रम सं0	**दस्तावेज**	**पेज नं0**
6.1	मुख्य पशुचिकित्साधिकारी कार्यालय स्तर के दस्तावेज	**35–36**
6.2	जनपद स्तर पशुचिकित्सालय / पशुसेवा केन्द्र स्तर के दस्तावेज एवं पंजिकाओ की सूची	**37–38**
6.3	अभिलेखो का बीडिगं हेतु निर्धारित समय	**39–41**
6.4	पशुपालन विभाग के अन्तर्गत विभागाध्यक्षो/निदेशालयों एवं कार्यालायध्यक्षो के कार्यालयों में अभिलेखन (recording)करने एवं नष्ट करने हेतु निर्धारित अवधि का विवरण ।	**41–48**

6.1–दस्तावेज प्राधिकारी के पास या उनके नियंत्रण मे उपलब्ध दस्तावेजो का प्रवर्गों के अनुसार विवरण

क्रमांक	प्रवर्ग	दस्तावेज का नाम/परिचय धारक/नियंत्रणाधीन
1.	स्थापना	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी 1–वार्षिक वेतन वृद्धि पंजिका 2–न्ययालय से संबंधित पंजिका 3–समस्त कर्मचारियों की व्यक्तिगत पत्रावली 4–कर्मचारियो की स्थानान्तरण संबंधित पत्रावली 5–सामान्य पत्र व्यवहार से संबंधित पत्रावली 6–चिकित्सा व्यय पूर्ति से संबंधित पत्रावली 7–वेतन निर्धारण से संबंधित पत्रावली 8–वार्षिक स्थानान्तरण से सम्बन्धित पत्रावली 9–कार्यालय आदेश से संबंधित पत्रावली 10–पेंशन संबंधित पत्रावली 11–नियुक्ति संबंधित पत्रावली 12–कार्यरत कर्मयारियो की सेवा पुस्तिकाएं 13–पेंशन स्वीकृति पंजिका 14–वार्षिक चरित्र प्रविष्टियों से संबंधित पत्रावली/पंजिका 15–आकस्मिक अवकाश संबंधित पंजिका 16–कार्यालय आदेश पंजिका 17–टेलीफोन पंजिका 18–भ्रमण पंजिका 19–शिकायत संबंधित पत्रावली 20–लोकसभा/विधानसभा में पूछे गए प्रश्नो की पत्रावली
3	पशुधन अनुभाग	1–पशुधन की सर्वे रिपोर्ट 2–सर्वे रिपार्ट से संबंधित पत्रावली 3–मासिक/त्रैमासिक/वार्षिक विवरण से संबंधित पत्रावली
4	सामान्य अनुभाग	1–डाक टिकट से संबंधित पंजिका 2–पत्र प्रेषण से संबंधित पंजिका 3–स्थानीय डाक वितरण संबंधित पंजिका
	लेखा/ रोकडिया /वेतन बिल/सा 0भ0नि0 अनुभाग	1–बजट आवंटन 2–बजट अनुमान 3–बचत एवं व्ययाधिक्य 4–शासनादेश एवं सर्कुलर 5–भौतिक सत्यापन 6–विभागीय आडिट 7–महालेखाकार आडिट 8–विविध पत्रों की पत्रावली 9–बजट पंजिका पत्रावली 10–कन्टिजेन्ट बिल रजिस्टर नान प्लान 11– कन्टिजेन्ट रजिस्टर प्लान 12–टी0ए0चैक रजिस्टर 13–टी0ए0रजिस्टर 14–यात्रा स्वीकृत रजिस्टर 15–यात्रा भत्ता पत्रावली 16–शासनादेश पत्रावली 17–11 सी रजिस्टर 18–ट्रेजरी गार्ड रजिस्टर 19–नगद कैश/चैक भुगतान पंजिका 20–कैश बुक 21–बैंक डाफट प्रेषण पंजिका 22–बैक डाफट प्राप्ति पंजिका 23–प्राप्ति पंजिका 24–ट्रेजरी चालान पंजिका 25–एस0पी0एस0 पंजिका 26–कैश की डुप्लीकेट चाबियॉ

		27–रसीद बुक 28–वेतन संबन्धित पंजिका 29–सामान्य पत्र व्यवहार 30–राष्ट्रीय बचल पत्रावली 31–मासिक आय व्यय विवरण पत्रावली 32–व्यय विवरण पत्रावली नान प्लान 33–व्यय विवरण पत्रावली प्लान 34–बी0एम0पत्रावली 35–व्यय मिलान पत्रावली 36–विघुत पंजिका 37–स्टेशनरी पंजिका 38–जी0पी0एफ0लेजर चतुर्थ श्रेणी एवं तृतीय श्रेणी 39–जी0पी0एफ0लेजर बिल रजिस्टर /बार्ड शीट

6.2 जनपद स्तर पशुचिकित्सालय/पशुसेवा केन्द्र स्तर के दस्तावेज एवं पंजिकाओ की सूची

1.कैश बुक पंजिका 2.रसीद बुक पंजिका 3.बाह्य रोग पंजिका 4.डेली इश्यू पंजिका
5.सामान्य स्कन्ध पंजिका 6.अग्रेंजी औषधी स्कन्ध पंजिका 7.देशी औषधी पंजिका
8.डेड स्टाक पंजिका 9.विविध स्कन्ध पंजिका 10.कषत्रिम गर्भाधान पंजिका
11.उत्पन्न संतति पंजिका 12.सीमन स्ट्रा एवं तरल नत्रजन पंजिका
13.कृत्रिम गर्भाधान से प्राप्त शुल्क की रसीद पंजिका (यू0एल0डी0बी0) 14.प्रगति पंजिका
15.चारा बीज पंजिका 16.टीकाकरण पंजिका 17.कुक्कुट विकास पंजिका 18.डे बुक पंजिका
19.आउट ब्रेक पंजिका 20.कन्ज्यूमेबिल सामग्री पंजिका 21.विविध पंजिका
22,.डाक प्राप्ति एवं प्रेशण पंजिका 23.भ्रमण पंजिका 24.निरीक्षण पंजिका
25.शव परीक्षण पंजिका 26.भवन पंजिका 27.उपस्थिति पंजिका
28.आकस्मिक अवकाश एवं अन्य अवकाश पंजिका 29.विद्युत पंजिका 30.जल पंजिका
31.लेखन सामग्री पंजिका 32.रजिस्टर ऑफ रजिस्टर पंजिका 33.पत्रावली की पंजिका

संख्या 677(1)xv-1/2(68)2005/दिनाक जनवरी 06

पशुधन प्रसार अधिकारियों के कर्तव्य एंव उत्तरदायित्वों का विवरण

1,विभागीय संस्थाओ /क्षेत्रो पर बीमार पशुओ /पक्षियो की आवश्यकतानुसार प्राथमिक चिकित्सा /उपचार करना ।

2, विभागीय संस्थाओं के मुख्यालय तथा क्षेत्र भ्रमण पर अनैच्छिक नर पशुओ का बधियाकरण करना ।

3,मुख्यालय /क्षेत्र भ्रमण पर,पशु /पक्षियो के संक्रामक बीमारियों की रोकथाम हेतु रोग निरोधक टीकाकरण करना ।

4, संक्रमाक बीमारियो के संक्रमण होने पर (वनज इतमांद्ध उसके निवारण के उपाय करना तथा उच्चअधिकारियो को सूचित कर उनके मार्ग निर्दैशन में कार्य करना ।

5, अपने कार्यक्षेत्र के अर्न्तगत गभींर रोगी पशुओ को आपातकालीन प्राथमिक चिकित्सा /उपचार उपलब्ध कराना ।

6, अपने मुख्यालय तथा क्षेत्र भ्रमण पर कषत्रिम गर्भाधान कार्य कारना गर्भ संतति निरिक्षण करना तथा अभिलेख तैयार कारना

7,आन्तरिक अंगो को छोड़कर लघु शल्य चिकित्सा द्वारा पशुओ की प्राथमिक चिकित्सा /उपचार करना ।

8,भेड एवं बकरीयो को ड्रेंचिग व डीपिंग कराना ।

9,अपने कार्य क्षेत्र के अर्न्तगत पशुधन विकास कार्य क्रमो की प्रगति सूचनायें ,आकडें आदि सकंलित करना एंव विकास सम्बन्धी अन्य कार्य कें निरिक्षण/अनुश्रवण /समिक्षा हेतु विभागीय उच्चाधिकारियों के भ्रमण के समय उनके साथ रहना तथा अपेक्षित सहयोग प्रदान करना ।

10,विकास मेला ,पशु मेला ,पशु प्रदर्शनी ,पशु रैली ,टीकाकरण कैम्म हेतु प्रचार प्रसार करना ,उसके लिए अनुकुल वातावरण बनाना तथा सम्पन्न कराने मे उच्चाधिकारियों का सहयोग करना ।

11,मादा पशुओ की जनन क्षमता का पूरा उपयोग करने हेतु बांझपन निवारण कैम्म आयोजित करना तथा पशुचिकित्साधिकारी के मार्ग निर्देशन में पीडीत पशु की प्राथमिक चिकित्सा उपचार करना ।

12,पशुपालको को पशुकओ के रख रखाव ,पालन पोषण तथा संतुलित आहार के बारे में जानकारी देना ।

13,चारा विकास कार्यक्रम के अर्न्तगत पशुपालको हरे चारे की महत्व की जानकारी देना । कर्षिको का चयन कर चारा प्रदर्शन करना यथा समय उनके उन्नत चारा बीज /चारा जडे /वक्ष उपलब्ध कराना तथा ग्राम पचायतों / वन पंचायतो /स्वंम सेवी संस्थाओ द्वारा विकासित चारा वनो /चारागाहो का समय समय पर अनुश्रवण कर /निरीक्षण करना तथा उसकी प्रगति उच्चाधिकारियें को उपलब्ध कराना ।

14,अपनी पदस्थापना से सम्बन्धित संस्थाओ की पंजिकाओ एंव अभिलेखो को निर्धारित प्रारूपो पर तैयार करना तथा प्रगति सूचनाये कार्यक्रमवार दर्शाना ।

15,वीर्य संग्रह केन्द्रो पर सांडो का रख रखाव, वीर्य संग्रह परिक्षण ,डाइल्युसन प्रिजर्वेसन ताकि वितरण में संग्रह केन्द्र के प्रभारी को सहयोग प्रदान करना

16,राजकीय कुक्कुट प्रक्षेत्रो पर पक्षियो का रख रखाव,अण्डा उत्पादन,हैच्चिगं रियरिंग ,टीकाकरण तथा विपणन आदि की व्यवस्था करना ,रोग निदान करना ,मष्त्यु दशा में पशुचिकित्साधिकारी के निर्देशन में शव विच्छेदन करना ।

17,इच्छिुक कुक्कुटपालको को प्रशिक्षण के लिए प्रेरित करना ,तकनीकी प्रशिक्षण देना कुक्कुट इकाईओ की स्थापना कराना,,एंव उनका अनुश्रवण व निरीक्षण करना

18,राजकीय शशक प्रक्षेत्रो पर शशको का रख रखाव ,टीकाकरण ,प्राथमिक चिकित्सा/उपचार ,प्रजनन तथा विपण आदि करना ।

19,राजकीय भेड बकरी प्रक्षेत्रो पर भेडो बकरियो के रख रखाव ,टीकाकरण प्राथमिक चिकित्सा/उपचार ,प्रजनन ऊन शियरिगं ग्रेडिगं तथा विपण आदि करना ।

20,राजकीय सुकर प्रक्षेत्रो पर सुकरो का रख रखाव,टीकाकरण ,प्राथमिक चिकित्सा/उपचार ,प्रजनन तथा विपणन आदि करना ।

21,क्षेत्र के इच्छुक सुकर पालको को प्रशिक्षण के लिए प्रेरित करना ,तकनीकी प्रशिक्षण देना सुकर इकाईओ की स्थापना कराना,,एंव उनका अनुश्रवण व निरीक्षण करना ।22,राजकीय दुग्धशाला प्रक्षेत्रो पर पशुओ के रख रखाव ,फीडिंग, रियरिगं, टीकाकरण, प्राथमिक चिकित्सा ,पशु प्रजनन,संतति परिक्षण,दुध उत्पादन ,अभिलेखन,तथा विपणन आदि का कार्य करना ।

23,क्षेत्र मे अग्निघात ,विद्युत आघात एंव आकस्मिक दुर्घटना में घायल पशु का तुरन्त उपचार करना तथा मृत्यु की दशा में उसके शव विच्छेदन हेतु पशु चिकित्साधिकारी को अवगत कराना ।

24,क्षेत्र भ्रमण के दोरान अपने क्षेत्र में दस दिन व पर्वतीय जनपदो मे पन्द्रह दिन अपने क्षेत्र में अवश्य रात्री विश्राम करना कार्य की प्रगति, गन्तव्य स्थान,मुख्यालय से दूरी,प्रस्थान का समय तथा वापसी का समय सूचना पट तथा दैनिक डायरी मे उल्लेख करेगा ।

25,पशुपालको की मांग पर उन्नत नस्ल के गाय सांडो ,भैसा सांडो ,बकरा,भेड ,घोडा ,गधा तथा सूकर सांड आदि अशंदान पर उपलरब्ध कराना ।

26,अपने कार्यक्षेत्र के अर्न्तगत प्रति वर्ष ग्रामवार पशुओ की गणना करना तथा नियोजन हेतु आकडे जुटाना।

27,पशु क्रुरता निवारण के सम्बन्ध में पशुधन प्रसार अधिकारी, पशुचिकित्साधिकारी एंव मुख्य पशुचिकित्साधिकारी को आवश्यक सूचना एवं सहायता प्रदान करना ।

28,प्राकृतिक आपदा जैसे,बाढ़,सुखा भूास्खलन, भूकंप आदि के समय आवश्कतानुसार राहत कार्य करना तथा उच्चाधिकारियो को सूचित करना ।

29,समय समय पर बैको द्वारा प्रेषित प्रयोजनाओ में पशुधन विकास सम्बन्धी कार्यक्रमो का सचालन करना,स्वमसहायता समुह गठित करना तथा आवश्यक कार्या का सम्पादन करना ।

30,मुख्यालय/क्षेत्र में सम्पादित कार्य प्राथमिक चिकित्सा /उपचार,कषत्रिम गर्भाधान,टीकाकरण,बधियाकरण, डेर्चिग हेतु निर्धारित शुल्क धनराशि राजकीय कोष में जमा कर मासिक रूप से पशुचिकित्साधिकारी/मुख्य पशुचिकित्साधिकारी को अवलोकित कराना ।

31,सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत निमानुसार आवश्यक कार्यवाही सम्पादित करेगें ।

32,पशुधन प्रसार अधिकारी सम्बन्धित पशुचिकित्सालय के पशुचिकित्साधिकारी /जनपद के मुख्य पशुचिकित्साधिकारी के नियत्रणाधीन होगे ताकि उनके द्वारा निर्धारित दायित्व का निदेशानुसार सम्पादन करेगे ।

33, शासन /विभाग /जनपद के उच्चाधिकारियों द्वारा समय समय पर सोपे गये अन्य कार्यो का सम्पादन नियमानुसार सुनिश्चित करेगें ।

34,पशुधन प्रसार अधिकारी अपनी संस्था से सम्बन्धित पंजिकाओ का उपयोग करेगा ।

1,वाहय रोगी पंजिका । 2,देनिक औषधि वितरण पंजिका 3,औषधि पंजिका

4,स्कन्द सामग्री पंजिका 5,निष्प्रयोज्य सामग्री पंजिका 6,वैक्सीन /सीरा वैक्सीन पंजिका ,

7,टीकाकरण पंजिका 8,वाहय संक्रमण पंजिका 9,रोकड बही 10,कषत्रिम गर्भाधान (गाय /भैस)

11,वीर्य/तरल नत्रजन प्राप्ति पंजिका 12,सांड पंजिका 13,संतति पंजिका 14,प्रगति पंजिका

15, पशुगणना पंजिका 16,दैनन्दिनी पंजिका 17,उपस्थिति पंजिका 18,र्बीडिग एवं कवरिगं रजिस्ट्रर 19,कुक्कुट विकास सम्बन्धी पंजिका 20, चारा विकास पंजिका ।

हस्ताक्षर/जे0पी0जोशी
उप सचिव

6.3 निरीक्षणालय द्वारा संस्तुत सामान्य अभिलेखो का बीडिगं हेतु निर्धारित समय/अवधि

क्र0स0	अभिलेखो का नाम/विषय	समय/अवधि जब तक सुरक्षित रखा जाए /नष्ट किया जाए
1	2	3
1	सामान्य पत्र व्यहार उपस्थिति पंजी प्रांतीय फार्म नं0161	एक वर्ष
2	आकस्मिक अवकाश पंजी (एम0जी0ओ01981 संस्कर,पैरा 1086)	सामाप्त होने के एक वर्ष
3	आडिट महालेखाकार,विभागीय आन्तिरिक ,लेखाधिकारी द्वारा की गई पत्रावलियां	आपत्तियों के अन्तिम समाधान के बाद अगले आडिट होने तक ।
4	आय व्ययक अनुमान की पत्रावलियां	दस वर्ष
5	सरकारी धन औजर का आहरण कमी निष्प्रयोजय वस्तुओ के निस्तारण सम्बन्धी पत्रावलियां	अन्तिम निर्णय व वसुली राईटआफ के पश्चात तीन वर्ष
6	डेड स्टोक क्षय शील/उपभोग वस्तुओ व पुस्तकालय हेतु क्रय की गई पुस्तको आदि के पत्रव्यहार सम्बन्धी पत्रावलियां ।	स्टाक बुक में प्रविष्ट,विभिन्नताओ के समाधान एंव सत्य सम्बन्धी आडिट आपत्तियो के समाधान के पश्चात एक वर्ष
7	निरीक्षण टिप्पणीयो एंव उनके अनुपालन सम्बन्धी पत्र व्यहार की पत्रावलियां	उठाये गये विन्दुओ दिये गये सुझाओ के कार्यन्वयन के बाद अगले निरीक्षण तक
8	अधिकारों मांग के प्रस्ताव एंव अधिकारो के प्रतिनिधियन डेलीगोशन आफ पावर्स के आदेशो से सम्बन्धित पत्रावालिया	स्थायी रूप से
9	प्रपत्रो के मुद्रण सम्बन्धी पत्रावलिया	आडिट आपत्तियो के निस्तारण के बाद एक वर्ष
10	लेखन सामग्री /प्रपत्रो के मांग पत्र इन्डेन्ट स्टेशनरी मैनुअल पैरा 37तथा 39 क्रमशःप्रान्तीय प्रपत्र 173 तथा 174	तीन वर्ष तक
11	दौरो के कार्यक्रम तथा टुअर डायरी आदि को कोई निर्धारित हो	एक वर्ष बाद या गोपनचरित्रावली में प्रविष्टियां पूर्ण होने के बाद जो भी प्रतिफल प्रविष्टियों से सम्बन्धित हो तो उसे प्रत्यावेदनो के अनितम निस्तारण के एक वर्ष बाद ।
12	विभागीय वार्षिक प्रतिवेदन रिर्पाट	वर्षवार एक प्रति स्थाइ रूप से सुरक्षित रखी जाएगी शेष प्रतियां पाचॅ वर्ष तक
13	वार्षिक प्रतिवेदन के आकलन हेतु एकत्रित /प्राप्त सामग्रीया तथा उनकी पत्रावलिया	प्रतिवेदन छपने/प्रकाशित हो जाने के एक वर्ष बाद
14	सम्मेलनो /गोष्टीया`/ मिटिगों का कार्यवष्त	एक प्रति स्थायी रूप से रखी जाए शेष तीन वर्ष तक
15	विधान सभा /विधानपरिसद /लोक सभा व राज्य सभा की प्रश्नो की पत्रावलिया	पाचं वर्ष,किन्तु आश्वासन समितियों के दिये गये आश्वाशनो की पूर्ति के पाचं वर्ष बाद
16	नियमावलियो ,नियम,विनियम,अधिनियम प्रकिया परिपार्टी पदति तथा उनकी व्याख्या ,सशोंधन तथा उनकी पत्रावलिया	स्थायी रूप से
17	कार्य के मानक /स्टेन्डर्ड /नार्म निर्धारण सम्बन्धी शासकीय एंव विभागीय आदेश	स्थायी रूप से
18	बीडिंग शेडयुल /अभिलेख नियंत्रण नियम /सूची	पुनसंशोधन /रिवीजन/परिर्वतन की एक प्रति स्थायी रूप से तथा शेष तीन वर्ष तक
19	शासनादेशो / विभागीय आदेशो की गाड फाइलो	स्थायी रूप से
20	प्राप्त एंव प्रेषण पंजी प्रान्तीय फार्म न019	पच्चीस वर्ष तक
21	पत्रावलियां पंजी /फाइल रजिस्व /इन्डेक्स रजिस्टर प्रान्तीय प्रपत्र 20/21 /26 आदि ।	रजिस्टर में दर्ज अस्थायी रूप से सुरक्षित पत्रावलियों को नष्ट कर दिये जाने तथा स्थाई रूप से सुरक्षित रखे जाने वाली पत्रावलियो के रजिस्टर पर उत्तार दिये जाने के बाद
22	स्थायी पत्रावलियों के रजिस्टर	स्थायी रूप से
23	पियुन बुक प्रान्तीय फार्म न051	समाप्त होने के एक वर्ष बाद
24	चालान बही /इनवायस /प्रान्तीय फार्म	समाप्त होने के एक वर्ष बाद

	न061	
25	आवयिक /सामायिक विवरण पत्रो का रजिस्टर सूची लिस्ट आफ पीरियाडिकल एण्ड रिटर्नय ।	समाप्त होने के दो वर्ष बाद
26	सरकारी डाक पंजी प्रान्तीय फार्म न052	समाप्त होने के तीन वर्ष बाद तक अथवा उसमें अकित अवधि की आडिट आपत्तियों के समाधान के बाद एक वर्ष
27	शिकायतीपत्रो की पंजी एम0जी0ओ0 वर्ष 1981 संस्करण का पैरा 772 (7)	दर्ज पत्रो के अन्तिम निस्तारण हो जाने या समाप्त हो जाने पर अवशेष रजिस्टर पर उतर लेने के बाद ।
28	सरकारी गजट	डिविजनल कमिशनर एंव जिला जज के कार्यालय को छोडकर जहा गजट स्थायी रूप से रखा जाता है शेष कार्यालयो मे बीस वर्ष तक
29	सरकारी वाहनो की लाग बुक तथा रनिगं रजि।स्टर	वाहनो के निष्प्रयोज्य घोषित होकर निलामी द्वारा निस्तारण के बाद तथा आडिट हो जाने के बाद तक यादि कोई आडिट या निरिक्षण की आपत्ति निस्तारण हेतु शेष न हो ।
30	समाप्त पंजिकाओ की पंजी रजिस्टर आफ कमप्लिटेड रजिस्टर	किसी एक खण्ड में दर्ज सभी पंजियो को नष्ट कर देने के बाद या कुछ अवशेष पंजियो को दूसरे रजिस्टर में उत्तार लेने के तीन वर्ष बाद
31	अनिस्तारित प्रपत्रो की सूची रजिस्टर आफ पेन्डिगं रिफरेन्सेज	रजिस्टर समाप्त होने पर अवशेष अनिस्तारित पत्रो को दूसरे रजिस्टर पर उतार कर सत्यापन कराने के एक वर्ष बाद
32	स्थापना/अधिष्ठान –2/कर्मचारी /अधिकारियो की निजी पत्रावलिया पर्सनल पत्रावलिय	पेंषन के अन्तिम स्वीकर्षति के पश्चात पाचं वर्ष तक ।
क0स0	अभिलेखो का नाम/विषय	समय/अवधि जब तक सुरक्षित रखा जाए /नष्ट किया जाए
1	2	3
1	अस्थायी /स्थानापन नियुक्तियो हेतु मांगे गये प्रर्थाना पत्रो /प्राप्त अवेदन पत्रो की पत्रावलियां	पाचं वर्ष चूने गये /नियुक्त किये गये व्यक्तियो के प्रार्थना पत्रो को छोडकर जो स्थायी रूप से व्यक्तिक पत्रावली में रखे जायेगे
2	वाहन,साइकिल,गष्ह निर्माण ,सामान्य भाविष्य निर्वाह निधि आदि व इसी प्रकार के अन्य अग्रिमो से सम्बन्धित पत्रावलिया	अग्रिम की राशि व्याज सहित यदि कोई हो तो उसके भुगतान के पश्चात एक वर्ष ।
3	इनबेलिड पेंशन स्वीकर्षति के मामलो की पत्रावलियां	पचीस वर्ष तक
4	कर्मचारियो /अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति सम्बन्धी पत्रावलियां	पेंषन ग्रेजिवेटी आदि की स्वीकर्षति के बाद
5	ग्रेडेशन सूची	स्थायी रूप से
6	सेवापुस्तिका /सेवानिमावली	वित्तीय नियम सग्रह खण्ड दो भाग दो से चार सहायक नियम 136–ए के अनुसार
7	शपथ निष्ठा पंजी रजिस्टर आफ ओथ आफ एलिजियेन्त राजाज्ञा संख्या 3105/टी–बी–163–52–दिनाक 23–01–54 तथा संख्या 1241/–टी–बी–163/64 दिनाक 15–05–1964	नविन रजिस्टर में नकल करके उन्हे सत्यापित करा लिये जाने के बाद ।
8	स्थापना आदेश पंजी स्टेबलिसमेंन्ट ओडर बुक राजाज्ञा संख्या ए–1792/10–3–1929 दिनाक 11–04–30	स्थायी रूप से
9	स्थापना का वार्षिक संख्यात्मक विवरण राजाज्ञा संख्या ए–5441/10–15/7/62 दिनाक 24–02–1965 द्वारा निर्धारित	स्थायी रूप से
11	सरकारी कर्मचारियों /अधिकारियों के जमानती बोन्ड	सरकारी कर्मचारियो के पद छोडने के दस वर्ष बाद
12	वित्तीय नियम सग्रंह खण्ड पाचं भाग एक का पैरा 69–73	1,मुल पत्रव्यवहार 10 वर्ष बाद 2,वार्षिक सत्यापर का पत्र व्यवहार के सत्यापन के एक वर्ष बाद
13	पंजी जमानत वित्तीय नियम सग्रंह खण्ड पाचं भाग एक का पैरा 69–73	पैरा 73 वित्तीय नियम संग्रह खण्ड पाच भाग एक पद छोडने के छः माह बाद या नये रजिस्टर में प्रविष्टिया नकल करलेने के बाद
14	पेंशन ग्रेजिविटी,पारिवारिक पेंशनआदि की पत्रावलिया	भुगतान आडिट आपत्ति के अन्तिम निस्तारण तथा गोपनीय चरित्रवाली में प्रविष्टी के एक वर्ष बाद ।
15	राजकीय सेवा निवर्षत्ति के पूर्व चरित्र के सत्यापन (वेरिफिकेशन आफ कैरेक्टर एण्ड ऐटोसीडैन्ट)	सेवा निवर्षत्ति के पाचं वर्ष के बाद

16	विभिन्न पदो के सष्जन सम्बधी पत्रव्यवहार की पत्रावली	पद का सष्जन स्वीकष्त होने पर स्थायी रूप से अन्यथा तीन वर्ष बाद
17	नये मागों की अनुसूची सम्बन्धी पत्रवली	सूची की एक प्रति स्थायी रूप से रखी जायेगी शेष पत्रावली स्वीकर्षति अस्वीकर्षति के तीन वर्ष बाद
18	रेलवे रसीद रजिस्टर आर0आर0रजिस्टर	पूर्ण होने तथा आडिट हो जाने के तीन वर्ष बाद यदि बोर्ड आडिट आपत्तियां शेष न हो ।
19	टोलिफोन ट्रंककाल रजिस्टर	पूर्ण होने तथा आडिट आपत्ति न हो ने तथा कोई विल शेष न होने की दशा में एक वर्ष ।
20	मासिक व्याय पंजी /पत्रावली	व्याय के महालेखाकार के सत्यापन तथा अन्तिम समायोजन के पश्चात दो वर्ष बाद ।
21	बिल इन्केशमेंन्ट पंजी (वित्तीयनियम संग्रह खण्ड पाच भाग एक का पैरा 47–ए)	समाप्त होने के तीन वर्ष बाद यादि कोई आडिट आपत्ति निस्तारण हेतु अवशेष न हो और न तो किसी धनराशि के आहरण चोरी डकैती की घटना घटी हो ।
22	पी0एस0आर0पेइज स्टेम्पड रिसीट रजिस्टर राजाज्ञासंख्या ए–1–150/दस–10(2)/60 दिनाक28–04–1980तथाए–1–2878/दस–15(15)–78दिनाक 10–01–79	महालेखाकार के आडिट आपत्तियो के निस्तारण हो जाने के पाचं वर्ष बाद ।
23	टी0ए0कन्ट्रोल रजिस्टर	समाप्त होने पर तीन वर्ष बाद यदि निर्धारित एलाटमेंट से अधिक व्याय किये जाने का मामला विभागाध्यक्ष /शासन के विचाराधिन न हो
24	रसीद बुक इगु रजिस्टर (ट्रैजरी फार्म न0385) वित्तीय नियम सग्रह खण्ड पाचं भाग एक पैरा – 26	दस वर्ष यदि किसी रसीद बुक खो जाने या धन के गबन के मामले आनिस्तारित न हो तथा महालेखाकार का आडिट हो चुका हो
25	परमानेन्टऐडवांस रजिस्टर वित्तीय नियम सग्रह खण्ड पाचं भाग एक पैरा –67(5)	स्थायी रूप से ।
26	वैल्पएविल रजिस्टर वित्तीय नियम सग्रह खण्ड पाचं भाग एक पैरा 38	स्थायी रूप से ।
27	डुवलीकेट की (की) रजिस्टर वित्तीय नियम सग्रह खण्ड पाचं भाग एक पैरा–28 नोट (1)	स्थायी रूप से
28	आवासीय भवनो की किराया पंजी,(फार्म27) वित्तीय नियम सग्रह खण्ड पाचं भाग एक पैरा – 265	रजिस्टर समाप्त होने पर तीन वर्ष यदि कोई अवशेष किराए की वसूली का प्रकरण या आडिट आपत्तिया का निस्तारण अवशेष न हो

टी0एन0श्रीवास्तव
उप सचिव

शासनादेश संख्या 308/गअ–1/3(88)/2008 दिंनाक 6 जून 2008

6.4 पशुपालन विभाग के अन्तर्गत विभागाध्यक्षो/निदेशालयों एवं कार्यालायाध्यक्षो के कार्यालयों में अभिलेखन (recording)करने एवं नष्ट करने हेतु निर्धारित अवधि का विवरण

क्र0 स0	अभिलेखो का नाम/विषय	समय/अवधि जब तक सुरक्षित रखा जाए/नष्ट किया जाए	विशेष टिप्पणी
1	सामान्य पत्र व्यवहार संबधी पत्रावलियॉ		
2	उपस्थित पंजिका (प्रांतीय फार्म न0 161)	एक वर्ष	
3	आकस्मिक अवकाश पंजीका (एम0जी0ओ0 1981 संस्करण पैरा 1086)	समाप्त होने के एक वर्ष बाद	
4	निरीक्षण टिप्पणी एवं उनके अनुपालन संबधी पत्र व्यवहार की पत्रावलियॉ	उठाये गये बिन्दुओ, दिये गये सुझावों के कार्यान्वयन के बाद अगले निरीक्षण तक।	
5	अधिकारों के मॉग के प्रस्ताव एवं अधिकारों के प्रतिनिधायन (डेलीगेशन आफॅ पावर्स)के आदेशो से संबधित पत्रावलियॉ	स्थायी रूप से।	
6	दौरों के कार्यक्रम तथा टूअर डायरी यदि कोई निर्धारित हो।	एक वर्ष बाद या गोपनीय चरित्रावली में प्रविष्टिॅया पूर्ण होने के बाद जो भी पहले हो किन्तु यदि कोई प्रतिकूल प्रविष्टियॉ से संबध हो तो उसे प्रत्यावेदनों के अन्तिम निस्तारण के एक वर्ष बाद।	

7	विभागीय वार्षिक प्रतिवेदन रिपोर्ट	वर्षवार एक प्रति स्थायी रूप से सुरक्षित रखी जायेी। शेष प्रतियॉ पॉच वर्ष तक।	
8	वार्षिक प्रतिवेदन के सकंलन हेतु एकत्रित /प्राप्त सामग्रियों तथा उनकी पत्रावली	प्रतिवेदन छपने/प्रकाशित हो जाने के एक वर्ष तक।	
9	सम्मेलनों/गोष्टियों/मीटिगों का कार्यवृत्त	एक प्रति स्थायी रूप से रखी जाए शेष तीन वर्ष तक।	
10	विधान सभा/लोक सभा व राज्य सभा के प्रश्नो की पत्रावलियॉ	पॉच वर्ष किन्तु आश्वासन समितियों को दिये आश्वासनों की पूर्ति के पॉच वर्ष बाद।	
11	नियमावलियो, नियम,विनियम, अधिनियम,प्रक्रिया, पद्वती तथा उनकी व्याख्या तथा नियमों में संशोधन संबधी पत्रावलियॉ	स्थायी रूप से।	
12	कार्य का मानक/स्टैन्डर्ड/नार्म निर्धारण संबधी शासकीय एवं विभागीय आदेश	स्थायी रूप से।	
13	शासनादेश/विभागीय आदेशो की गार्ड फाईले	स्थायी रूप से।	
14	प्राप्त एवं प्रेषण पंजीका (प्रान्तीय फार्म न0 19)	पच्चीस वर्ष तक।	
क्र0 स0	अभिलेखो का नाम/विषय	समय/अवधि जब तक सुरक्षित रखा जाए/नष्ट किया जाए	विशेष टिप्पणी
14	पत्रावली पंजीका/फाइल रजिस्टर/इन्डेक्स रजिस्टर (प्रान्तीय प्रपत्र 20/21,26 आदि)	रजिस्टर में दर्ज अस्थायी रूप से सुरक्षित पत्रावलियॉ को नष्ट कर दिये जाने तथा स्थायी रूप से सुरक्षित रखे जाने वाली पत्रावलियॉ के रजिस्टर पर उतार दिये जाने के बाद	
15	स्थायी पत्रावली का रजिस्टर	स्थायी रुप से	
16	पीयुन बुक(प्रान्तीय फार्म न0 51)	समाप्त होने के एक वर्ष बाद तक	
17	चलान बही(इन्वाइस)(प्रान्तीय फार्म न0 61)	समाप्त होने के एक वर्ष बाद तक	
18	आवधिक/सामयिक विवरण पत्रों का रजिस्टर सूची(लिस्ट आफ पीरियाडिकल रिर्पोटस एण्ड रिटर्नस)	समाप्त होने के दो वर्ष बाद तक	

19	स्रकारी डाक टिकट पंजिका(प्रान्तीय फार्म न0 53)	समाप्त होने के तीन वर्ष तक अथवा उसमें अंकित अवधि की आडिट आपत्तियों के समाधान के पश्चात एक वर्ष	
20	शिकायत ीपत्रों की पंजिका(एम0जी0ओ0 वर्ष 1981 संस्करण का पैरा 772(7)	दर्ज पत्रों के अंतिम निस्तारण हो जाने या समाप्त हो जाने पर अवशेष को दूसरे रजिस्टर में उतार लेने के बाद	
21	स्रकारी गजट	डिवीजनल कमिश्नर एवं जिला जज के कार्यालयो को छोडकर जहां गजट स्ळाायी रुप से रखा जाता है,शंष कार्यालयों में बीस वर्ष तक ।	
22	स्रकारी वाहनो की लाग बुक तभा रनिंग रजिस्टर	वाहन के निस्प्रयोजित घोषित होकर नीलाम द्वारा निस्तारण के बाद तथा आडिट हो जाने के एक वर्ष बाद तक,यदि कोई आडिट या निरीक्षण की आपत्ति निस्तारण हेतु शेष न हो ।	
23	समाप्त पंजियों की पंजिका(रजिस्टर आफ कम्पलीटेड रजिस्टर्स)	किसी एक खण्ड में दर्ज सभी पंजियों को नष्ट कर देने के पश्चात या कुछ अवशेष पंजियों को दूसरे रजिस्टर में उतार लिये जाने के तीन वर्ष बाद ।	
24	अनिस्तारित पत्रों की सूची/रजिस्टर(लिस्ट आफ पेंडिग रिफरेन्सेज)	रजिस्टर समाप्त होने पर अवशेष अनिस्तारित पत्रों को दूसरे रजिस्टर पर उतार कर सत्यापन कराने के एक वर्ष बाद	
25	गार्ड फाइल्स	स्थायी रुप से	
26	लोकल डाक वितरण पंजिका	पांच वर्ष पश्चात	
27	अनुसूचित जाति/जनजाति के आरक्षण से	समस्त वाद,अपील एवं प्रत्यावेदन के	

	सम्बन्धित पत्रावली एवं रजिस्टर	अंतिम निस्तारित होने के 10 वर्ष बाद ।	
ख– स्थापना/अधिष्ठान संबंधी पत्रावलियों के रजिस्टर			
1	कर्मचारियों/अधिकारियों की निजी पत्रावलियों(पर्सनल पत्राावलियां)	पेंशन की अंतिम स्वीकृती के पश्चात पांच वर्ष तक	निजी पत्रावलियां व्यक्ति के स्थानान्तरण के साथ उसी प्रकार एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय मे स्थानान्तरण के साथ उसी प्रकार एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में स्थानान्तरित की जानी चाहिए,जैसे सेवा पुस्तिकाएं तथा गोपनीय आख्याएं आदि स्थानान्तरित की जाती हैं।
2	अस्थायी2स्थानापन्न नियुक्तियों हेतु मांगे गए प्रार्थना पत्रों की पत्राावलियां	पांच वष(चुने गए/ नियुक्त किये गए व्यक्तियों के प्रार्थना पत्रों को छोडकर जो स्थायी रुप से वैयक्तिक पत्राावलियों में रखे जायेगे)	
3	नवैलिड पेंशन स्वीकृती के मामलों की पत्राावलियां	पच्चीस वर्ष तक	
4	कर्मचारियों/अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति डेपुटेशन पर नियुक्ति सम्बन्धी पत्राावलिया	पेंशन,ग्रेच्युटी आदि की स्वीकृती के पांच वर्ष तक	
5	डेशन सूची	स्थायी रुप से	
6	स्वेा पुस्तिकाएं/सेवानियमावलियां	वित्तीय नियम संग्रह,खण्ड दो भाग 2 से 4 के सहायक नियम 136–एक के अनुसार	
7	शपथ/निष्ठा पंजी (रजिस्टर ऑफ ओथ ऑफ विलिजियेन्स) राजाज्ञा संख्या–3105 सी0बी0–163–52 दिंनाक 23.01.54 तथा संख्या 1241/दो–बी–163/64/दिंनाक 15.05.64	नवीन रजिस्टर में प्रविष्टियॉ नकल करके उन्हे सत्यापित करा लिये जाने के बाद	
8	स्थापना आदेश पंजी (इस्टेब्लिशमेन्ट आर्डर बुक) राजाज्ञा संख्या –ए–1792/दस–3–1929 दिंनाक 11.04.30	स्थायी रूप से।	
9	स्थापना का वार्षिक संख्यात्मक विवरण (राजाज्ञा संख्या–ए–5641/दस–15/7/62/दिंनाक 24.02.65 द्वारा निर्धारित	स्थायी रूप से।	
10	गोपनीय चरित्र पंजिकाये/गोपनीय आख्याये	सेवा निवृत्ति /पदत्याग या समाप्ति के तीन वर्ष बाद।	
क0 स0	अभिलेखो का नाम/विषय	समय/अवधि जब तक सुरक्षित रखा जाए/नष्ट किया जाए	विशेष टिप्पणी
11	सरकारी कर्मचारियों/अधिकारियों के जमानती बांड (वित्तीय नियम–संग्रह खण्ड पॉच भाग–एक पैरा 69–73)	सरकारी कर्मचारियों के पद छोडने के 10 वर्ष बाद 1–मूल पत्र व्यवहार 10 वर्ष बाद। 2–वार्षिक सत्यापन का पत्र व्यवहार सत्यापन के एक वर्ष बाद	
12	पंजी जमानत (वित्तीय नियम–संग्रह, खण्ड पॉच भाग–एक का पैरा 69–73)	पैरा 73 वित्तीय नियम–संग्रह खण्ड–5 भाग एक पद छोडने के 6 माह बाद या नये रजिस्टर में प्रविष्टियॉ नकल कर लेने के बाद।	
13	पेशन,ग्रेच्यूटी, पारिवारिक पेंशन आदि की पत्रावली	सेवा निवृत्ति पर स्वीकृति व भुगतान के पश्चात 10 वर्ष	
14	पारिश्रामिक/पारितोषिक स्वीकृति संबधी पत्रावलियॉ	भुगतान, आडिट आपत्ति के अन्तिम निस्तारण तथा गोपनीय चरित्रपंजी में	

		प्रविष्टि के एक वर्ष बाद।	
15	राजकीय कर्मचारियों के पूर्व–चरित्र का सत्यापन (वैरिफिकेशन आफॅ कैरेक्टर एन्ड ऐन्टीसीडेन्टस)	सेवानिवृत्ति के पॉच वर्ष बाद तक।	
16	विभिन्न पदो के सृजन संबधी पत्र व्यवहार की पत्रावली।	पद के सृजन स्वीकृत होने पर स्थायी रूप से अन्यथा तीन वर्ष।	
17	नई मॉगो के अनुसूची संबधी पत्रावली।	सूची की एक प्रति स्थायी रूप से रखी जाएगी।शेष पत्रावली स्वीकृति /अस्वीकृति के तीन वर्ष बाद तक।	
18	वर्षिक वेतन वृद्धि नियंत्रण पंजी।	रजिस्टर समाप्त होने के पॉच वर्ष बाद।यदि किसी रोकी गई वेतनवृद्धि का मामला अनिस्तारित न हो या कोई आडिट आपत्ति का निस्तारण अवशेष न हो।	
19	पेंशन कन्ट्रोल रजिस्टर (राजाज्ञा संख्या–जी) 2–3994 / दस–927–1958 / दिंनाक 10.02.1964 में निर्धारित	रजिस्टर में दर्ज सभी मामलों का अन्तिम निस्तारण हो जाने व रजिस्टर समाप्त हो जाने के पॉच वर्ष तक।	
20	अनुशासनिक कार्यवाही रजिस्टर (राजाज्ञा संख्या–7–2–1975–नियुक्ति–3 दिंनाक 4.7. 1973 में निर्धारित)	सभी दर्ज मामलो का अन्तिम निस्तारण हो जाने व रजिस्टर समाप्त हो जाने के पॉच वर्ष तक।	
21	प्रत्यावेदन / अपील नियंत्रण पंजी (राजाज्ञा संख्या–7–2–1975–नियुक्ति–3 दिंनाक 4.7. 1973 में निर्धारित)	सभी दर्ज प्रत्यावेदनों / अपीलों के अन्तिम निस्तारण के पॉच वर्ष बाद।	
22	सेवाओं में आरक्षण 1–विभिन्न संवर्गो के रोस्टर	स्थायी रूप से।	
क्र0 स0	अभिलेखो का नाम / विषय	समय / अवधि जब तक सुरक्षित रखा जाए / नष्ट किया जाए	विशेष टिप्पणी
23	चिकित्सा प्रतिपूर्ति प्रकरण	महालेखकार द्वारा आडिट के पश्चात यदि कोई आपत्ति न हो।	
24	मानदेय संबधी पत्रावली	भुगतान के तीन वर्ष पचात / आडिट निस्तारण के पश्चात।	
25	वार्षिक स्थानान्तरण संबधी पत्रावली	दो वर्ष पश्चात।	
26	विभागीय सामान्य आदेश पत्रावली	पॉच वर्ष बाद।	
27	सामान्य पत्राचार पत्रावलियॉ	एक वर्ष बाद।	
28	बै0बी0एस0सी0 करने संबध ीपत्रावलियॉ	डिग्री पूर्ण करने पर अथवा लोक सेवा आयोग से नियुक्ति उपरान्त।	
29	सूचना अधिकार के अर्न्तगत पत्राचार / प्रत्यावेदन की पत्रावलियॉ / पंजिकाये	आवेदनकर्ता को सूचना उपलब्ध कराने तक अथवा एक वर्ष या अपील समाप्ति तक।	
30	अपीलकर्ता द्वारा अपीलीय अधिकारी को भेजे जाने वाले पत्रों की पत्रावलियॉ	अपील समाप्ति पर अथवा एक वर्ष पश्चात।	
31	मूवमेट पंजिका	एक वर्ष पश्चात	
32	वेतन मॉग पत्र संबधी पत्र / पत्रावलियॉ	एक वर्ष पश्चात / कोई वेतन का प्रकरण अवशेष न हो।	
33	जॉच पत्रावली	जॉच पूर्ण होने के एक वर्ष पश्चात।	
34	सेवा निवृत्ति के उपरान्त कर्मचारियो / अधिकारियों की सेवा पुस्तिका	पेंशन निस्तारण अथवा पॉच वर्ष पश्चात।	
35	सेवानिवृत्ति के उपरान्त अधिकारियों / कर्मचारियों की वैयक्तिक पत्रावलियॉ	दो वर्ष पश्चात।	
36	सेवानिवृत्ति के उपरान्त अधिकारियों / कर्मचारियों की चरित्र प्रविष्टियॉ	दो वर्ष पश्चात।	
37	पदों का रजिस्टर	स्थायी रूप से।	
38	रोस्टर पंजिका	स्थायी रूप से।	
39	रिमाउन्ट वैटनरी कोर के सेवानिवृत्त ड्रेसरो की नियुक्ति संबधी पत्रावलियॉ	नियुक्ति होने के दो वर्ष पश्चात।	
40	लोक सेवा आयोग को भेजे गये अधियाचन संबधी पत्रावली।	नियुक्ति होने के दस वर्ष पश्चात।	

41	पशुधन प्रसार अधिकारियों के चयन संबधी पत्रावली	नियुक्ति होने के 6 वर्ष पश्चात।	
42	कार्मिकों के प्रशिक्षण संबधी पत्रावली	एक वर्ष पश्चात।	
43	सामान्य कोर्ट केस संबधी पत्रावली।	अन्तिम निर्णय होने के तीन वर्ष पश्चात	
44	राजकीय कार्यालय के निरीक्षण संबधी पत्राावली	अनुपालन आख्या प्रेषित करने के दो वर्ष पश्चात अथवा अगले निरीक्षण तक।	
क्र.	अभिलेखो का नाम/विषय	समय/अवधि जब तक सुरक्षित रखा जाए/नष्ट किया जाए	विशेष टिप्पणी
45	स्क्रीनिंग संबधी पत्रावली	दो वर्ष पश्चात।	
46	उदघाटन,प्रेस सेमिनार कान्फ्रेस बैठक आदि की पत्रावलियॉ	एक वर्ष पश्चात।	
47	मृतक सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों की नियुक्ति संबधी पत्रावलियॉ	सभी मामलो में नियुक्ति आदेश की प्रति वैयक्तिक पत्रावली में रखे जाने 10 वर्ष बाद	
48	सेवा योजन कार्यालय के माध्यम से हुई नियुक्ति	10 वर्ष।	
49	दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की नियुक्ति	महालेखाकार उत्तराखण्ड का आडिट हो जाने के 3 वर्ष बाद।	
50	विभागीय चयन समिति से संबधित पत्रावली।	समस्त वाद, अपील एवं प्रत्यावेदन के अन्तिम निस्तारित होने के 10 वर्ष बाद।	
51	गर्मियों एवं सर्दियो की वर्दी	महालेखकार उत्तराखण्ड का आडिट हो जाने के 3 वर्ष बाद।	

ग–बजट,लेखा,आडिट/पशुधन एवं सांख्यकी संबधी पत्रावलियॉ/रजिस्टर

1	आडिट महालेखाकार /विभागीय आन्तिरिक लेखाधिकारी द्वारा की गयी आडिट पत्रावलियॉ	आपत्तियों के अन्तिम समाधान विभागाध्यक्ष	
2	आय–व्यय अनुमान की पत्रावलियॉ		
3	सरकारी धन, भण्डार का अपहरण, कमी, निष्प्रयोज्य वस्तुओं के निस्तारण आदि संबधी पत्रावलियॉ	अन्तिम निर्णय व वसूली राइट आफॅ के पश्चात तीन वर्ष।	
4	डेड स्टाक,क्षय शील/उपभोग वस्तुओं एवं पुस्तकालय हेतु कय की गई पुस्तकों आदि के पत्र व्यवहार संबधी पत्रावलियॉ	स्टाक बुक में प्रविष्टि, विभिन्नताओं के समाधान एवं तत्संबधी आडिट आपत्तियों के समाधान के पश्चात एक वर्ष।	
5	प्रपत्रों के मुद्रण संबधी पत्रावलियॉ	आडिट आपत्तियों के अन्तिम निस्तारण के पश्चात एक वर्ष	
6	लेखन सामग्रियो/प्रपत्रों के मॉग पत्र (इन्डेन्ट)स्टेशनरी मैनुअल का पैरा 37 तथा 39)	तीन वर्ष तक	
7	वीडिंग शेडयूल/अभिलेख नियंत्रण नियम सूची	पुनः संशोधन/रिवीजन/परिवर्तन की एक प्रति स्थायी रुप से तथा शेष तीन वर्ष तक	
8	वाहन/साईकिल,गृह निर्माण आदि या इसी प्रकार के अन्य अग्रिमों से सम्बन्धित पत्राावलियां	अग्रिम के समय बन्धित संपत्ति के बंधक मुक्त हो जाने के एक वर्ष बाद	
9	भविष्य निर्वाह निधि के रजिस्टर 1. लेजर 2. ब्राड शीट 3. इन्डेक्स 4. पाास बुकें	सभी दर्ज कर्मचारियों के सेवा निवृत्ति के पांच वर्ष बााद,यदि कोई भुगतान के मामले शेष न रह गए हों । तदैव	
10	1. सामान्य भविष्य निधि अग्रिम स्वीकृती पत्रावलियां 2. 90 प्रतिशत भुगतान /लिंक बीमा भुगतान पत्रावलियां 3. यात्रा भत्ता प्रकरण	अग्रिम की वसूली के एक वर्ष बाद अन्तिम अवशेष महालेखाकार से प्राप्ति के पांच वर्ष बाद या वसूली यदि कोई हो तो उसके निस्तारण के बाद आडिट हो जाने के एक वर्ष बाद	
11	टी0ए0 बिल तथा टी0ए0 चैक रजिस्टर वित्तीय नियम	आडिट हो जाने के तीन वर्ष बाद	

	संग्रह–खंड 5,भाग –एक पैरा 119		
12	बजट प्राविधान के समक्ष व्यय की राशियों की पत्राावली	महालेखाकार के अंतिम सत्यापन व समाायोजन के एक वप्र बाद	
13	प्रासंगिक ब्यय पंजी(कन्टीजेन्टरजिस्टरवित्तीय नियम संग्रह खंड 5 भागएक पैरी 173	आडिट के पांच वर्ष बादयदि कोई आडिट का निस्तारण अवशेष न हो ।	
14	भुगतान बिल पंजी तथा भुगतान पंजी रोल वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 का पैरा 138 फार्म 11 बी के अनुसार	पैतीस वर्ष वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 का पैरा 85 परिशिष्ट 16 के अनुसार	
15	रजिष्टर 11–सी वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 का पैरा 139	आडिट हो जाने के तीन वर्ष बाद ।	
16	कैश बुक	आडिट हो जाने के बारह वर्ष बाद यदि कोई आडिट आपत्ति का निस्तारण अवशेष न हों ।	
17	ट्रेजरी बिल रजिस्टर राजाज्ञा संख्या 2158/सोलह (71)/68 टी0टी0 दि0 7.05.1970 द्वारा निर्धारित	पूर्ण होने तथा आडिट हो जाने के तीन वर्ष बाद यदि कोई आडिट आपत्ति शेष न हो	
18	रेलवे रसीद रजिस्टर (आर0आर0 रजिस्टर)	पूर्ण होने तथा आडिट हो जाने के तीन वर्ष बाद यदि कोई आडिट आपत्ति शेष न हो ।	
19	टेलीफोन ट्रंकाल रजिस्टर	पूर्ण होने तथा आडिट आपत्ति शेष न हो तथा बिल भुगतान हेतु शेष न होने की दशा में एक वर्ष।	
20	मसिक व्यय पंजी /पत्राावली	व्यय के माह लेखाकार के सत्यापन तथा अंतिम समाायोजन के पश्चात दों वर्ष ।	
21	बिल इनकेशमेन्ट पंजी वित्तीय नियम संग्रह ,खंड पांच भाग–1 का पैरा 47 –ए	समाप्त होने के तीन वर्ष बाद यदि कोई आडिट आपत्ति निस्तारण हेतु अवशेष न हो और न किसी धनराशि के अपहरण,चोरी,डकैती आदि की घटना घटी हो ।	
22	टी0ए0 कन्ट्रोल रजिस्टर	समाप्त होने के तीन वर्ष बाद,यदि निर्धारित एलाटमेंट से अधिक व्यय किये जाने का मामला विभागाध्यक्ष/शासन के विचाराधीन न हो ।	
23	पी0 एस0 आर0(पेइज स्टैम्पड रिसीट रजिस्टर)राजाज्ञा सं0 ए–1–150/दस–10(2)60 दि0 28.04.1959 तथा ए–1–2878/दस–15(5)–78 दि0 10.01.1979	महालेखाकार के आडिट की आपत्तिया के निस्तारण हो जाने के पांच वर्ष बाद ।	
24	रसीद बुक,इशु रजिस्टर(ट्रेजरी फार्म न0 385) वित्तीय नियम संग्रह ,खंड पांच भाग–1 का पैरा 38	दस वर्ष,यदि किसी रसीद बुक के खो जाने पर या धन के गबन के मामले अनिस्तारित न हों तथा महालेखाकार का आडिट हो चुका हो	
25	परमानेंट एडवांस रजिस्टर वित्तीय नियम संग्रह ,खंड पांच भाग–1 का पैरा 67–5	स्थायी रुप से	
26	वैल्यूएबिल रजिस्टर वित्तीय नियम संग्रह ,खंड पांच भाग–1 का पैरा 38	स्थायी रुप से	
27	डुप्लीकेट की रजिस्टर वित्तीय नियम संग्रह ,खंड पांच भाग–1 का पैरा 28,नोट (1)	स्थायी रुप से	
28	आवासीय भवनों का किराया पंजी– 27 वित्तीय नियम संग्रह ,खंड पांच भाग–1 का पैरा 265	रजिस्टर समाप्त होने पर तीन वर्ष यदि कोई प्रकरण या कोई आडिट की आपत्ति का निस्तारण शेष न हो ।	
29	प्रिआडिट बिल पंजिका/पत्रावलियां	तीन वर्ष बाद	

30	क्रय कार्यवाही संबंधी निविदा,कोटेशन पत्रावली/अन्य अभिलेख	महालेखाकार एवं विभागीय सम्परीक्षण के निस्तारण पर तीन वर्ष	
31	कन्ज्यूमेबिल स्कन्ध बुक	महालेखाकार/विभागीय आडिट के निस्तारण के पांच वर्ष बाद	
32	स्टेशनरी स्कन्ध बुक	महालेखाकार/विभागीय आडिट के निस्तारण के पांच वर्ष बाद	
33	पुस्तकों की स्कन्ध पुस्तक	स्थाई	
34	कोर्ट केस से सम्बन्धित पत्रावली	अंतिम निर्णय होने के तीन वर्ष पश्चात	
36	भूमि भवन से सम्बन्धित पत्रावली	हस्तानान्तरण के 5 वर्ष पश्चाात	
37	भूमि भवन से सम्बन्धित पंजिका/दस्तावेज	स्थाई	
38	अपलेखन से सम्बन्धित पत्राावली	दो वर्ष्र बाद	
39	अपलेखन से सम्बन्धित पंजिका	स्थाई	
40	औषधि वितरण पंजिका	महालेखाकार/विभागीय आडिट के निस्तारण के पांच वर्ष बाद	
41	चारा/चारा बीज वितरण/फसल चक्र पंजिका	तदैव	
42	बाहय रोगी/लेबी/टीकाकरण पंजिका	तदैव	
43	कृत्रिम गर्भाधान पंजिका	तदैव	
44	सामान्य पत्र व्यवहार पत्रावली	तीन वर्ष पश्चात	
45	स्वास्थ्य प्रमाण पत्र एवं पोस्टमार्टम पत्रावली/पशुबीमा पत्रावली	दावे समाप्ति के निस्तारण के एक वर्ष बाद	
46	पशु कुक्कुट क्रय वितरण पंजिकायें	महालेखाकार/विभागीय आडिट के निस्तारण के पांच वर्ष बाद	
47	आहार उपयोग/वितरण पंजिकायें	तदैव	
48	श्राजकीय प्रक्षेत्रों की पशु/पक्षी पंजिका	तदैव	
49	ऊन/दुग्ध उत्पादन पंजिकायें	तदैव	
50	पशु/पक्षी नीलामी/विचयन पत्रावली	तदैव	
51	लाइवस्टाक पंजिका	पंजिका में अंकित पशुओं के निस्तारण के बाद सत्यापनोरान्त	
52	भूमि,भवन,जल,विुत जमानती पंजिकायें	स्थाइ रुप में	
53	विभिन्न विशेष योजनाओं से सम्बन्धित पंजिकायें	महालेखाकार/विभागीय आडिट के निस्तारण के पांच वर्ष बाद	
54	वर्षिक सर्वेक्षण कार्य यथा ग्रीष्म,वर्षा एवं शरद ऋतु में दुग्ध,अण्डा,ऊन व मांस उत्पादन(पंजीकृत बधालयों पर) के आंकडे एकत्रित की गई अनुसूचियां ।	भारत सरकार से अनुमोदित होने के तीन वर्ष बाद	
55	वर्षिक सर्वेक्षण काय सम्पन्न कराने हेतु पत्र व्यवहार सम्बन्धी पत्रावलियां	तदैव	
56	वर्षिक सर्वेक्षण के आधार पर ऋतुवार यथा दुग्ध,अण्डा,ऊन व मांस उत्पादन(पंजीकृत बधालयों पर) के वर्षवार अनन्तिम एवं अंतिम भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरांत	तदैव	
57	प्शुधन संगणना कार्य मे उपयोग मे लायी जाने वाली अनुसूचियां	भारत सरकार से अनुमोदन/अगली पशुगणना के दो वर्ष बाद	
58	प्शुधन संगणना कार्य समपन्न कराए जाने हेतु पत्र व्यवहार सम्बन्धी पत्रावलियां	तदैव	
59	समपन्न प्शुधन संगणना कार्य (भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरांत)आंकडे	स्थाइ रुप में	
60	वर्षिक योजनाओं की संरचना पत्रावलियां	सम्बन्धित पंचवर्षीय योजनाकाल तक	
61	पंचवषीय योजनाओं की संरचना पत्रावलियाँ	सम्बन्धित पंचवषीय योजनाकाल तक	
62	भवन निर्माण सम्बन्धी पत्रावलियां/प्रस्ताव	तदैव	
63	विभागीय संस्थाओं की स्थापना संबंधी पत्रावलियां/प्रस्ताव	तदैव	

64	प्रशिक्षण काय्रक्रम से संबंधित पत्रावली	तदैव	
65	मा0 मुख्यमंत्रीजी/मंत्री जी द्वारा की गयी घोषणाओं की पत्रावलियां	पांच वर्ष तक	
66	मा0 प्रधानमंत्री जी द्वारा की गयी घोषणाओं की पत्रावलियां	तदैव	
67	आयोजनागत योजनाओं के बजट से संबंधित/आय वययक पत्रावली ।	तदैव	
68	आयोजनागत योजनाओं की मासिक प्रगति पत्रावली	तदैव	
69	महालेखाकार,उत्तराखंड से प्राप्ति तथा व्यय के आंकडो का समाधान	आंकडो के पूर्व सत्यापन मिलान एवं एप्रोप्रिएशन एकाउन्ट को अंतिम करने के पश्चात 2 वर्ष	
70	राइट आफ हानियां	महालेखाकार,उत्तराखंड का आडिट हो जाने के 3 वर्ष बाद यदि कोई प्रकरण लंबित न रह गया हो ।	
71	स्रकारी धन और भंडार के दुर्विनियोग और गबन	प्रकरण के पूव अंतिम निस्तारण हो जाने एवं महालेखाकार,उत्तराखंड का आडिट हो जाने के 3 वर्ष बाद	
72	आवास भत्ता एवं अन्य भत्ता ।	महालेखाकार,उत्तराखंड का आडिट हो जाने के 3 वर्ष बाद	

(जी0 बी0 ओली) संयुक्त
सचिव

(मैनुअल–7)

किसी व्यवस्था की विषिश्टियां जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्ष के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान है

विषय सूची

क0 सं0	विवरण	पेज नं0
7.1	नीति निर्धारण हेतु	49–51
7.2	राष्ट्रीय पशुमाता उन्मूलन कार्यक्रम	52

7.1 नीति निर्धारण हेतु

नीति निर्धारण के सम्बन्ध में जनप्रतिनिधि से परामर्ष के बनाई गई व्यवस्था का विवरण

लोक प्राधिकरण नीति निर्धारण के सम्बन्ध में जनता या जनप्रतिनिधियों का परामर्ष /भागीदारी का प्राविधान :–

विषय/योजना का नाम	क्या इस विशय में जनता की भागीदारी अनिवार्य है।	जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए की गई व्यवस्था
1–योजना के कियान्वयन अ–नइ संस्थाओ की स्थापना पशुऔषाधालय	जनता की भागीदारी अनुवार्य है क्यो कि जब तक जनता से किसी संस्था की स्थापना हेतु परामर्श न किया जाए किसी संस्था के सष्जन करने में व्यवहारिक रूप से अड़चने पैदा होती है॰ उप निदेशक , अपर निदेशक ,शासन को सम्पुर्ण स्थिति से अवगत कराना व अनुश्रवण	न्यायपचांयत स्तर /क्षेत्रपचायत स्तर पर स्थान के चेन के सम्बन्ध में क्षेत्र पचायंत सदस्या ग्राम प्रधान सम्बन्धित पशुधन प्रसार अधिकारी ,की समिति गठित कर स्थान का चयन किया जाना चहिए मु0प0चि0अ0 को प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए ।
नये चिकित्सालय	स्थान विषेश कि आवश्यकता को देखते हुए जनप्रतिनिधि मा0 विधायक /विधानसभा सदस्य व संसद सस्दय के परामर्श के अनुसार सहभागिता की आवश्यकता है। उप निदेशक ,अपर निदेशक ,व शासन को सम्पुर्ण स्थिति से अवगत कराना व अनुश्रवण	सम्बन्धित क्षेत्र के प्रमुख ,खण्ड विकास अधिकारी ,विकास खण्ड के अन्तर्गत पशु चिकित्साधिकारी की समिति गठित कर स्थान का चयन किया जाना व प्रस्ताव मुख्य पशु चिकित्साधिकारी ,को भेजना
भवन निर्माण हेतु भुमि का चयन	सम्बन्धित क्षेत्र के ग्राम॰प्रधान न्याय पचांयत सदस्य /क्षेत्र पचांयत सदस्य पशु चिकित्साधिकारी ,मुख्य पशुचिकित्साधिकारी की सयुक्त समिति गठित कर भूमि अधिग्रहण सम्बन्धि कार्य । उप निदेशक अपर निदेशक,व शासन को सम्पुर्ण स्थिति से अवगत कराना व अनुश्रवण	न्याय पचायत स्तर पर समन्वय समिति गठित कर मु0प0चि0अ0 को निर्माण के आगणन तैयार करने हेतु निर्माणदायी विभाग से सम्पर्क करना व आगणन प्राकलन मु0प0चि0अ0 प्रस्तुत करने हेतु सहयोग करेगी ।
चयनित भूमि को विभाग के नाम पंजीकष्त करना	ग्राम प्रधान न्याय पचायत/क्षेत्र पचायत सदस्य की सहभागिता आवश्यक है। उप निदेशक अपर निदेशक,व शासन को सम्पुर्ण स्थिति से अवगत कराना व अनुश्रवण	क्षेत्र लेखपाल तहसीलदार परगनाधिकारी की संस्तुति के आधार पर भूमि का पंजीकरण किया जाना
पशुओ में विभिन्न बीमारीयो के रोकथाम हेतु टीकाकरण चिकित्साअदि की व्यवस्था के लिए क्षेत्र में कार्यरत पशुधन प्रसार अधिकारी /पशु चिकित्साधिकारी से सम्पर्क कर टीमगठित करना तथाबीमारियो के विसरापोस्टमार्डम कर परीक्षण हेतु भेजना व सूचना प्राप्त होने पर निर्द्रेशोको प0चि0अ0व क्षेत्र में बताकर आवश्यक निर्देश देना	जनता की सहभागिता आवश्यक है। उप निदेशक अपर निदेशक,व शासन को सम्पुर्ण स्थिति से अवगत कराना व अनुश्रवण	न्याय पचांयत /क्षेत्र पचायत स्तर पर कार्यरत प0प्र0अ0॰ग्राम प्रधान की सहमति व सहयोग के आधार पर
अनुसूचित जाति/ जनजाति एवं निर्वल वर्ग	गरीबी रेखा से निचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति /जनजाति व निर्वल वर्ग	क्षेत्र प्रधान पशुधन प्रसार अधिकारी ,पशु चिकित्साधिकारी ,खण्ड

के उत्थान वैक्यार्ड कुक्कुट पालन व बछिया पालन की स्थापना	के व्यक्तियो के चयन हेतु सम्बन्धित क्षेत्रो के क्षेत्र पचायत सदस्य ग्राम प्रधान की सहभागिता से क्षेत्र के पशुधन प्रसार अधिकारी को लाभार्थी चयन हेतु सहयोग देना । उप निदेशक अपर निदेशक,व शासन को सम्पुर्ण स्थिति से अवगत कराना व अनुश्रवण।	विकास अधिकारी प्रमुख क्षेत्र पचांयत क्षेत्र विकास की एक समन्वय समिति गठित होगी जिसकी सूचि जिला समाज कल्याण अधिकारी ,के अवलोकनार्थ प्रेषित किया जाना
पशु प्रदर्शनियां /गोष्टीया /दुधारू पशुओ के बाझपन निवारण शिविरो का आयोजन किया जाना	जन सहभागिता ,जन प्रतिनिधि के सहयोग की आवश्यकता होगी । क्षेत्र में कार्यरत पशुधन प्रसार अधिकारी ,पशु चिकित्साधिकारी को सम्पर्क करने पर सहयोग देना । उप निदेशक अपर निदेशक,व शासन को सम्पुर्ण स्थिति से अवगत कराना व अनुश्रवण।	न्याय पचायंत/क्षेत्र पंचायत स्तर पर पशुधन प्रसार अधिकारी विकास खण्ड स्तर पर पशु चिकित्साधिकारी ,की एक सम्बन्धित समिति गठित करना ।
जिला योजना के अन्तर्गत समस्त कार्यक्रमा के क्रियान्वयन ।	क्षेत्र के जनमान्य प्रतिनिधि से विस्तष्त सुझाव लेते हुए जनप्रतिनिधि क्षेत्रिये विधायक सांसद क्षेत्र प्रमुख की सहभागिता व शासन स्तर से योजनाओ के क्रियान्वयन के लिए आवश्यकत अनुसार समय पर उपलब्ध कराने हेतु सहयोग की आवश्यकता होगी । उप निदेशक अपर निदेशक,व शासन को सम्पुर्ण स्थिति से अवगत कराना व अनुश्रवण।	योजना विशेष कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए जिला नियोजन एंव अनुश्रवण समिति का गठन किया जाना ,जिसके माध्यम से योजनाओ को पारित किया जाता है व योजनाओ के अनुमोदन के पारण के लिए संस्तुति की जाती है ।
दुग्धव्यवसायियो को दुग्ध उत्पादन के सम्बन्ध में पशु पालन सम्बन्धी विविध जानकारी दिया जाना एंव राष्टीय कष्त बैक और बीमा कम्पनी के माध्यम से दुधारू पशुओ के क्रय हेतु ऋण के लिए प्रोजक्ट तैयार करना	क्षेत्र मे रोजगार की दिशा को और उन्नत करने के लिए पशुधन प्रसार अधिकारी /पशुचिकित्साधिकारी से सहयोग लेकर ऋण की व्यवस्ता करवाना डी0आर0डीए के माध्यम से कष्षोको /पशुपालको को कषषि एंव पशुपालन जानकारी देना व अनुदान की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु सहभाागिता। इस सम्बन्ध में मुख्य विकास अधिकारी ,विभागाध्यक्ष से आवश्यक दिशा निर्देश प्राप्त कर जनता को सूचित करना	दुग्ध व्यवसायो को अर्थिक सहायता देने हेतु विकास खण्ड स्तर पर जन प्रतिनिधिओ से सहयोग ले कर राष्टीय कष्त बैको के शाखा प्रबन्धको / बीमा कम्पनीयो के व्यवस्थापको तथा क्षेत्र में कार्यरत पशु चिकित्साधिकारी ,खण्ड विकास अधिकारियो द्वारा एक समन्वय समिति स्थापित करना ।
कषषि योग्य भूमि पर पोष्टीक आहार उत्पादन के लिए चारा प्रदर्शनी का आयोजन	क्षेत्र में पोष्टीक आहार उत्पादन व चारा बीजो की उपयोगिता जानकारी देने हेतु जनता का सहयोग व उनकी सहभागिता आवश्यक है।	न्याय पचांयत स्तर पर ग्राम पचांयत प्रधान ,पचायत अधिकारी ,ग्राम विकास अधिकारी व पशुधन प्रसार अधिकारी के एक समिति गठित किया जाना आवश्यक है।

नीति निर्धारण हेतु :– **नीति के कार्यान्वयन हेतु :–**

क0स0	**विषय/कृत्य का नाम**	**क्या इस विषय में जनता की भागीदारी अनिवार्य है (हॉ/नही)**	**जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए की गई व्यवस्था**
1	**2**	**3**	**4**
1	1,पशु चिकित्सा 2,नस्ल सुधार , 3,टीकाकरण , 4,बधियाकरण , 5,कृत्रिम गर्भाधान, 6,चारा बीज/किट	हॉ	1,पशु चिकित्सा – जनपद में स्थापित पशु चिकित्सालयों व ब्लाक तहसील स्तर पर पशु सेवा केन्द्रो के माध्यम मे स्थानीय जनता के पशुओ की चिकित्सा 2,नस्ल सुधार – यु0एल0डी0बी द्वारा जनपद में किये जा रहे कार्या में जनता

	वितरण व प्रदर्शन 7,कुक्कुट वितरण , 8,अल्प बचत, 9,वृक्षारोपण		की भागीदारी से नस्ल सुधार का कार्यक्रम चलाया जाना 3,टीकाकरण /बधियाकरण स्थानीय जनता के पशुओ की बीमारी रोकने हेतु निर्धारित रोस्टर जो अध्यक्ष जिला पचांयत /प्रमुख क्षेत्र समिति के द्वारा दिये गये निर्देश के अनुसार ब्लाक स्तर पर पशु चिकित्साधिकारी ,द्वारा तैयार कर कैंप लगा कर टीकाकरण किया जाता है। 4,चारा बीज/किट वितरण–पशु चिकित्साधिकारी ,व पशुधन प्रसार अधिकारी के माध्यम से पशुपालक व कृषकों विशेष तया अनुसुचित जाति बाहुल्य क्षेत्रो में वितरित किया जाता है । तथा चारा प्रदर्शन का कार्य पशु चिकित्साधिकारी ,द्वारा कृषको व पशुपालको द्वारा करया जाता है । 5,वृक्षारोंपण का कार्य वन विभाग के माध्यम से पशु चिकित्साधिकारी ,व पशुधन प्रसार अधिकारी ,अपने क्षेत्र में कराते है । 6,कुक्कुट वितरण –अनुसुचित जाति /जनजाति व गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगो को एकदिवसीय चुजे राजकीय कुक्कुट फार्मो से प्राप्त कर वितरित किये जाते है। 7,अल्प बचत –जिला बचत अधिकारी से लक्ष्य प्राप्त होने पर जनपद में कार्यरत पशुचिकित्साधिकारी व पशुधन प्रसार अधिकारी द्वारा जनता को प्रेरित कर बचत के लक्ष्यो की पुर्ति कराने में होती है।

7.2 राष्ट्रीय पशुमाता उन्मूलन कार्यक्रम (N.P.R.E)

भारत सरकार द्वारा 100 प्रतिशत वित्त पोषित योजना का उददेशय राज्य से पशुमाता का रोग का उन्मूलन है । जिसके अन्तर्गत राज्य के विभिन्न ग्रामो (189) से पशुओ के रक्त के नमूने एकत्र कर जॉच करायी गयी , जो रोग के विषाणु हेतु ऋणात्मक पाये गये ।

उपरोक्त सीरोसर्वेलेंस के अतिरिक्त राज्य के समस्त ग्रामो में रोग की खोज ,लक्षण के आधार पर की जा रही है।

' योजना की उपलब्धी –भारत वर्ष को O.I.E. द्वारा पशुमाता रोग से मुक्त घोषित कर दिया गया है।

रोग के पुनः स्थापित न होने देने के उददेश्य से राज्य के पशुओ पर लक्षणो के आधार निगरानी की जा रही हैं।

(मैनुअल–8)

ऐसे बोर्ड, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों का विवरण जिनमे दो या अधिक व्यक्ति है, जिनका उसके भागरूप या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है कि क्या उन बोर्डो परिषदो, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली होगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुंच होगी ।

विषय सूची

क्रम सं0	विवरण	पृष्ठ संख्या
8.1	उत्तरांचल लाइवस्टाक डेवलपमैन्ट बोर्ड	**53–55**
8.2	उत्तरांचल शीप एण्ड वूल डेवलपमैन्ट बोर्ड	**55–56**
8.3	उत्तरांचल राज्य पशुकल्याण बोर्ड	**56–57**
8.4	जिला पशु क्रुरता निवारण समिति	**58–60**

8.1 उत्तराखण्ड लाइवस्टाक डेवलपमेन्ट बोर्ड

सम्बद्ध संस्था का नाम एवं पता ?

उत्तरांचल लाइवस्टाक डेवलपमेन्ट बोर्ड, 233/1, वसन्त विहार, देहरादून–248006

सम्बद्ध संस्था का प्रकार (बोर्ड, परिषद, समिति, निकाय या अन्य) ? सोसाईटीज रजिस्ट्रेषन अधिनि यम 1860 के अन्तर्गत पंजीकष्त समिति ।

सम्बद्ध संस्था का संक्षिप्त परिच य (स्थापना वर्ष, उद्देश्य/मुख्य कर्तव्य) ?

- ❖ स्थापना – जुलाई 2002
- ❖ मुख्यालय – 233/1, वसन्त विहार, देहरादून।
- ❖ पंजीकरण संख्या–343 दिनांक 27.06.2001 (सोसाइटीज रजिस्ट्रेषन अधिनियम 1860 के अन्तर्गत)।

उद्देश्य :

- ➢ पशु प्रजनन एवं पशुधन विकास से सम्बन्धित संस्थागत ढांचा में सुधार, उनके उत्पादन एवं उत्पादकता में वष्द्धि एवं तत्सम्बन्धी नई संस्थाओं की स्थापना कर ऐसे निवेश से लाभ प्राप्त करने में राज्य सरकार को सलाह एवं सहायता करना।
- ➢ राज्य सरकार के साथ समन्वय स्थापित कर गाय एवं भैसों हेतु राज्य की पशु प्रजनन नीति के अनुरूप कार्यक्रम तैयार करके पशु उत्पादन एवं गुणवत्ता में निरन्तर वृद्धि करना ।
- ➢ गैर सरकारी संस्थाओं (सहकारी समितियों, गोशालाओ, ट्रस्टों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं) आदि को संगठित / प्रोत्साहित करके गुणात्मक प्रजनन सामग्री का उत्पादन/उपार्जन करना एवं लाभार्थी /कृशकों के द्वार पर ही पशुप्रजनन सेवाएं उपलब्ध कराना।
- ➢ अतिहिमीकष्त वीर्य एवं तरल नत्रजन वितरण प्रणाली को सुदृढ़ एवं सुचारू रूप से सुव्यस्थित कर निरन्तर आपूर्ति करना।
- ➢ गाय एवं भैंसों को आधुनिक तकनीकों के अनुसार रख–रखाव व पालन–पोशण करके देशी एवं संकर नस्ल के उच्च प्रजाति/गुणवत्ता के सांड़ नैसर्गिक अभिजनन हेतु तैयार करना।

मुख्य कृत्य

सम्पूर्ण उत्तरांचल राज्य के पशुधन (गाय एवं भैंस) के प्रजनन एवं पशु–प्रबन्धन को नवीनतम तकनीकों द्वारा प्रोत्साहित कर बढ़ावा देना एवं इससे सम्बन्धित समस्त गतिविधियों को स्वावलम्बी बनाकर पशुधन उत्पादों में वृद्धि करना है। इसके साथ–साथ उत्तरांचल शासन द्वारा राज्य में चारा उत्पादन को बढ़ावा देने सम्बन्धी कार्य भी वित्तीय वर्ष 2004–05 में यू.एल.डी.बी. को सौंपा गया है, जिसका कार्यान्वयन भी किया जा रहा है ।

स्वरूप एवं वर्तमान सदस्य ?

स्वरूप : उत्तरांचल सरकार का एक उपक्रम ।

वर्तमान सदस्य :

1. प्रमुख सचिव एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास शाखा, उत्तरांचल ासन (पदेन) अध्यक्ष
2. श्री मनीश वर्मा, 10 गांधी मार्ग, देहरादून (नामित) उपाध्यक्ष
3. अपर सचिव, पशुपालन विभाग, उत्तरांचल शासन (पदेन) सदस्य
4. अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तरांचल (पदेन) सदस्य
5. निदेशक, डेयरी विकास विभाग, उत्तरांचल (पदेन)सदस्य
6. परियेाजना निदेशक, डी.आर.डी.ए. देहरादून (पदेन) सदस्य
7. अधिष्ठाता, पशुचिकित्सा महाविद्यालय, पंतनगर विष्वविद्यालय (पदेन) सदस्य
8. आई.वी.आर.आई. मुक्तेश्वर (नैनीताल) के प्रतिनिधि सदस्य
9. राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के प्रतिनिधि सदस्य
10. बायफ, के प्रतिनिधि सदस्य
11. संयुक्त सचिव (एल.पी.एण्ड एफ) भारत सरकार (कृषि मंत्रालय) पशुपालन सदस्य एवं डेयरी विभाग के प्रतिभागी
12. डा0 जी.के. उप्रेती, विशेषज्ञ पशुधन सदस्य
13. श्री मोहन चन्द्र दुर्गापाल, विशेषज्ञ चारा विकास सदस्य
14. श्री राजेन्द्र सिंह बिष्ट, (उत्तरांचल दुग्ध संघों के प्रतिनिधि) सदस्य
15. डा.एच.सी.जोशी, अध्यक्ष ग्रामीण एवं कृषि विकास समिति (प्रतिनिधि एन.जी.ओ.) सदस्य
16. श्री मोहन सिंह बिष्ट, (प्रतिनिधि गो ला) सदस्य
17. प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल सहकारी डेयरी फेडरेशन हल्द्वानी (पदेन) सदस्य
18. मुख्य अधिशासी अधिकारी, यू.एल.डी.बी.(पदेन) सदस्य/सचिव

मुख्य अधिकारी का नाम

डा0 कमल सिंह

मुख्य कार्यालय एवं अन्य शाखाओ के पते

1. मुख्यालय –233/1,वसन्तविहार, देहरादून–248006
2. शाखा कार्यालयी की इकाइयों :

क. डी.एफ.एस., श्यामपुर–अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र, ऋषिकेश

–हरिद्वार बाई पास मार्ग ऋषिकेश,श्यामपुर, जनपद ऋषिकेश –देहरादून ।

ख. प्रशिक्षण केन्द्र– यू.एल.डी.बी. प्रषिक्षण केन्द्र, ऋषिकेश गंगा बैराज मार्ग, ऋषिकेश जनपद–देहरादून ।

ग. चारा बैक –यू.एल.डी.बी. चारा बैंक, लक्कड़ घाट मार्ग, ऋषिकेश जनपद– देहरादून ।

घ. ई0टी0स्टेट सेन्टर –भ्रूण प्रत्यारोपण स्टेट सेन्टर, लालकुआं, दुग्ध संघ परिसर, लालकुआं (नैनीताल)

ड. सीमेन बैंक –यू.एल.डी.बी. सीमेन बैंक, नैनीताल दुग्ध संघ के निकट,लालकुआं (नैनीताल)

च. पशुप्रजनन फार्म–पशुप्रजनन फार्म कालसी, जनपद–देहरादून

बैठक की आवृत्ति ।

वार्षिक सामान्य बैठक	–	वर्ष में एक बार ।
साधारण सामान्य बैठक	–	आवश्यकतानुसार ।
असाधारण सामान्य बैठक	–	आवश्यकतानुसार
अधिशासी कमेटी बैठक	–	त्रैमासिक ।

क या बैठक में जनता भाग ले सकती है।

नहीं ।

क्या बैठक के कार्यवृत्त तैयार किये जाते हैं ? हां ।

क्या जनता बैठक का कार्यवृत्त प्राप्त कर सकती है ?

यदि हां, तो उसकी प्रक्रिया ?

हां, जनसामान्य की मांग पर नियमानुसार ।

8.2 उत्तराखण्ड शीप एण्ड वूल डेवलपमेन्ट बोर्ड

उद्श्येयः उत्तरांचल में भेडों की मृत्यु दर कम करने हेतु स्वास्थ्य रक्षा कार्यक्रम संचालन बीमारियों की

रोकथाम, टीकाकरण तथा नस्ल सुधार कर भेडपालकों द्वारा उत्पादित ऊन एवं अन्य उत्पाद का उचित मूल्य दिलाकर उनके जीवन स्तर में सुधार लाना। नई तकनीक की जानकारी देकर भेड पालन व्यवसाय के प्रति जागरुक करना तथा उनके स्वय सहायता समूह संगठन/समितियां बनाने में सहयोग करना ।

परिचयः

स्थापना – अक्टूबर 2003

मुख्यालय – देहरादून

पंजीकरण संख्या – 1998 दिनांक 31–10–2003 (सोसाइटीज रजिस्ट्रीकरण अधिनियम सं01890 के अन्तर्गत)।

संचालित कार्यक्रमः–

बोर्ड द्वारा 12 भेड प्रजनन प्रक्षेत्र, 01 अंगोरा बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र, 05 अंगोरा शशक प्रजनन प्रक्षेत्र, 01 ऊन श्रेणीकरण/क्रय–विक्रय केन्द्र तथा 03 सचल बहुउद्देश्य सेवा केन्द्रों को पषुपालन विभाग के सहयोग से संचालित करना ।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य कार्यक्रम–भेडों में दवापान, दवास्नान, चिकित्सा, निकृष्ट मेढों में बधियाकरण तथा भेडों का टीकाकरण कार्यक्रम संचालित करना ।

नस्ल सुधार कार्यक्रम–राज्य के प्रगतिशील भेडपालकों को उनकी भेडो के नस्ल सुधार हेतु उन्नत प्रजनन हेतु मेढों का निःशुल्क वितरण ।

उत्पादकता विकास कार्यक्रम के अन्तर्गतः–

भेडो को ऊन कतरन से पूर्व नहलाय जाने हेतु भेडपालकों को शिक्षित/जागरुक करना ।

ऊन ग्रेडिंग कार्यक्रम में भेडों से प्राप्त ऊन की प्राथमिक ग्रेडिंग का कार्य प्रारम्भ करना ।

मषीन द्वारा ऊन कतरने/काटने के लिए भेडपालकों को शिक्षित एवं जागरुक करना ।

'उत्पादित होने वाली ऊन के विपणन में भेडपालकों को अपेक्षित सहायता एवं मार्ग दर्शन देना

'भेड पालकों को ग्राम स्तर पर भेडों से सम्बन्धित नवीनतम तकनीक की जानकारी देना, भेडों के प्रबन्धन, प्रमुख रोग एवं उनका निदान तथा मषीन द्वारा ऊन कतरन आदि विशयों पर भेडपालकों प्रषिक्षित/जागरुक/शिक्षित करना ।

भेड पालकों के स्वयं सहायता समूह गठन तथा गैर राजकीय संस्थाओं के चयन/गठन में सहयोग

कालसी (देहरादून),मुनिकीरेती टिहरी),डुण्डा (उत्तरकाशी),मुन्स्यारी (पिथौरागढ)ग्वालदम (चमोली) में ी स्थापना कर उन्हें संचालित करना।

उत्तरांचल शासन
पशुपालन मत्स्य एवं दुग्ध विकास विभाग
संख्या 568/ए.म.दु.–उ.वि.यो./2003/2003
कार्यालय ज्ञाप

उत्तरांचल राज्य में उत्तरांचल भेड एवं ऊन विकास बोर्ड को क्रियान्वित करने हेतु श्री राज्यपाल उत्तरांचल भेड एवं ऊन विकास बोर्ड! के निम्नवत गठन की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है ।

उत्तरांचल भेड एवं ऊन विकास बोर्ड का मुख्यालय देहरादून होगा ।

1. माननीय पशुपालन मंत्री जी उत्तरांचल	पदेन अध्यक्ष
2, सचिव, पशुपालन उत्तरांचल षासन	पदेन उपाध्यक्ष
3. अपर सचिव,पशु पालन,उत्तरांचल शासन	पदेन सचिव/सदस्य
4– प्रमुख, सचिव, वित्त उत्तरांचल सन	पदेन सदस्य
5– सचिव, उद्योग उत्तरांचल षासन	पदेन सदस्य
6– मुख्य कार्यकारी निदेषक, केन्द्रीय भेड एवं ऊन विकास बोर्ड कपडा मंत्रालय भारत सरकार	पदेन सदस्य
7–मुख्य कार्यकारी अधिकारी, खादी एवं ग्रामोद्योग उत्तराचल	पदेन सदस्य
8–प्रबन्ध निदेशक,गढवाल विकास निगम,उत्तरांचल	पदेन सदस्य
9.प्रबंध निदेशक,कुमांयू मण्डल विकास निगम,उत्तरांचल	पदेन सदस्य

(ओम प्रकाश)
सचिव

8.3 उत्तरांचल पशुकल्याण बोर्ड

(Uttaranchal Animal Welfare Board)

1–स्थापना– 2004

2–मुख्यालय–पषुलोक–ऋशिकेश,देहरादून,लेननं.1डी–26 शास्त्रीनगर,हरिद्वार रोड, देहरादून

3–पंजीकरण संख्या–दिनांक(सोसाईटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 के अन्तर्गत)

उद्देष्यः–

(1)उत्तरांचल राज्य के पशुओं के कल्याण एवं उन पर रहे अत्याचार को रोकने, पालतू पशुओं को अनुत्पादक होने पर लावारिस हालत में छोड़ने पर संरक्षण दिलानें, पालतू एवं अन्य जीवों पर होने वाले अत्याचारों को रोकनें तथा पशुओं की दशा सुधारने हतु उत्तरांचल सरकार द्वारा मा0सर्वोच्च न्यायालय के दिषा निदेशन पर उत्तरांचल राज्य पशुकल्याण बोर्ड की स्थापना ।

(2)बोर्ड निगम निकाय होगा और उसका शाष्वत उत्तराधिकार होना एक सामान्य मुद्रा/मुहर होगी, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए सम्पति का अर्जन, धारण और व्ययन करने की उसको शक्ति होगी । आवश्यकतानुसार अपने नाम से बाद चला सकता है या उसके नाम पर बाद चलाया जा सकता है ।

मुख्य कृत्यः–

(क)जीव जन्तुओं के प्रति कूरता निवारण हेतु भारत में प्रतष्त्त विधि का अध्ययन करता रहे और ऐसी किसी बिधि में समय–समय पर किये जाने वाले संषोधनों की वावत राज्य सरकार को सलाह दें ।

(ख)जीव जन्तुओं को समान्यताया या विशिष्टतया जब वे एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए परिवाहन किये जा रहे हों या जब वे अभिनयकर्ता जीव जन्तु के रूप में प्रयुक्त किये जा रहे हो या जब वे बन्धन या प्रतिरोध मं रखे गयें हो तब अनावश्यक पीड़ा या यातना से बचाने की दृष्टि से इस नियम के अधीन नियम बाने वावत् राज्य सरकार को सलाह दें ।

(ग)भास्वाही जीव जन्तुओं पर भार कम करनें के लिए यानों के डिजाइनों में सुधार, सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी या व्यक्ति को सलाह दें ।

(घ) पेडों, जलनादों और तद्रूप चीजों का सन्निर्माण प्रोन्तसाहित या उपबन्धित करने, जीव जन्तुओं के लिए पशु चिकित्सा सहायता उपवन्धित करने, पशुओं की बेहतरी के लिए उपाय करने हेतु जैसा बोर्ड ठीक समझे वैसा उपाया करें ।

(ड़) बधालयों की डिजायन या बधालयों को चलानें या जीव जन्तुओं के बध के संबन्ध में सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी या अन्य व्यक्ति को सलाह दें । तांकि जहां तक सम्भव हो पशु को वध से पहले के कार्यक्रम में अनावश्यक शारीरिक या मानसिक पीड़ा न हो जहां कीं जीव जन्तुओं को मार देना आवश्यक हो वहां यथा सम्भव मानवोचित रीति से किया जायें ।

(च) जब कभी अवांछनीय जीवन जन्तु को नष्ट किया जाना आवश्यक हो तो ऐसी स्थिति में स्थानीय प्राधिकारियें द्वारा या तो तुरन्त किया जाय सया जीव जन्तु को अचेत करके किया जाय या जैसा बोर्ड उचित समझे वैसा उपाय करें ।

(छ) ऐसे"पिंजरापोलों" गचारागाहों, पशुआश्रमों,पषुवनों अन्य स्थानों जहां पशुपक्षी बूढ़े व बेकार हो जाने पर या जब उन्हें संरक्षण की आवश्यकता हो तब शरण पा सकें इस हेतु भवन आदि के निर्माण या स्थापना के एि वित्तीय सहायता के रूप में अनुदान दें या अन्यथा प्रोत्ससाहित करें ।

(ज) जीव जन्तु को अनावश्यक पीड़ा या यातना से बचाने के लिए या जीव जन्तु तथा पक्षियों की संस्था क लिए स्थापित संस्थाओं या निकायो के साथ सहयोग एवं उनके कार्यो का समन्वय करें

(झ) स्थानीय क्षेत्रों में कार्यशील जीव जन्तु कल्याण संगठनों को वित्तीय या अन्य सहायता दें या किसी स्थानीय क्षेत्र में ऐसें जीव जन्तु कल्याण संगठनों का बनाया जाना प्रोत्साहित करें । जो बोर्ड के साधारण पर्यवेक्षण एवं प्रदर्षन के अधीन कार्य करें ।

(ञ) जीव जन्तु अस्पतों में जिस चिकित्सकीय देखरेख एवं सावधानी का उपबनध हो उससे सम्बन्धित विशयें पर सरकार को सलाह दें और जब कभी कोई आवष्यक समझे जीव अस्पतालों को वित्तीय या अन्य सहायता दें ।

(ट) जीव जन्तुओं के साथ मानवोचित वरताव करने के उद्देष्य से शिक्षा /प्रशिक्षण दें, जीव जन्तुओं को अभिवर्धन के पक्ष में भाषणों, पुस्तकों,पोस्टरों या चल चित्र प्रदर्षनों एवं उत्रूप साधनों के द्वारा लोकमत या अन्य सहायता दें ।

(ठ) जीव जन्तु के कल्याण व अनावश्यक पीड़ा यातना देने के निवारण हेतु किसी भी विशय पर सरकार को सलाह दें ।

प्रारूप एवं वर्तमान सदस्यः स्परूपःउत्तरांचल सरकार का एक उपक्रम

(1)मा0मंत्री महोदय पशुधन एवं मत्स्य उत्तराखण्ड प्रदेष अध्यक्ष
(2)राज्य सरकार द्वारा नामित (पशुकल्याण के आधार पर) उपाध्यक्ष
(3)सचिव/अपर सचिव पषुधन एवं मत्स्य उत्तराखण्ड शासन पदेन सचिव
(4)निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड सदस्य
(5)मुख्य वन जीव संरक्षक उत्तराखण्ड सदस्य
(6)गौशाला के 10 (राज्य सरकार द्वारा नामित) सदस्य
(7)पांच पशुप्रेमी(राज्य सरकार द्वारा नामित) सदस्य
(8)समाज सेवी संस्थाओं के "दो"सदस्य जो पशुकल्याण का कार्यकर रहे (राज्य सरकार द्वारा नामित) सदस्य
(9)प्रमुख सचिव, गष्ह उत्तराखण्ड षासन सदस्य
(10)निदेशक, स्थानीय निकाय उत्तराखण्ड राज्य सदस्य
(11)जिला पंचायत अध्यक्ष उत्तराखण्ड का एक प्रतिनिधि (राज्य सरकार द्वारा नामित) सदस्य
(12)विधान सभा के दो मा0विधायक (राज्य सरकार द्वारा नामित) सदस्य
(13)सेवा निवृत न्यायाधीश, न्यायिक सेवा/प्रशासनिक सेवा से जुड़ें दो प्रतिनिधि (उत्तरांचल सरकार द्वारा नामित) सदस्य

संख्या 3063 / **XV**.1 / 10 / 2(85) / 05

प्रेषक,

विनोद फोनिया
सचिव
उत्तराखण्ड शासना

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी
उत्तराखण्ड ।

पशुपालन अनुभाग–1 देहरादूनः दिनांक 04 जनवरी 2011

विषयः जनपदीय पशु कूरता निवारण समितियों को पुनर्गठित किये जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पशु कुरता निवारण अधिनियिम,1960 की धारा–38 के तहत पशुओं के प्रति कूरता का निवारण (पशुओं के प्रति कुरता निवारण के लिए सोसाइटियों का गठन एवं विनियमन)नियम 2001 के नियम 3(2), 3(2)(1),3(2)(11)के अन्तर्गत शासनादेश संख्या 340 / गअ.1 / 10 / 2(85) / 05 दिनांक 25 फरवरी 2009 में निम्न प्रकार आंशिक संशोधन / स्पष्टीकरण किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

क्र0सं0	पदनाम	प्रबन्ध समिति में दायित्व
1	जिलाधिकारी	पदेन अघ्यक्ष
2	पुलिस अधीक्षक	पदेन उपाघ्यक्ष
3	मान्यता प्राप्त पशु कल्याण संगठन के प्रतिनिधि सदस्य / मानवाधिकार कार्यो हेतु प्रतिष्ठित व्यक्ति / रोटरी क्लब / लायन्स क्लब के सदस्य	नमित गैर सरकारी उपाघ्यक्ष
4	पदेन सदस्य सचिव	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी
5	गैर सरकारी नामित अधिशासी सचिव	मान्यता प्राप्त पशु कल्याण संगठनो के प्रतिनिधि सदस्य / मानवाधिकार कार्यो हेतु प्रतिष्ठित व्यक्ति / भा0जी0ज0क0 / बोर्ड के मानद पशु कल्याण अधिकारी
6	सदस्य	वन विभाग के जिला स्तरीय अधकारी (पदेन सदस्य)
		शिक्षा विभाग के जिलास्तरीय अधिकारी(पदेन सदस्य)
		स्थानीय निकाय के अधिकारी (पदेन सदस्य)
		भा0जी0ज0क0बोर्ड के प्रतिनिधि(पदेन सदस्य)
		उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड के प्रतिनिधि सदस्य स्वयं के गह
		जनपदों की एस0पीसी0ए0 के स्वाभाविक सदस्य होगें
		चार गैर सरकारी प्रतिनिधि सदस्य जो कि एस0पी0सी0ए0 के साधारण निका(जनरल बॉडी) द्वारा निर्वाचित सदस्य होगे।

2–प्रबन्घ समिति के पदेन एवं मनोनीत पदाधिकारियों द्वारा पशुओं के प्रति कुरता का निवारण (पशुओं के प्रति कुरता के निवारण के लिए सोसाइटियों का गठन एवं विनियमन) नियम,2001 के आलोक में एस0पी0सी0ए0 की नियमावली तैयार करते हुए शीध्रतीशीध्र सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्त 1860 के तहत पंजीकरण कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

3–समस्त मनोतीत सदस्यों का मनोनयन एस0पी0सी0ए0 के अघ्यक्ष द्वारा कर लिये जाये।

4–एस0पी0सी0ए0 के पंजीकरण क उपरान्त एस0पी0सी0ए0 की प्रथम साधारण निकाय (जनरल बॉडी) की बैठक में प्रबन्ध समिति के चार गैर सरकारी प्रतिनिधि सदस्यों का निर्वाचन करा लिया जाय।

5–एस0पी0सी0ए0 के नामित सदस्यों तथा निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल (तीन) 03 वर्ष रखा जाय।

(विनोद फोनिया)
सचिव

संख्या 67 पत्रावली सं–हीक0887 दिनांक 28.04.2011

सोसाइटी– रजिस्ट्रीरण
का
प्रमाण–पत्र
(अधिनियम संख्या 21,1860 के अधीन)
संख्या 013 / 2011–2012

एतद्दवारा प्रमाणित किया जाता है कि जनपदीय पशु कुरत निवारण समिति हरिद्वार पता–कार्यालय मुख्य पशु चिकित्साधिकारी विकास भवन, रोशनाबाद, हरिद्वार उत्तराखण्ड को आज उत्तरॉचल में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथासशोधित सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 ई0 के अधीन सम्यक् रूप से रजिस्ट्रीकृत किया गया है। यह प्रमाण–पत्र 26.04.2016 तक विधिमान्य होगा ।

आज दिनांक 27.04.2011 को मेरे हस्ताक्षर से दिया गया ।

ह0–अस्पष्ट
उप निबन्धक
फर्म्स सोसाइटीज एवं
चिट्स
हरिद्वार।

प्रबन्ध कारिणी समिति के मुख्य पदाधिकारी व सदस्यों के नाम, पते पद तथा व्यवसाय जिनको उततराखण्ड सरकार के शासनादेश संख्या 340 / गअ–1 / 2(85)2005 दिनांक 25 फरवरी 2009 पशुपालन अनुभाग–1 के अनुरूप संस्था का कार्यभार सौपा गया है ।

क्र0सं0	नाम	प्ता	व्यवसाय	पद
1–	श्री सचिन कुर्वे	कैम्प आफिस रोशनाबाद हरिद्वार	जिलाधिकारी हरिद्वार	पदेन अघ्यक्ष।
2–	श्री अरुणमोहन जोशी	कार्या–वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रोशनाबाद हरिद्वार	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार	पदेन उपाघ्यक्ष
3–	डा0नवनीत परमार	निवासी ज्वालापुर हरिद्वार	प्रतिनिधि पशुकल्याण संगठन	नामित गैर सरकारी उपाघ्यक्ष
4–	डा0प्रेम कुमार	कार्या0–विकास भवन हरिद्वार।	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी हरिद्वार	
5–	श्री कुलदीप सूर्यवंशी	ग्राम सफरपुर रूडकी जनपद हरिद्वार	पशुकल्याण कार्यो हेतु समर्पित व्यक्ति	गैर सरकारी नामित अधिशासी सचिव
6–	श्री गोपाल सिंह राणा	कार्या0–प्रभागीय बनाधिकारी हरिद्वार	प्रभागीय बनाधिकारी हरिद्वार	सदस्य
7–	श्री अनिल कुमार भोज	जिला शिक्षा अधिकारी हरिद्वार	जिला शिक्षा अधिकारी हरिद्वार	सदस्य
8–	श्री बी0एल0आर्य	नगर पालिका परिषद हरिद्वार	अधिशासी अधिकारी नगर पा0हरिद्वार।	सदस्य
9–	श्री सुरेश चन्द्र जैन	मा0विधायक विधान सभा क्षेत्र रूडकी	सदस्य उ0प0क0बोर्ड देहरादून	सदस्य
10–	–	–	भ0जी0ज0क0बोर्ड वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार के प्रतिनिधि	सदस्य
11–	....	.....	चार गैर सरकारी प्रतिनिधि सदस्य जो एस0पी0सी0ए0 के	सदस्य
			साधारण निकाय द्वारा निर्वाचित सदस्य होगे	सदस्य

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत नामित प्राधिकारी (संस्था का नाम):– जनपदीय पशु कुरता निवारण समिति, हरिद्वार

District Society for Prevention of Cruelty to Animal Haridwar(SPCA Haridwar)

क्र0स0	नामित प्राधिकारी	प्राधिकारी का नाम	पदनाम
1–	लोक सूचना अधिकारी	पदेन मानद सचिव जनपदीय प0कु0नि0स0हरिद्वार।	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी हरिद्वार।
2–	सहायक लोक सूचना अधिकारी	प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय– मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी हरिद्वार।	प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय– मुख्य पशु चिकित्साधिकारी हरिद्वार।

कार्यालय – जिलाधिकारी हरिद्वार ।

आदेश

प्रमुख सचिव गृह एवं आयुक्त वन एवं ग्राम्य विकास उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक 3541–3574 / पशु कल्याण / 2010–11 दिनांक 08 फरवरी ,2011 के अनुसार उत्तराखण्ड गोवंश संरक्षण अधिनियम 2007 के तहत विभिन्न न्यायालयों में अभियोजन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है एवं सभी प्रकरणों में केश प्रॉपर्टी एनिमल्स पशुपालन विभाग की संस्थाओं अथवा उत्तराखण्ड पशु कल्याण वोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त गौसदनों को उपलब्ध कराये जा रहे हैं । न्यायालयों द्वारा इन गौवंशीय पशुओं को मुक्त किये जाने पर पालन–पोषण / रख–रखाव खर्च पशु स्वामी से वसूल कर लिये जाने के आदेश दिये जाते हैं ।

अतः उत्तराखण्ड गौवंश संरक्षण अधिनियम 2007 के तहत न्यायायिक प्रक्रियाधीन केस प्रोपर्टी एनीमल्स के पालन पोषण / रख–रखाव हेतु पशु क्रुरता अधिनियम 1960 की धारा 35(4)के प्राविधानुसार निम्नलिखित खर्च की दरें निर्धारित की जाती है–

क्रं.सं.	म्द	पालन पोषण / रख–रखाव हेतु निर्धारित खर्च की दर
1	उत्तराखण्ड गोवंश संरक्षण अधिनियम 2007 के प्राविधानुसारपशु की बहुआयायमी रंगीन फोटोग्राफी,निजि पहचान चिन्ह,इअर टैंगिग एवं स्वास्थ्य परीक्षण पर व्यय	र –150 / –प्रति पशु
2	बडे पशु हेतु कुल दैनिक व्यय	र –201 / –प्रति पशु प्रतिदिन
3	छोटे पशु हेतु कुल दैनिक व्यय	र –163 / –प्रति पशु प्रतिदिन

ह / अस्पस्ट
जिलाधिकारी
हरिद्वार ।

पत्रांक / पशुपालन–पशु कल्याण / 2011–12 दिनांक अप्रैल 2011

प्रतिलिपि–निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, हरिद्वार ।
2–सचिव, पशु कल्याण वोर्ड उत्तराखण्ड देहरादून ।
3–निदेशक, पशुपालन विभाग,उत्तराखण्ड देहरादून ।
4–सचिव,पशुपालन विभाग,उत्तराखण्ड शासन ।
5– प्रमुख सचिव,गृह एवं आयुक्त वन एवं ग्राम्य विकास ,उत्तराखण्ड देहरादून ।

ह0 / अस्पस्ट
मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी
हरिद्वार ।

(मैनुअल–9)

अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका

विषय सूची

क्रम सं0	विवरण	पेज नं0
9.1	मुख्य पशुचिकित्साधिकारी ,हरिद्वार के समस्त कर्मचारियो/अधिकारियो की निर्देशिका	61–64

9.1 मुख्य पशु चिकित्साधिकारी हरिद्वार के अन्तर्गत कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारी का विवरण एव परिश्रमिक दिनांक 31.03.2016 तक की स्थिति

क0स0	अधिकारी /कर्मचारी का नाम	पदनाम	स्थायी पता	दूर भाष संख्या
1	डा0बी0सी0कर्नाटक	मु0प0चि0अ0	कर्नाटक पौल्ट्री फार्म तल्ला हल्द्वानी	9719473770
2	डा0 रमन चोपडा	उप मु0प0चि0अ0	शिवालिक नगर हरिद्वार	9837109111
3	श्री राजेन्द्र सिह रावत	वरि0प्रशासनिक अधिकारी	ग्राम उरेगी जनपद पौडी गढवाल	9410343129
4	श्री अनुसूया प्रसाद देवशाली	प्रशासनिक अधिकारी	ग्राम देवशाल जनपद रूद्रप्रयाग	8171447284
5	श्रीमती आशा भटट्	प्रधान सहायक	ग्राम बसरकेदार	9410526394
6	श्री मनोज कुमार चन्दोला	प्रवर सहायक	ग्राम व पत्रालय चन्दोलाराय	9927363903
7	श्री गुरु प्रसाद रणाकोटी	प्रवर सहायक	ग्राम दिगवाली पो0 कोठी टिहरी	9411561066
8	श्री रविन्द्र कुमार	लेखाकार	सी0163 नेहरूकलोनी देहरादून	0135 2673655
9	श्री मनोज कुमार नैलवा	क0स0	ग्राम कोट पो0ओ0बछवाबाण चमोली	9718209111
9	श्री रमेशचन्द भट्ट	कनिष्ठ सहायक	ग्राम जाली पो0महड ठिहरी गढवाल	7579079519
10	श्री जगवीर सिह रावत	कनिष्ट सहायक	ग्राम महर गावॅ पो0 मोल्ठाडी उत्तरकाशी	9411762877
11	श्री लक्ष्मण सिह गुसांइ	कनिष्ट सहायक	ग्राम मानपुर कोटद्वार	9897923017
12	श्री पंकज द्विवेदी	कनिष्ट सहायक	उमराव नगर कोटद्वार गढवाल	7464908640
13	श्री सुधीर कुमार	अपर सां0अ0	जनपद हरिद्वार	94129298794
14	श्रीमती पूनम खन्तवाल	क0स0	कोटद्वार	9759387629
15	श्रीमती नीतू सिह	अन्वेषक	ज्वालापुर हरिद्वार	7895373039
16	श्री राम सिह	चालक	ग्राम मीरपुरकला पो0 महमूदपुर हापुड	9412950163
17	श्री दया राम	पशुधन सहायक	ग्राम भंगलवाण पो0 चौकडी पौडी	9690189328
18	श्री अशोक कुमार	पशुधन सहायक	किला परिक्षितगढ मेरठ	8958410652
19	डा0 अशोक कुमार	प0चि0अ0	अनूपगढ गंगानगर	9456566864
20	डा0 सावन पंवार	प0चि0अ0	ग्राम ऐलम मुजफरनगर	9759212007
21	डा0 महेन्द्र कुमार	प0चि0अ0	नीलकंठ सराय पो0 कबही अंजनपुरअंबेडकरनगर	9412940668
23	डा0 निसान्त सैनी	प0चि0अ0	–	9997701999
24	डा0 ऋचा सिह	प0चि0अ0	आनन्दपुर गोकुलनगर किच्छा	9456713730
25	डा0 पंकज प्रकाश	प0चि0अ0	हरिद्वार	8477000860
26	डा0 सत्य विकास	प0चि0अ0	–	9412017253
27	डा0 कमलकान्त	प0चि0अ0	चाव मंडी रुडकी जनपद हरिद्वार	9756021601
28	डा0 पी0 के0 सिह	प0चि0अ0	शिवग्राम सुल्तानपुर	9412921991
29	डा0 राजपाल सिह	प0चि0अ0	ग्राम पाली हस्तिनापुर	9837363566
30	डा0 अमित पाल पंवार	प0चि0अ0	ग्राम पोडोवाली रुडकी	8937001221
31	डा0 रविन्द्र कुमार	प0चि0अ0	ग्राम अकोडा खुर्दमुकरमतपुर लक्सर	9756131779
32	श्री सत्यपाल सिह	वेट0 फार्मे0	ग्राम व पो0 धौलाना गाजियाबाद	9837809192
33	श्री मुकेश कुमार	वेट0 फार्मे0	रूडकी	8859002135
34	श्री हरेन्द्र सिह राठी	वेट0 फार्मे0	ग्राम छछरोली पो0 मुक्करहेडी मु0नगर	9837206411
35	श्री विशाल कुमार वर्मा	वेट0 फार्मे0	मोहनलाल मजीदगंज नजीबाबाद	9719431777
36	श्री कौशल कुमार	वेट0 फार्मे0	तेलीपुरी रामपुर सहारनपुर	9917545823

37	श्री विकास चौहान	वेट0 फार्मे0	शामली मुजफरनगरनगर	9758741100
38	श्री विपिन कुमार	वेट0 फार्मे0	ग्राम व पो0 आकला सहारनपुर	9456615402
39	श्री एम0एस0 नेगी	वेट0 फार्मे0	ग्राम धारखाला चलणस्यू पौडी	9997284146
40	श्री धनेन्द्र सिह	वेट0 फार्मे0	ग्राम व पो0 पोगया बुलन्दशहर	8859001955
41	श्री जगबीर सिह	वेट0 फार्मे0	धसोट रामपुर सहारनपुर	9897628449
42	श्री रजनीश कुमार	वेट0 फार्मे0	ग्राम जनधेडारामपुर सहारनपुर	9719537309
43	श्री चुनराज सिह	वेट0 फार्मे0	अकोडाकला लक्सर	9897277778
44	श्री देवेन्द्र कुमार	वेट0 फार्मे0	ग्राम व पो0 अतराडा मेरठ	9897207138
45	श्री धर्मेन्द्र कुमार	वेट0 फार्मे0	उदयरामपुर कलालघाटी कोटद्वार	8859002125
46	श्री विनोद कुमार	वेट0 फार्मे0	ग्राम कुण्डी मुजफरनगर	9412803358
47	श्री सुशील कुामार	वेट0 फार्मे0	ग्राम अखोडाकला हरिद्वार	9411845947
48	श्री मदन सिह रावत	क्षे0प्र0अ0	ग्राम कैडुलतला पो0 बाड्यू पौडी	9410192831
49	श्री राजबीर सिह	प0प्र0अ0	ग्राम हरचन्दपुर पो0 नारसन हरिद्वार	8859002188
50	श्री राजपाल सिह	क्षे0प्र0अ0	ग्राम मुकन्दरपुर रामपुर सहारनपुर	9897490234
51	श्रीमती रेनू बर्मा	प0प्र0अ0	देहरादून	9456747515
52	श्री सत्यपाल सिंह	प0प्र0अ0	राजेन्द्रनगर रामनगर रुडकी	9897860969
53	श्री बीरेश वल	क्षे0प्र0अ0	देहरादून	9756847983
54	श्री जी0एस0नेगी	प0प्र0अ0	ग्राम खुमेरा जनपद चमोली	–
55	श्री शशिकान्त	प0प्र0अ0	कलावती सदनग्राम डांग श्रीनगर पौडी	9411129458
56	श्री दिनेश चन्द्र जोशी	प0प्र0अ0	चमोली गढवाल	9411509859
57	श्री नरेश कुमार	प0प्र0अ0	प्रीतनगर मवाना मेरठ	9412379235
58	श्री प्रदीप कुमार	प0प्र0अ0	ग्राम सिलेथ पौडी गढवाल	9536658639
59	श्री बी0एम0कुकरेती	प0प्र0अ0	केदारपुर मोथरोवाला देहरापुर	9410153796
60	श्री संदीप कुमार	प0प्र0अ0	ग्राम व पो0नन्हेडा अनन्तपुर हरिद्वार	–
61	श्री नितिन	प0प्र0अ0	फूलबाग पंतनगर उधमसिह नगर	9410249163
62	श्री मनीष कुमार	प0प्र0अ0	ढेढेरा शिव मन्दिर रुडकी	9837111378
63	श्रीमती रश्मि रावत	प0प्र0अ0	32–एक अजबपुर देहरादून	–
64	श्री मुकेश कुमार	प0प्र0अ0	मौजाहेडी मु0नगर	9758083826
65	श्री एफ0डी0खान	प0प्र0अ0	ग्राम रणखण्डी पो0 खास सहारनपुर	9412980354
66	योगेश कुमार	पशुधन सहा0	ग्राम मो0पुर जट नारसन हरिद्वार	–
67	श्री ईश्वर दयाल	पशुधन सहा0	ग्राम पंडिया राजा का ताजपुर बिजनोर	9411069901
68	श्री कुवरॅपाल सिह	पशुधन सहा0	ग्राम मौहमदपूर हरिद्वार	9219224879
69	श्री जगदीश प्रसाद	पशुधन सहा0	ग्राम थापला पौडी गढवाल	8859001907
70	श्री संजीव कुमार	पशुधन सहा0	बालमिकी बस्ती गोपेश्वर	9690181444
71	श्री हरक सिह	पशुधन सहा0	ग्राम गवालदम,चमोली	9411069908
72	श्री मौ0इशलाम	पशुधन सहा0	ग्राम इलासपुर हरिद्वार	9411069908
73	श्री रामविलास	पशुधन सहा0	बाइूग्राम ऋषिकेष	9897251403
74	श्री अनिल कुमार त्यागी	पशुधन सहा0	ग्राम फतेपुर अस्ल विजनौर	9627386225
75	श्री महेन्द्र सफाईनायक	पशुधन सहा0	ग्राम पो0मंगलोर हरिद्वार	9411713850
76	श्री करणपाल	पशुधन सहा0	ग्राम शशका पो0मगलोर हरिद्वार	–
77	श्री रामगोपाल	पशुधन सहा0	ग्राम नगीना धामपुर बिजनौर	–
78	श्री लक्ष्मण सिह भण्डारी	पशुधन सहा0	ग्राम खेतीडीगाह पो0 चैलूसेण पौडी गढवाल	–
79	श्री राजेश कुमारस0ना0	पशुधन सहा0	ग्राम नसीरपुर विजनौर	–
80	श्री ओमप्रकाश	पशुधन सहा0	ग्राम आजली पो0 खाण्यसैण पौडी	–
81	श्री रमेश कुमार	पशुधन सहा0	–	9837351586
82	दिनेश लाल	पशुधन सहा0	खाड्यूसैण पौडी	806985705
83	संजीव कुमार	पशुधन सहा0	ग्राम व पत्रा0 गोपेश्वर जनपद चमोली	8859002108
84	बचन सिंह	पशुधन सहा0	पौडी	–
85	श्री गुणा नन्द	पशुधन सहा0	ग्राम अजोली खाडयूॅसेण पौडी गढवाल	8859045338
86	श्री गिरीश रावत	पशुधन सहा0	ग्राम व पो0 पावो पौडी	–
87	श्री गौकरण	पशुधन सहा0	ग्राम व पो0 गौनॉव नवादा बिहार	857068955

88	श्री साहबयरण	पशुधन सहा0	रामपुर पो0 प्रतापकी फैजाबाद	–
89	श्री कुरडी सिह	पशुधन सहा0	ग्राम नन्हेडा रुडकी	9897207138
90	श्री ओमप्रकाश	पशुधन सहा0	ग्राम आजली पो0 खाण्य्सैण पौडी	–
91	श्री हरकेश प्रसाद	पशुधन सहा0	ग्राम सुबीखर पो0 बैरोना देवरिया	9411069908
92	श्री धनश्याम सिह	पशुधन प्र0अ0	देहरादून	9411192029
93	श्री सुरेश नैथानी	पशुधन सहा0	ग्राम चैधार पो0 रीठाखाल पौडी गढवाल	8954562945
94	श्री शैलेन्द्र सिह	पशुधन सहा0	ग्रम कोलसी पो0 ठांगर पोडी गढवाल	–
95	श्री धीरज सिह	पशुधन सहा0	ग्राम बेटगॉव पो0 कल्जीखाल पौडी	
96	श्री सुरेन्द्र प्रसादतिवाडी	पशुधन सहा0	ग्रम पठोला पो0 बनचूरी पौडी गढवाल	9412923111
97	श्री मौ0 इमरान	पशुधन सहा0	ग्रम सफलपुर रूडकी	9719537309
98	श्रीमती बानो	पशुधन सहा0	भगवानपुर हरिद्वार	–
99	श्री रमेश लाल	पशुधन सहा0	ग्राम अयाल पो0 मोल्ठी पौडी	–
100	श्री विपिन कुमार	पशुधन सहा0	रेस्ट कैम्प देहरादून	–
102	श्री रधुबीर सिह	पशुधन सहा0	ग्राम नाउ पो0 बगेली पौडी	–
103	श्री गोविन्द कुमार	पशुधन सहा0	ग्रम डाडाली हरिद्वार	–
104	डा0पंकज प्रकाश	प0चि0अ0	हरिद्वार	8477000860
105	डा0 गरिमा शर्मा	प0चि0अ0	ऊधमसिहनगर	8449484923
106	श्रीमती रेणु वर्मा	प0चि0अ0	हरिद्वार	9456747515
107	श्री राजेश बडथ्वाल	मु0वे0फार्मे0	पौडी	9719456815

(मैनुअल–10)

प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी का वेतनमान तथा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक और उसके निर्धारण की पद्वति

विषय सूची

क0 सं0	विवरण	पेज नं0
10.1	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी,हरिद्वार के अर्न्तगत कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियो का विवरण एंव पारिश्रमिक	65–68
10,2	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी,हरिद्वार के अर्न्तगत कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियो का वेतनमान एंव निर्धारण पद्वति	68–75

10.1 मुख्य पशुचिकित्साधिकारी,हरिद्वार के अर्न्तगत कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियो का विवरण एंव पारिश्रमिक दिनांक 31.03.2017 तक की स्थिति

क0 स0	अधिकारी /कर्मचारी का नाम	पदनाम	वेतनमान	मैट्रिक्स	पारिश्रमिक देय
1	डा0 बी0सी0कर्नाटक	मु0प0चि0अ0	78800–209200	12	144672.00
2	डा0 रमन चोपडा	उपमु0प0चि0अ0	78800–209200	12	132791.00
3	श्री राजेन्द्र सिह रावत	ब0प्रशा0 अधिकारी	47800–151000	8	63112.00
4	श्री अनुसूया प्रसाद देवशाली	प्रशासनिक अधिकारी	44900–142400	7	55132.00
5	श्रीमती आशा भटट्	प्रधान सहायक	35400–112400	6	45666.00
6	श्री गुरु प्रसाद रणाकोटी	प्रवर सहायक	35400–112400	6	46992.00
7	श्री रविन्द्र कुमार	लेखाकार	35400–112400	6	49644.00
8	श्री जगवीर सिह रावत	प्रधान सहायक	28200–92300	5	33838.00
9	श्री लक्ष्मण सिंह गुॅसाई	कनिष्ठ सहायक	21700–69100	3	25190.00
10	श्री पंकज द्विवेदी	कनिष्ठ सहायक	21700–69100	3	25190.00
11	श्री सुधीर कुमार	अपर सांख्यिकी अधिकारी	44900–142400	7	48558.00
12	श्रीमती नीतू	सहायक संख्याधिकारी	35400–112400	6	44892.00
13	श्री राम सिह	वाहन चालक	44900–142400	7	49102.00
14	श्री दया राम	पशुधन सहायक	28200–92300	5	35968.00
15	श्री अशोक कुमार	पशुधन सहायक	25500–81100	4	32264.00
16	ड0 ऋचा सिह	पशु चिकित्साधिकारी ग्रेड.2	56100–177500	10	88752.00
17	श्री बीरेशबल	क्षेत्र प्रसार अधिकारी	47800–151000	8	56640.00
18	श्री कौशल कुमार	वैटनरी फारमेसिस्ट	56100–177500	10	63390.00
19	श्रीमती बानो	पशुधन सहायक	18000–58900	1	21876.00
20	श्री कुरडी सिह	पशुधन सहायक	29500–92300	5	38110.00
21	श्री साहब सरण	पशुधन सहायक	29500–92300	5	34948.00
22	श्री विजयपाल त्यागी	पशुधन सहायक	29500–92300	5	36228.00
23	श्री विशाल कुमार वर्मा	वैटनरी फारमेसिस्ट	56100–177500	10	63390.00
24	श्री अनिल कुमार	पशुधन सहायक	29500–92300	5	38108.00
25	श्री एस0पी0सिह	वैटनरी फारमेसिस्ट	35400–112400	6	47146.00
26	श्री रेणु वर्मा	पशुधन प्रसार अधिकारी	35400–112400	6	38600.00
27	डा0 सत्य विकास	पशु चिकित्साधिकारी ग्रे.1	67700–208700	11	104060.00
28	डा0 अमित कुमार	पशु चिकित्साधिकारी ग्रे.2	56100–177500	10	89292.00
29	डा0पंकज पंकाश	पशु चिकित्साधिकारी ग्रेड.2	56100–177500	10	88352.00
30	डा0 कमलकान्त	पशु चिकित्साधिकारी ग्रेड.2	56100–177500	10	78933.00
31	श्री मनीष कुमार	पशुधन प्रसार अधिकारी	35400–112400	6	44716.00
32	श्री मदन सिह रावत	क्षेत्र प्रसार अधिकारी	56100–177500	10	78702.00
33	श्री करणपाल	पशुधन सहायक	25500–81100	4	33386.00
34	श्री महेन्द्र	पशुधन सहायक	25500–81100	4	35228.00
35	श्री इमरान	पशुधन सहायक	28200–92300	5	39140.00
36	श्री योगेश	पशुधन सहायक	28200–92300	5	36998.00
37	श्री रमेश लाल	पशुधन सहायक	25500–81100	4	33468.00
38	श्री ओम प्रकाश	पशुधन सहायक	25500–81100	4	33468.00
39	श्री सुमन्तकुमार	पशुधन प्रसार अधिकारी	35400–112400	6	46446.00
40	श्री महिपाल सिह	वैटनरी फारमेसिस्ट	78800–209200	12	84584.00
41	श्री विपिन कुमार	वैटनरी फारमेसिस्ट	56100–177500	10	63350.00
42	श्री जगबीर सिह	वैटनरी फारमेसिस्ट	56100–177500	10	64170.00
43	श्री जोगेन्द्र	पशुधन सहायक	28200–92300	5	39142.00
44	श्री बचन सिह	पशुधन सहायक	28200–92300	5	34658.00

45	श्री राममूरत	पशुधन सहायक	28200–92300	5	37086.00
46	डा0 पी0के0 सिह	पशु चिकित्साधिकारी ग्रे.1	67700–208700	11	98565.00
47	डा0 रविन्द्र कुमार	पशु चिकित्साधिकारी ग्रे.2	56100–177500	10	86392.00
48	श्री चुनराज सिह	वैटनरी फारमेसिस्ट	56100–177500	10	61656.00
49	श्री रमेश कुमार	पशुधन सहायक	18000–55900	1	37088.00
50	श्री ईश्वर दयाल	पशुधन सहायक	25500–81100	4	35256.00
51	श्री हरकेश प्रसाद	पशुधन सहायक	25500–81100	4	37128.00
52	श्री देवेन्द्र सिह	वैटनरी फारमेसिस्ट	56100–177500	10	63390.00
53	डा0 राजपाल सिह	पशु चिकित्साधिकारी ग्रे.1	67700–208700	11	95785.00
54	श्री धनश्याम सिह	क्षेत्र प्रसार अधिकारी	47800–151100	8	58262.00
55	श्री प्रदीप कुमार डोडियाल	पशुधन प्रसार अधिकारी	47800–151100	8	56540.00
56	श्री चंन्दू लाल	पशुधन सहायक	28200–92300	5	38108.00
57	श्री विपिन कुमार	पशुधन सहायक	18000–55900	1	34226.00
58	श्री जी0एस0 नेगी	पशुधन प्रसार अधिकारी	56100–177500	10	64870.00
59	श्री यशपाल	पशुधन सहायक	28200–92300	5	35978.00
60	श्री धर्मेन्द्र कुमार	वैटनरी फारमेसिस्ट	56100–177500	10	63390.00
61	श्री विनोद कुमार	वैटनरी फारमेसिस्ट	56100–177500	10	63390.00
62	श्री एफ0डी0 खान	पशुधन प्रसार अधिकारी	56100–177500	10	68262.00
63	डा0 महेन्द्र कुमार	पशु चिकित्साधिकारी ग्रे.1	67700–208700	11	98418.00
64	श्री गौकरण	पशुधन सहायक	25500–81100	4	33228.00
65	श्री रजनीश कुमार	वैटनरी फारमेसिस्ट	56100–177500	10	63390.00
66	श्री लक्ष्मण सिह	पशुधन सहायक	25500–81100	4	33438.00
67	श्री गोविन्द कुमार	पशुधन सहायक	28200–92300	5	36068.00
68	श्री मुकेश कुमार	वैटनरी फारमेसिस्ट	56100–177500	10	63390.00
69	मौ0 इस्लाम	पशुधन सहायक	25500–81100	4	33228.00
70	श्री घनेन्द्र सिह	वैटनरी फारमेसिस्ट	56100–177500	10	63390.00
71	श्री नितिन कुमार	पशुधन प्रसार अधिकारी	35400–112400	6	53340.00
72	श्री राजबीर सिह	पशुधन प्रसार अधिकारी	56100–177500	10	66262.00
73	डा0सावन पंवार	पशु चिकित्साधिकारी ग्रे.1	67700–208700	11	98649.00
74	श्री मुकेश कुमार	पशुधन प्रसार अधिकारी	35400–112400	6	52052.00
75	श्री हरक सिह	पशुधन सहायक	28200–92300	5	39342.00
76	श्री रधुबीर सिह	पशुधन सहायक	28200–92300	5	35968.00
77	श्री जगदीश प्रसाद	पशुधन सहायक	28200–92300	5	35496.00
78	श्री रामगोपाल	पशुधन सहायक	28200–92300	5	39232.00
79	डा0 निसान्त सिंह सैनी	पशु चिकित्साधिकारी ग्रे.2	56100–177500	10	88752.00
80	श्री विकास चौहान	वैटनरी फारमेसिस्ट	56100–177500	10	63930.00
81	श्री सुरेन्द्र प्रसाद तिवाडी	पशुधन सहायक	25500–81100	4	31482.00
82	श्रीमती रश्मि रावत	पशुधन प्रसार अधिकारी	35400–112400	6	53340.00
83	श्री राजपाल सिह	क्षेत्र प्रसार अधिकारी	47800–151100	8	60384.00
84	श्री शशिकान्त धिल्डियाल	पशुधन प्रसार अधिकारी	47800–151100	8	56644.00
85	श्री नरेश कुमार	पशुधन प्रसार अधिकारी	47800–151100	8	58552.00
86	श्री दिनेश जोशी	पशुधन प्रसार अधिकारी	47800–151100	8	53480.00
87	डा0 अशोक कुमार	पशु चिकित्साधिकारी ग्रे.1	67700–208700	11	89987.00
88	श्री गिरीश रावत	पशुधन सहायक	25500–81100	4	35496.00
89	श्री कंवरपाल सिंह	पशुधन सहायक	25500–81100	4	34296.00
90	श्री गिरीश रावत	पशुधन सहायक	25500–81100	4	35496.00
91	श्री कंवरपाल सिंह	पशुधन सहायक	25500–81100	4	34296.00

92	श्री राजेश कुमार	पशुधन सहायक	28200–92300	5	35868.00
93	श्री रामविलास	पशुधन सहायक	25500–81100	4	34476.00
94	श्री हरेन्द्र सिह राठी	वैटनरी फारमेसिस्ट	67700–208700	11	76748.00
95	श्री सुशील कुमार धीमान	वैटनरी फारमेसिस्ट	56100–177500	10	63390.00
96	डा0 गरिमा शर्मा	पशु चिकित्साधिकारी ग्रे.2	56100–177500	10	83792.00
97	शैलेन्द्र सिह नेगी	पशुधन सहायक	25500–81100	4	33318.00
98	सुरेश कुमार मंमगाई	पशुधन सहायक	25500–81100	4	33318.00
99	श्री गुणानन्द	पशुधन सहायक	28200–92300	5	39510.00
101	संदीप कुमार	पशुधन प्रसार अधिकारी	35400–112400	6	44766.00
102	श्री राजेश वड़थ्वाल	चीफ वैटनरी फारमेसिस्ट	78800–209200	12	89612.00

उत्तराखण्ड शासन
वित्त (वेआ0–सा0नि0) अनुभाग–7
संख्या–250 / xxvii(7) / 2009
देहरादूनःदिंनाक 24 अगस्त 2009
कार्यालय–ज्ञाप
विषयः– प्रसूति अवकाश की सीमा में 135 दिन से बढाकर 180 दिन किये जाने के सम्बन्ध मे

कार्यालय–ज्ञाप संख्या–सा–4–394 / दस–99–216 / 79 दिंनाक 4 जून 1999 द्वारा स्थायी एवं अस्थायी महिला सरकारी सेवकों को 135 दिन का प्रसूति अवकाश स्वीकृत किया गया था।

2.अतःशासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में श्री राज्यपाल महोदय संदर्भगत कार्यालय–ज्ञाप संख्या–सा–4–394 / दस–99–216 / 79 दिंनाक 4 जून 1999 को अतिक्रमित करते हुए प्रसूति अवकाश के सम्बन्ध में वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–2भाग–2 से 4 के सहायक नियम 153(1) के अधीन सम्पूर्ण सेवाकाल में दो बार तक प्रसूति अवकाश लागू अन्य शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन अवकाश प्रारम्भ होने की तिथि से 135 दिन से बढाकर अधिकतम 180 दिन करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान है।

3ः उक्त व्यवस्था विभिन्न विभागों के राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण,प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के महिला शिक्षको (यू0जी0सी0,ए0आई0सी0टी0ई0,आई0सी0ए0आर0 वेतनमानों से आच्छादित पदों को छोडकर) एवं सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं की शिक्षणेत्तर महिला कर्मचारियों के लिये भी लागू होगी।

4ः उक्त नियम की अन्य शर्ते यथावत प्रभावी रहेगी।

5ः उपर्युक्त आदेश दिंनाक तात्कालिक प्रभाव से प्रभावी होगे।

6ः संगत अवकाश नियमों में आवश्यक संशोधन यथासमय किया जायेगा।

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचित सचिव।

संख्या–250 / गगअपप(7) / 2009तददिनांक

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड ओबराय भवन माजरा देहरादून।
2– सचिव, माननीय राज्यपाल उत्तराखण्ड।
3– सचिव, विधानसभा उत्तराखण्ड।
4– रजिस्टार जनरल, मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल।
5– रेजीडेनट कमिश्नर, उत्तराखण्ड,नई दिल्ली।
6– समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
7– समस्त कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।
8– समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी उत्तराखण्ड।
9– उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग।

10— निदेशक, एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड देहरादून।
11— गार्ड फाइल।

(अपर सचिव)

संख्याः— 878 / XV.1 / 10 / 7(54) / 2008

प्रेषक,

विनोद फोनीया,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा मे,

निदेशक,
पशुपालन विभाग,
देहरादून,उत्तराखण्ड।

पशुपालन अनुभाग—1 देहरादूनः दिनांक 11जून 2010

विषय— पशुपालन विभाग के मिनिस्ट्रीयल संवर्ग की संरचना का संशोधन किए जाने विषयक।

महोदय,

उपर्यक्त विषयकआपके पत्र सं0 11852स्था0—एक / मिनि0—संर्वग / 2009—10 दिनांक 30 मार्च 2010 के क्रम मे अवगत करना है कि पशुपालन विभाग के अर्न्तगत मिनिस्ट्रीयल संवर्ग मे उपलब्ध 217 पदो का शासनादेश सं0 171 / गअ.1 / 10 / 7(54) / 2008 दिनांक 29 जनवरी 2010 के द्वारा मात्राकरण किया गया था।

2— वित (वे0 आ0—सा0नि0) अनु0—7 के कार्यालस ज्ञाप सं0—443 / गगअपप (7) / 2010 दिनांक 09 फरवरी2010 के द्वारा मिनिस्ट्रीयल संवर्ग में पूर्व सृजित प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड—1 (वेतनमान रू0 9300—34800 ग्रेड वेतन 4200) एपं प्राशासनिक अधिकारी ग्रेड— 2 (वेतन रू0 9300—34800 ग्रेड वेतन 4200) रखने तथा वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी पूर्व वेतनमान 6500—10500 को 01—01—06 से वेतनमान 7450—11500 में उच्चीकृत करते हुए चेतनमान रू0 9300—34800 ग्रेड वेतन 4600 किये जाने एवं कार्मिक अनुभाग—2 के 183 / गगग(2) / 2010 दिनांक 11 फरवरी 2010 द्वारा मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के स्टापिंग पैटर्न में संशोधन करते हुए 10 या इससे अधिक मिनिस्ट्रीयल कर्मियों के कार्यालयों में 01 वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (वेतनमान रू0 9300—34800 ग्रेड वेतन 4600) का पद सुजिम करने तथा सृजित पद का लाभ दिनांक 01 जनवरी 2010 से नोशनल रू॰ से दिये जाने की व्यवस्था दी गयी है।

3— उक्त संशोधित स्टाफिंग पैटर्न के आधार पर पशुपालन विभाग के अर्न्तगत मिनिस्ट्रीयल संवर्ग में स्वीकृत 217 पदों का मात्राकरण निम्न प्रकार किये जाने की स्वीकृत प्रदान करते हैः दिनांक 31.03. 2017की स्थिति

क्र0 स0	पदनाम	वेतनमान एवं ग्रेड वेतन	संशोधित स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार संवर्ग वार स्वीकृत पदों का विवरण				स्वीकृत पद	संशोधित स्टापिंगपैट
			निदेशालय	कमाऊ मण्डल	प्रक्षेत्र	गढवल मण्डल		
1	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	15600—39100—5400	03	04	1	05	13	6%
2	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	9300—34800—4600	05	07	02	08	22	10%
2	प्रशासनिक अधिकारी	9300—34800—4200	05	06	02	08	21	10%
3	प्रधान सहायक	5200—20200—2800	09	12	4	15	40	18%
4	वरिष्ट सहायक	5200—20200—2800	14	18	06	23	61	28%
5	कनिष्ठ सहायक	5200—20200— 2000	16	20	7	26	69	32%

			50	64	21	82	217	

4– उपरोक्तानुसार कार्यालयवार पदों का विवरण संलग्न है।
5– उक्त फांट के अनुसार पदों की संख्या तथा वेतनमान का लाभ अनुमन्य मात्राकरण संगत संवा नियमों में आवश्यक संशोधन कर दिया जायेगा।

भवदीय,

(विनोद फोनिया)
सचिव

संख्या 878 (1) गअ.10 54 2008 तददिनांक

प्रतिलिपि– निम्नलिखत को सूचनाथ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।
1– महोलेखाकार उत्तराखण्ड।
2– निदेशक, लेखा एवं हकदारी देहरादून।
3– समस्त मण्डलायुक्त।
4– जिलाधिकारी, उत्तराखड।
5– समस्त अपर निदेशक, प्शुपालन विभाग उत्तराखण्ड।
6– समस्त परियोजना निदेशक, पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड।
7–रजिस्टार पशु चिकित्सा परिषद देहरादून।
8– समस्त मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, हरिद्वार।
9– समस्त पशुचिकित्साधिकारी, उत्तराखण्ड।

10– समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
11– वित अनुभाग–7/कार्मिक अनुभाग–2 उत्तराख्राण्ड शासन।
12– निदेशक, एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड।

आज्ञा से
(एस0के0पन्त)
अनुसचिव

संख्या:37/xxvii(7)सा0बी0यो0/2009

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,
प्रमुख सचिव,वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7 देहरादनू:दिनाक 13 फरवरी 2009

विषयः– उत्तराखण्ड राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा एवं बचत योजना के अन्तर्गत मासिक अभिदान एव आच्छादन की धनराशि का दिंनाक 01 जनवरी 2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन, संरचना में अनुमन्य ग्रेड वेतन के आधार पर पुनरीक्षण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय शासनादेश संख्या 395/गगअपप(7)/2008 दिंनाक 17 अक्टूबर 2008 के द्वारा प्रदेश के विभिन्न वर्गो के कार्मिको के वेतनमानों का दिंनाक 01–01–2006 से पुनरीक्षण किया गया है। इस संबध में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिये राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा एवं बचत योजना के अन्तर्गत मासिक अभिदान एवं आच्छादन के निमित्त दिंनाक 01 नवरी 2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य ग्रेड वेतन के आधार पर निम्न तालिका के अनुसार सामूहिक बीमा आच्छादन की धनराशि मासिक अभिदान की दर, बीमा निधि एवं बचत निधि की पुनरीक्षित दरों को लागू किये जाने की श्री राज्यपान सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

क्रमां	पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य ग्रेड वेतन	मासिक अभिदान की दर	बीमा निधि	बचत निधि	बीमा आच्छादन

क					की धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	रू0 2800	100	30	70	100000
2	रू0 2801 से रू0 5400	200	60	140	200000
3	रू0 5401 से अधिक	400	120	280	400000

3–मुझे यह भी कहने का निर्देश हुआ है कि उक्त तालिका में अंकित पुनरीक्षित वेतनमानों की संरचना में अनुमन्य ग्रवेतन के अनुरूप्ज्ञ मासिक अभिदान की दरों एवं बीमा आच्छादन को निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन लागू किया जायेगा।

(क) उक्तानुसार पुनरीक्षित दर से मासिक अंशदान की कटौती मार्च 2009 का वेतन देय 1 अप्रैल 2009 से प्रारम्भ कर दी जायेगी।

(ख) पूर्व में निस्तारित किसी प्रकरण को इस शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में पुर्नजीवित नही किया जायेगा।

(ग) वेतनमानों की संरचना का उक्त वर्गीकरण मात्र सामूहिक बीमा योजना के अन्तर्गत कटौती की जाने वाली धनराशि तथा उसके विरूद्ध देय आच्छादन तक ही सीमित है तथा इसका सेवा संवर्गो के वर्गीकरण से कोई संबध नही है।

(घ) उत्तराखण्ड राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा एवं बचत योजना के संबध में पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या 16/xxvii(7) सा0बीमा/2005 दिंनाक 24 अक्टूबर 2005 इस शासनादेश प्रभावी होने की तिथि से उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचित सचिव।

संख्या–250/गगअपप(7)/2009तददिनांक

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड ओबराय भवन माजरा देहरादून।
2– सचिव,मा0मुख्यमत्री उत्तराखण्ड देहरादून।
3– सचिव, माननीय राज्यपाल उत्तराखण्ड।
4– सचिव, विधानसभा उत्तराखण्ड।
5– रजिस्टार जनरल, मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल।
6– स्थानीय आयुक्त, उत्तराखण्ड नई दिल्ली।
7– पुनर्गठन आयुक्त, उत्तराखण्ड विकास भवन, लखनऊ
8– निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इन्टरनल आडीटर उत्तराखण्ड देहरादन।
9 – समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।
10– उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग
11– इरला चैक अनुभाग उत्तराखण्ड देहरादन।
12– निदेशक, एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड देहरादून।
13– गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(टी0एन0 सिह)
अपर सचिव

कार्यालय ज्ञाप संख्या–188(1)/XV-2/2(41)/2006 दिनांक 03 मार्च 2010 के अनुसार जनपद हरिद्वार में कार्यरत पशुचिकित्सा श्रेणी –2 के अधिकारियों की अंतिम वरिष्ठता सूची दिनांक 31.03.2016 तक की स्थिति

क0 सं0	अधिकारी का नाम	जन्म तिथि	गृह जनपद	विभाग में विनियमितीकरण/नियुक्त की तिथि
1	डा0 बी0सी0,मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	27–12–1963	नैनीताल	01–02–1991
2	डा0 रमन चोपडा ,उपमुख्य पशुचिकित्साधिकारी	30–06–1966	हरिद्वार	26–02–1997
3	डा0 महेन्द्र कुमार पशुचिकित्सा अधिकारी ग्रेड–1	25–05–1977	अमबेडकरनगर	17–07–2007
4	डा0 राजपाल सिह पशुचिकित्सा अधिकारी ग्रेड– 1	10–11–69	मेरठ	18–07–2007
5	डा0सावन पंवार पशुचिकित्सा अधिकारी ग्रेड 1	20.12.1979	उधमसिंहनगर	22–03–.2005
6	डा0 अशोक कुमार पशुचिकित्सा अधिकारी ग्रेड 1	09.08.1978	श्री गंगानगर	15.02.2008
7	डा0 पी0के0 सिह पशुचिकित्सा अधिकारी ग्रेड 1	05–10–19	सुल्तानपुर	18–07–2007
8	डा0 अमितपाल पंवार पशुचिकित्सा अधिकारी ग्रेड–2	21–09–1983	हरिद्वार	03–03–2009
9	ड0 निसान्त सैनी पशुचिकित्सा अधिकारी ग्रेड 1	19–11–1982	हरिद्वार	03–03–2009
10	डा0 सत्यविकास पशुचिकित्सा अधिकारीग्रेड–1	18.01.1979	हरिद्वार	07.07.2005
11	डा0 रविन्द्र कुमार पशुचिकित्सा अधिकारी ग्रेड–2	25–06–1983	हरिद्वार	07–01–2011
12	डा0 कमलकान्त पशुचिकित्सा अधिकारी ग्रेड–2	06–12–1984	हरिद्वार	07–11–2012
13	सुनील कुमार पशुचिकित्सा अधिकारी ग्रेड–2	04–08–1981	हरिद्वार	05–03–2009

14	डा0 ऋचा सिंह पशुचिकित्सा अधिकारी ग्रेड 2	25.06.1983	ऊधमसिहनगर	03.03.2009
15	डा0 गरिमा शर्मा ग्रेड–2	11–02–1986	उधमसिहनगर	03–06–2011
16	डा0पंकज प्रकाश	21.07.1980	हरिद्वार	05.03.2009

जनपद हरिद्वार पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड में कार्यरत वैटनेरी फार्मेसिस्ट की सूची का विवरण

क0 स0	वेटनरी फार्मेसिस्ट का नाम	जन्मतिथि	वे0 फार्मेसिस्ट के पद पर योगदान तिथि	गृह जनपद	शैक्षिक योग्यता	स्थाई / अस्थाई	वर्ग	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	श्रीसत्यपासिहमु0वे0फा0	04.10.1956	01.07.1979	गजियाबाद	हाईस्कूल	.....	सामान्य	
2	श्रीराजेशबडथ्वालमु0वे0फा0	18–01–59	23–08–80	पौडी	इण्टर		सामान्य	
3	कौशल कुमार वे0फार्मे0	02.06.1961	01.11.1984	पौडी	इण्टर	...	साामान्य	
4	श्री महिपाल सिह नेगी	05.06.1964	11.03.1986	पौडी	इण्टर	...	सामान्य	
5	श्री हरेन्द्र सिह राठी	08.07.1962	13.03.1987	मुज्फरनगर	इण्टर	...	सामान्य	
6	श्री विशाल कुमार	20.07.1977	05.04.1999	बिजनौर	इण्टर	...	अ0पि0ज0	
7	श्री विपिन कुमार	05.07.1977	06.04.1999	सहारनपुर	इण्टर	....	अनु0ज0	
8	श्री विकास चौहान	01.04.1980	08.04.1999	मुज0नगर	इण्टर	..	अ0पि0वर्ग	
9	श्री जगवीर सिह	30.06.1966	09.04.1999	सहारनपुर	इण्टर	.....	अ0पि0वर्ग	
10	श्री रजनीश कुमार	02.04.1972	09.04.1999	सहारनपुर	स्नातक	...	अ0पि0वर्ग	
11	श्री घनेन्द्र सिह	15.07.1979	10.04.1999	बुलन्दशहर	इण्टर	....	अ0पि0वर्ग	
12	श्री देवेन्द्र सिह	08.05.1972	12.04.1999	बुलन्दशहर	एम0एस0सी0	...	अनु0जा0	
13	श्री सुशील कुमार	20.07.1967	15.04.1999	बिजनौर	इण्टर	...	अ0पि0वर्ग	
14	श्री मुकेश कुमार	02.01.1971	15.04.1999	मुज्फरनगर	बी0एस0सी0	...	अनु0जाति	
15	श्री धर्मेन्द्र कुमार	22.02.1974	16.04.1999	पोडी	बी0एस0सी0	..	अनु0जाति	
16	श्री विनोद कुमार	10.1.72	19.4.99	बागपथ	इण्टर	.....	अनु0जाति	
17	श्री चुनराज सिंह	10.09.1975	7.10.1999	हरिद्वार	इण्टर		अनु0जाति	

जनपद हरिद्वार पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड में कार्यरत पशुधन प्रसार अधिकारियो की सूची का विवरण

क0 स0	पशुंधन प्रसार अधिकारियों का नाम	जन्मतिथि	पशुधन प्रसार अधिकारियों के पद पर योगदान तिथि	गृह जनपद	शैक्षिक योग्यता	स्थाई / अस्थाई	वर्ग	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	श्री रामपाल सिह	20.11.55	03.09.82	सहारनपुर	इण्टर	स्थाई	अ.पि.वर्ग	
2	श्री धनशयम सिह	11.2.69	20.07.1994	पौडी	इण्टर	स्थाई	अनु0जाति	–
3	श्री मदन सिंह रावत	03.08.58	06.01.79	पौडी	इण्टर	स्थाई	सामान्य	–
4	श्रीमती रेणु वर्मा	15.05.79	01.02.2008	देहरादून	बे0एस0सी0	अस्थाई	पि0वर्ग	
5	श्री एफ0डी0खान	08.06.61	09.06.87	सहारनपुर	इण्टर	अस्थाई	अ.संख्यक	
6	श्री गैणा सिंह नेगी	12.7.63	1.11.88	रूद्रप्रयाग	इण्टर	अस्थाई	सामान्य	
7	श्री नरेश कुमार	30.06.66	09.01.91	मेरठ	इण्टर	अस्थाई	अ.पि.वर्ग	–
8	श्री राजबीर सिंह	30.06.64	18.01.91	हरिद्वार	इण्टर	अस्थाई	अ.पि.वर्ग	–
9	श्री राजपाल सिंह	05.07.65	30.04.93	सहारनपुर	इण्टर	अस्थाई	अ.जाति	–
10	शशिकान्त घिल्डियाल	25.05.67	20.7.94	पौडी	इण्टर	अस्थाई	सामान्य	–
11	श्री बीरेशबल			देहरादून		अस्थाई	अ.जाति	
12	श्री प्रदीप ढौडियाल			पौडी		अस्थाई	सामान्य	
13	श्री दिनेश चन्द्र जौशी	4.11.76	22.4.2000	चमोली	बी0एस0सी0	अस्थाई	सामान्य	
14	श्री मुकेश कुमार	4.2.78	16.4.2003	मुजजफरनगर	इण्टर	अस्थाई	अ0पि0वर्ग	–
15	श्रीजी0एस0 नेगी			चमोली		अस्थाई	सामान्य	
16	श्री संदीप कुमार	22.9.1985	31.01.2008	हरिद्वार	बे0एस0सी0	अस्थाई	टनु0जाति0	
17	श्री सत्येन्द्र पाल सिंह	20.5.69	8.7.2006	सहारनपुर	इण्टर	अस्थाई	सामान्य	
18	श्रीमती रश्मि राणा	1.06.1984	1.1.08	देहरादून	इण्टर	अस्थाई	सामान्य	

19	श्री मनीष कुमार	31.12.84	1.1.2008	हरिद्वार	इण्टर	अस्थाइ		
20	श्री नितिन	16.12.86	30–01–08	उधम सिहनगर	इण्टर	अस्थाइ	पिछडीजाति	

जनपद हरिद्वार में पशुपालनविभाग उत्तराखण्ड में कार्यरत लिपिक वर्गीय कर्मचारियेा की वरिष्ठता सूची–दिनांक 31.03. 2016 तक की स्थिति

क0 स0	कर्मचारी का नाम	जन्मतिथि	योगदान तिथि	गृह जनपद	शैक्षिक योग्यता	स्थाई/ अस्थाई	वर्ग	अभ्युक्ति त
1	श्रीमती पूनम खन्तवाल	10.5.1983	9.9.2010	पौडी	इन्टर	अ0स0	सामान्य	
2	श्रीमती आशा भटट प्र0स0	11.5.1972	05.05–92	चमोली	एम0ए0	अस्थाई	सा0	–
3	श्री मनोज नैलवाल क0स0	22.6.1988	15.7.2016	चमोली	इन्टर	अस्थाई	सामान्य	–
4	श्री गुरु प्रसाद रणाकोटी	1.04.1960	24.07.1992	टिहरी	इन्टर	अस्थाई	सामान्य	–′
5	श्री रमेश चन्द्र भट्ट क0स0	27.10.65	2.10.2002	टिहरी	हाईस्कूल	अस्थाई	सामान्य	–
6	जगबीर सिंह रावत क0स0	1.1.70	18.11.02	उत्तरकाशी	बी0ए0	अस्थाई	पिछडा	–
7	लक्ष्मण सिह गुसांईक0स0	15.6.77	03.09.12.	पौ।डी	एम0ए0	अस्थाई	सामान्य	–
8	श्री आर0एस0रावत प्र0अ0	04.06.65	30.12.86	पौडी	बि0एस0सी0	स्थाई	सामान्य	
8	श्री पंकज द्विवेदी क0स0	10.10.91	01.11.13	पौडी	बी0बी0ए0	अस्थाई	सामान्य	–

लेखा संवर्ग

क0 स0	कर्मचारी का नाम	जन्मतिथि	योगदान तिथि	गृह जनपद	शैक्षिक योग्यता	स्थाई/ अस्थाई	वर्ग	अभ्युक्ति
1–	श्री रविन्द्र कुमार लेखाकार	1.3.1967	25.8.1992	देहरादून	वी0काम0एम0ए0 एल0एल0बी0	अस्थाई	अनु0जाति	–

जनपद हरिद्वार में पशुपालनविभाग उत्तराखण्ड में कार्यरत सांख्यकीय संवर्ग कर्मचारियेा की वरिष्ठता सूची–

क0 स0	कर्मचारी का नाम	जन्मतिथि	योगदान तिथि	गृह जनपद	शैक्षिक योग्यता	स्थाई/अस्थाई	वर्ग	अभ्युक्त
1	सुधीर कुमार	12.12.1982	12.8.2009	हरिद्वार	एम0एस0सी0	अस्थाई	पि0जा0	––
3–	कुमारी नीतू सिंह	12.1.1983	10.8.2009	हरिद्वार	एम0एस0सी0	अस्थाई	अनु0जाति	–

जनपद हरिद्वार में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की अनन्तिम कोटिक्रम सूची

क0 सं0	नाम	गृह जनपद का नाम	जन्मतिथि	विभाग में नियुक्ति तिथि	स्थाई/अस्थाई	शैक्षिक योग्यता	सामान्य/आ रक्षित	अभ्युक्ति
1	श्री दिनेश लाल	पौडी	8.09.1958	1.07.1980	स्थाई	8 उततीर्ण	अनु0जाति	
2	हरक सिंह	चमोली	13.03.1961	13.11.1981	अस्थाई	साक्षर	सामान्य	
3	जोगेन्द्र	बिजनौर	15.01.1954	19.06.1983	अस्थाई	साक्षर	अनु0जा0	
4	गुणानंद	पौडी	19.03.1963	23.01.1984	अस्थाई	साक्षर	अनु0जा0	
5	श्री राम गोपाल	विजनौर	16.03.1959	24.12.1981	स्थाई	साक्षर	अनु0जा0	
6	ओम प्रकाश	पौडी	18.07.1961	15.10.1984	अस्थाई	8 उत्तीर्ण	सामान्य	
7	कुरडी सिंह	सहारनपुर	12.10.1964	21.06.1985	अस्थाई	8 उत्तीर्ण	अनु0 जा0	
8	राजेश कुमार	बिजनौर	1.1.1966	18.09.1986	अस्थाई	8 उत्तीर्ण	सामान्य	
9	योगेन्द्र कुमार	सहारनपुर	1.1.1958	13.10.1986	अस्थाई	साक्षर	सामान्य	
10	अनिल कुमार	बिजनौर	19.03.1963	1.09.1987	अस्थाई	साक्षर	सामान्य	
11	विजयपाल सिंह	बिजनौर	2.10.1965	1.09.1987	अस्थाई	साक्षर	सामान्य	
12	श्री सुरेन्द्र तिवाडी	पौडी	1.07.1959	14.10.1987	अस्थाई	साक्षर	सामान्य	
13	रघुवीर सिंह रावत	पौडी	8.01.1966	5.11.1987	अस्थाई	10 उत्तीर्ण	सामान्य	
14	गोविन्द कुमार	हरिद्वार	8.03.1967	23.11.1987	अस्थाई	8 उत्तीर्ण	सामान्य	
15	महेन्द्र सिंह	बिजनौर	1.07.1966	21.12.1987	अस्थाई	साक्षर	अनु0 जा0	
16	मौ0 इमरान	स्हारनपुर	1.07.1962	1.03.1988	अस्थाई	साक्षर	अल्प संख्यक	
17	रमेश कुमार	बिजनौर	8.02.1962	1.3.1988	अस्थाई	साक्षर	पिछडी जाति	
18	साबशरण	फैजाबाद	19.05.1961	2.3.1988	अस्थाई	साक्षर	सामान्य	
19	हरकेश कुमार	देवरिया	1.03.1971	24.05.1990	अस्थाई	साक्षर	सामान्य	
20	वचन सिंह	पौडी	4.07.1970	18.06.1990	अस्थाई	साक्षर	सामान्य	
21	कुंवरलाल	हरिद्वार	5.02.1970	30.01.1991	अस्थाई	साक्षर	पिछडी जाति	
22	गिरीश चंद्र सिंह	पौडी	12.06.1967	5.06.1992	अस्थाई	इन्टर	सामान्य	
23	कर्णपाल	हरिद्वार	2.03.1965	29.10.1992	अस्थाई	साक्षर	अनु0जा0	

24	ईश्वर दयाल	बिजनौर	9.01.1964	26.02.1993	अस्थाई	साक्षर	अनु0जा0	
25	लक्ष्मण सिंह	पौडी	15.5.1966	6.07.1993	अस्थाई	साक्षर	सामान्य	
26	सुरेश चन्द	पौडी	15.11.1962	8.07.1993	अस्थाई	साक्षर	सामान्य	
27	ओम प्रकाश	पौडी	3.05.1973	12.071993	अस्थाई	10 उत्तीर्ण	अनु0जा0	
28	सुरेश कुमार नैथानी	पौडी	8.01.1959	1.10.1993	अस्थाई	8 उत्तीर्ण	सामान्य	
29	विपिन कुमार	देहरादून	5.11.1962	8.06.1994	अस्थाई	साक्षर	सामान्य	
30	रमेश लाल	पौडी	15.11.1967	1.09.1994	अस्थाई	8 उत्तीर्ण	अनु0जा0	
31	गौकरण	नवादा(बिहार)	15.12.1972	30.06.1995	अस्थाई	साक्षर	पिछडी जाति	
32	श्री चन्दू लाल	बिजनौर	23.03.1966	07.08.1988	अस्थाई	साक्षर	अनु0जा0	
33	मो0 इस्लाम	हरिद्वार	7.05.1975	6.01.1997	अस्थाई	साक्षर	अनु0जा0	
34	शैलेन्द्र सिंह	पौडी	21.06.1964	6.02.1997	अस्थाई	8 उत्तीर्ण	सामान्य	
35	अशोक कुमार	गाजियाबाद	7.7.1975	30.05.1997	अस्थाई	8 उत्तीर्ण	अनु0जा0	
36	दयाराम	पौडी	13.11.1963	23.02.1988	अस्थाई	साक्षर	सामान्य	
37	विक्रम सिंह	मुजफफरनगर	27.07.1981	24.10.2004	अस्थाई	साक्षर	अनु0जा0	
38	श्री रामविलास	ऋषिकेश	16.07.1975	30.05.1997	अस्थाई	साक्षर	सामान्य	
39	श्रीमती बानो	भगवानपुर	08.09.1975	04.12.2012	अस्थाई	साक्षर	पिछडी जाति	

10.2अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक और उसके निर्धारण की पद्वति–

शासनादेश संख्या 299/गगअपप/(7)/2010दिनांक 30.12.1 के द्वारा प्रत्येक पदभार हेतु पृथम–पृथक पदधारकों को वेतन के अतिरिक्त ग्रेड पे तथा मंहगाई भत्ता मकान किराया भत्ता दिया जाता है। पशुधन प्रसार अधिकारियायें को नियमित यात्रा भत्ता भी देय है। वर्तमान में विभिन्न पदधारकों के वेतनमान निम्नवत्है और कर्मचारियों को 3प्रतिशत वार्षिक वेतन वृद्वि दी जाती है और तदनुसार ही उनका वेतन आहरित होता है ।

वेतनमान/वेतन वैण्ड/ग्रेड पे

1–मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	78800–209200 मैट्रिक्स–12
2–.पशुचिकित्साधिकारी ग्रेड 1	67700–208700 मैट्रिक्स–11
3–.पशुचिकित्साधिकारी ग्रेड 2	56100–177500 मैट्रिक्स–10
4–.अन्वषेक कम संगणक	35400–112400 मैट्रिक्स–6
5– मुख्य प्रसार अधिकारी	47600–151100 मैट्रिक्स–8
6– क्षेत्र प्रसार अधिकारी	44800–142400 मैट्रिक्स–7
7– पशुधन प्रसार अधिकारी	35400–112400 मैट्रिक्स–6
8– मुख्य वेटनरी फार्माशिस्ट	78800–209200 मैट्रिक्स–12
9.– वेटनरी फार्माशिस्ट	44800–142400 मैट्रिक्स–7
10–लेखाकार	35400–112400 मैट्रिक्स–6
11–.सहायक लेखाकार	28200–92300 मैट्रिक्स–4
12–मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	56100–177500 मैट्रिक्स–10
13–.प्रशासनिक अधिकारी	44800–142400 मैट्रिक्स–7
14– वरिष्ठ लिपिक	35400–112400 मैट्रिक्स–6
15–.कनिष्ठ सहायक	21700–69100 मैट्रिक्स–2
16.–वाहन चालक	21700–69100 मैट्रिक्स–2
17–.ड्रैसर	18000–58900 मैट्रिक्स–1
18.–अनुसेवक	18000–58900 मैट्रिक्स–1

शासनादेश संख्या 299/गगअपप/(7)/2010दिनांक 30.12.2016 के द्वारा दिनांक 01.01.2016 से संशोधित वेतन वैड /वेतनमान एवं ग्रेड वेतन के अनुसार मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते जो देय होते है दिये जाते है। मूल वेतन एवं ग्रेड पे के योग पर महंगाई भत्ता देय होता है, अन्य भत्ते मूल वेतन/ग्रेड पे के अनुसार देय होता है ।

महँगाई भत्ताः– वर्तमान में 4 प्रतिशत महंगाई भत्ता देय है ।

मकान किराया भत्ता–मकान किराया भत्ता शासनादेशसंख्य 61गअपप/(7)/2009दिनांक 16.02.2009 के द्वारा दिया जाता है । मकान किराया भत्ता उन कर्मचारियों को देय नही होता है जिन्हें आवास सुविधा उपलब्ध होती है, अथवा जो पूल्ड हाउसिंग के आवासों में रहते हैं । उनके वेतन से निर्धारित किराये की कटौती की जाती है ।

नियत यात्रा भत्ता निम्नानुसार देय होता हैः–

पर्वतीय क्षेत्र	मैदानी क्षेत्र
1200	1200

यह भत्ता केवल पशुधन प्रसार अधिकारियो को देय होता है जो उन्हें उनके क्षेत्र में कार्य करने के लिए अनुमन्य है ।

शासन की अधिसूचना संख्या 186/गगअपप;7द्ध 2006 वित्त अनुभाग–7 दिनांक 8 मार्च 2006 से राज य कर्मचारियों के सामान य भविष य निधि के वि ियमन के लि ए उत्तरॉचल सामान य भविष्य निधि नियमावली–2006 लागू की गयी है।

नई सा0भ0नि0 नि यमावली लागू होने पर पषुपालन विभाग उत्तरॉचल में सा0भ0नि0 लेखों कर रखरखाव तथा निधि से अग्रिम/ अग्रिम स्थाई निस्कासन/अन्तिम निस्कासन की स्वीकृति हेतु नई नि यमावली में दि ये ग ये निर्देषो

का कडाई पालन सूनिष्चित कि या जा य। नियमावली 2006 के अनुसार सा0भ0नि0 से अग्रिम/ विषेष अग्रिम स्थाई निस्कासन/अन्तिम निस्कासन तथा सा0भ0नि0 सेसम्बध लिंक बीमा योजना अर्न्तगत स्वीकृत अधिकारी निम्न प्रकार होगे।
(क) निधि से अग्रिम/ विषेष अग्रिम/ स्थाई निस्कासन के स्वीकृता अधिकारी–
1–वर्ग घ कर्मचारी–(1) जनपदों में मु0प0चि0अ0/नियुक्ति अधिकारी– कार्यालय अध यक्ष
(2) मण्डलीय कार्यालयों में उ0नि0/नियुक्ति अधिकारी
(3)विभागाध्यक्ष स्तर पर अपर निदेषक/ विभागाध्यक्ष
2– वर्ग ग कर्मचारी–(1) मण्डलीय उ0नि0 पौडी/नैनीताल/हल्दवानी/पषुलोक/ नियुक्ति अधिकारी
(2) विभागाध्यक्ष स्तर पर अपर निदेषक/विभागाध्यक्ष
3– वर्ग ख एवं क (1) अपर निदेषक उततरॉचल/ विभागाध्यक्ष
(ख)सेवानिवृती पर अन्तिम निस्कासन एवं 90 प्रतिषत भुगतान स्वीकृता अधिकारी
1–वर्ग घ कर्मचारी–(1)जनपदों में मु0प0चि0अ0/नियुक्ति अधिकारी– कार्यालय अध्यक्ष
(2)मण्डलीय कार्यालयों मेंउ0नि0/नियुक्ति अधिकारी/कार्यालय अध्यक्ष
(3)विभागाध्यक्ष स्तर पर अपर निदेषक/विभागाध्यक्ष
(2) वर्ग ग, ख, एवं क, (1) अपर निदेषक उत्तराखण्ड / विभागाध्यक्ष
(ग) उत्तराखण्ड गठन बाद सेवा काल में मृत्यु होने पर लिंक बीमा योजना भुगतान स्वीकृती।

ह0(दमयन्ती दोहरे)
अपर निदेषक

(1)वर्ग घ कर्मचारी– (1) नियुक्ति अधिकारी
(2) वर्ग ग, ख, एवं क, (1) अपर निदेषक उत्तराखण्ड / विभागाध्यक्ष

कार्यालय– अपर निदेषक पषुपालन विभाग उत्तरॉचल गोपेष्वर चमोली।

संख्या 1089/लेखा–2/2(72)/2006–07 दिनांक 18–7–2006
1– प्रतिलिपि– समस्त वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ।
2– प्रतिलिपि– निम्नाकितों को सूचनार्थ एवं उक्तानुसार आवष्यक का र्यवाही हेतु।
1– समस्त मु0त0अ0(पषुष्व/कुक्कुट/ पषुपोषण/ भेड) उत्तराखण्ड ।
2– समस्त मुख्य पषुचिकित्साधिकारी, उत्तराखण्ड ।
3– उपनिदेषक, प00पा0वि0/ नैनीताल हल्दवानी/ पषुलोक एवं समस्त श्रेणी–1 अधिकारी उत्तराखण्ड ।
4– प्रा0नि0 भेड प्रजनन प्रक्षेत्र मक्कू रूद्रप्र याग।
5– प्रभारी– स्थापना/ सम्पपरीक्षण/ नियोजन/ पषुधन/सांख्यकी य।

(दमयन्ती दोहरे)
अपर निदेषक

(मैनुअल–11)

सभी योजनाओं प्रस्तावित व्ययों और किये गये सविताणेां पर रिर्पोट की विषिश्टियां उपदर्षित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट

विषय सूची

क्रम सं0	विवरण	पृष्ठ सं0
11.1	पशुपालन विभाग की वार्षिक योजना 2013–14 परिव्यय एवं स्वीकृति	76
11.2	विभागीय विकास कार्यक्रमों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति	77–
11.3	पशुपालन विभाग एक दृष्टि	78
11.4	परफोरमैंस रिपोर्ट	78
11.5	2013–14 का अभिकरण को आवंटित बजट/व्यय विवरण	79–82

11.1 वार्षिक जिला योजना 2016–17 का अनुमोदित परिव्यय/आवंटन रूपये लाख में

क्र0 सं0	योजना का नाम	वास्तविक व्यय				वर्ष 16–17 का परिव्यय/आंवटन	
		13–14	14–15	15–16	116–17	परिव्यय	आवंटन
1	2	3	4	5	6	7	8
	(4) पशुपालन विभाग						
	पशुचिकित्सालय/प0से0के0 हेतु दवा वैक्सीन क्रय/शिविरों का आयोजन	29.45	45.17	50.65	50.82	46.75	46.75
2	पशुचिकित्सालय एवं पशु सेवा केन्द्र का भवन निर्माण	24.00	25.91	13.78	60.51	10.00	10.00
3	वर्तमान कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रो का सुद्वढीकरण एवं स्थापना	0.20	0.20	0.95	0.20	0.50	0.50
4	ग्रामीण प्रसार कार्यक्रम के अन्तर्गत पशु प्रर्दशनी का आयोजन	0.50	0.50	1.31	1.40	2.10	2.10
5	चारा विकास कार्यक्रम का संघनीकरण	3.00	3.00	13.20	14.00	0.00	0.00
6	अनु0जाति के लाभार्थी रोजगार परक योजना	8.34	14.70	16.80	16.80	8.40	8.40
7	भेडो को पारजीवी कीटाणुओं से बचाव हेतु सामूहिक दवापान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	शिविरों का आयोजन	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	महा योग	**67.69**	**89.48**	**96.74**	**143.73**	**77.75**	**77.75**

11.2 विभागीय चार चिन्हित कार्यक्रमों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति वर्ष 2016–17

क्र0स0	योजना का नाम	वार्षिक लक्ष्य	क्रमिक प्रगति	क्रमिक लेवी धनराशि
1	पशुचिकित्सा–क– बडे पशु		62886	628860.00
	ख–छोटे पशु		13164	65820.00
	ग–मुर्गी–मुर्गा		143600	00.00
	घ–कुत्ता एवं बिल्ली		4163	166520.00
2–	बधियाकरण–क–बडे पशु		342	5130.00
	ख–छोटे पशु		7427	74270.00
3–	टीकाकरण–क–एच0एस		13103	91447.00
	ख– एफ0एम0डी0		41570	205734.00
	ग–ए0आर0बी0		98	381
	घ– एस0एफ0		0	0
	च– बी0क्यू0	0	1000	1000
4	कृत्रिम गर्भाधान–गाय		23049	1382940.00
	भैस–		13451	807060.00

महामहिम राज्यपाल को भेजी जाने वाली टीकाकरण की सूचना। जनपद हरिद्वार, वर्ष 2016–17

क्र0स0	ठीकाकरण	लक्ष्य	सामान्य	स्पेशल	योग
			क्रमिक प्रगति	क्रमिक प्रगति	क्रमिक प्रगति
1	2	3	4	5	7
1	एच0एस0		54472	36975	91447
2	एम0एम0डी0		166427	39307	205734
3	ए0आर0बी0		381	0	381
4	एस0एफ0	**373000**	0	0	0
5	बी0क्यू0		6511	5115	11626
6	अन्य		400	400	800
	योग		**235577**	**81872**	**317449**

11.3 पशुपालन विभाग एक दृष्टि में :–

जनपद हरिद्वार

क्र0सं0	विवरण	संख्या
1.	कुल भौगोलिक क्षेत्रफल (1991के अनुसार)	**1994 वर्ग किमी0**
2.	कुल जनसंख्या(2001 के अनुसार)	**1485234**
3.	जनसंख्या धनत्व (2001 के अनुसार)	**612 प्रति वर्ग किलोमीटर**
4.	कुल पशुधन (2003 के अनुसार) 2.07	**467048**
5.	पशुधन धनत्व	**268प्रति वर्ग किमी0**
6.	पशुचिकित्सालय	**16**
7.	पशुसेवा केन्द्र	**38**
8.	''डी'' श्रेणी औषधालय	**02**
9.	कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र	**16/15**
10.	गोवंशीय पषुओं की संख्या	**139401**
11.	महिशवंशीय पशुओ की संख्या	**272964**
12.	भेड़	**4287**
13.	बकरिया	**26115**
14.	घोड़े/ टट्टु	**1905**
15.	सूकरों की संख्या	**9850**
16.	कुत्तों की संख्या	**12867**
17.	खरगोशों की संख्या	**159**
18.	कुक्कुट पक्षियों की संख्या	**47243**

11.4 परफोरमेंस रिपोर्ट

1–वर्श 2016–17 में पषुचिकित्सा, टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम में शत–प्रतिशत अपेक्षित वृद्धि की गई है तथा टीकाकरण के लक्ष्य भी प्राप्त कर लिए गये ।

2–चारा बीज वितरण के अंतर्गत वर्श 2016–17 में 13496 कु0 प्रमाणित चारा बीजो का वितरण प्रदर्षन करते हुए कराया गया जिससे कुल 8410 पषुपालको को लाभान्वित किया गया और कुल 120.30 हैक्टेयर क्षेत्रफल में प्रमाणित चारा बीजो के अंतर्गत आच्छादित किया गया । साथ ही पषुपालको द्वारा कुल उत्पादित हरा चारा 86045 कु0 उगाया गया ।

3–राष्ट्रीय कार्यक्रम जैसे अल्पबचत योजनान्तर्गत आलोच्य वर्श में विभिन्न प्रतिभूतियों में वेतन से बचत योजना में रू0 10044107.00 जमा कराया गया।

4–वर्ष 2016–17 में यू0एल0डी0बी0 के अंतर्गत 7, तथा एस्केड योजना के अन्तर्गत 18 पषुपालक गोश्ठियो एवं पषु चिकित्सा शिविरो का आयोजन कराकर पशुपालको को विभागीय कार्यक्रमो से लाभावित्त किया गया ।

11.5 लेखाशीर्षक 2403–पशुपालन आयोजनेत्तर के अन्तर्गत आंवटित बजट के सापेक्ष व्यय/समर्पण विवरण 2016.17

(धनराशि रू0 हजार में)

मद	आवंटन 2016–17	व्यय की कुल धनराशि	समर्पित धनराशि
01	**02**	**03**	**04**
01–वेतन	5400	5121	279
03–महगाई भत्ता	5850	3960	190
04–यात्रा भत्ता	113	113	0
05–स्थानान्तरण यात्राा भत्ता	60	60	0
06–अन्य भत्ता	300	309	0
योग	**11732**	**9563**	**2169**
02 मजदूरी	52	45	07
07 मानदेय	0	0	0
08 कार्यालय व्यय	257	257	0
09 विघुत देयक	160	160	0
10 जलकर प्रभार	10	10	0
11 लेखन सामग्री	28	28	0
12 कार्यालय फर्नीचर	30	30	0
13 टेलीफोन व्यय	47	27	20
15–मोटरगाडी अनुरक्षण	80	80	0
16 व्या0सेवा फीस	700	700	0
25 लघु निर्माण	0	0	0
19 विज्ञापन	58	58	0
26 मशीन साज सज्जा	60	60	0
27 चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	61	61	0
28 मोटर गाडी अनुरक्षण	0	0	0
29 अनुरक्षण	50	50	0
31 सामग्री सम्पूर्ति	0	0	0
39 औषधि रसायन	700	700	0
42 अन्य व्यय	15	15	0
42 भारित	0	0	0
44 प्रशिक्षण व्यय	0	0	0
46 कम्प्यूटर क्रय	50	50	0
47 कम्प्यूटर स्टेशनरी	25	25	0
20 सहायक अनुदान	0	0	0
योगः–	**2333**	**2356**	27
महायोगः–	**14065**	**11919**	2196

11.6 लेखाशीर्षक 2403–पशुपालन आयोजनागत के अन्तर्गत आवंटित बजट के सापेक्ष व्यय समर्पण विवरण 2016.17

जिला योजना **अनुदान संख्या 28** **(धनराशि रू0 हजार मे)**

क्र0 स0	योजना का नाम	मद का नाम	कुल आंवटन	व्यय की गई धनराशि	समर्पित धनराशि
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	पशुचिकित्सा हेतुं दवा वैक्सीन क्रय/शिविरों का आयोजन	26 मशीन साज सज्जा	0	0	0
		31 सामग्री सम्पूर्ति	0	0	0
		39 औषधि रसायन	0	0	0
		39 औषधि रसायन भेड	0	0	0
		42 अन्य व्यय	27.45	27.45	0
		योग	**27.45**	**27.45**	**0**
2	वर्तमान कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रो का सुदृढीकरण एवं स्थापना		30	30	0
		योग	**30**	**30**	**0**
3	प्रदेश मे चारा विकास कार्यक्रम का सघनीकरण एवं सघन विकास	42 अन्य व्यय	00	00	0
		योग	**0**	**00**	**0**
4	पशुचिकित्सालयों/पशु सेवा केन्द्रो का भवन निर्माण	24 वृहत निर्माण	10.00	10.00	0
		योंग	**10.00**	**10.00**	**0**
		कुल योग	**37.75**	**37.75**	**0**
	राज्य सैक्टर				
5	कृत्रिम गर्भाधान से उत्पन्न संतति बछियों को पुरूस्कृत की योजना	42 अन्य व्यय	0	0	0
		योग	**0**	**0**	**0**
6	पशुचिकित्सालयों पर शल्य चिकित्सा आदि की सुविधा	42 – अन्य व्यय	4.00	4.00	0
7	एस्कड योजना 75 प्रतिशत केन्द्र पोषित				
		42 अन्य व्यय	14.98	14.98	0
		योग	**18.98**	**18.98**	**0**
8–	सांख्यिकी प्रकोष्ठ की स्थापना 50 प्रति0				
		01 वेतन	**304**	**286**	
		03 महगाइ भत्ता	224	205	19
		06 अन्य भत्ता	5	2	3
		04 यात्रा भत्ता	2	2	0
		योग	**231**	**209**	**22**

9–पशु चिकित्सालय/पशु औषधालय की स्थापना एंव सुदृढीकरण

		42 अन्य व्यय	0	0	0
		योगः–	**0**	**0**	**0**

लेखाशीर्षक 2403–पशुपालन आयोजनागत के कम्पोनेन्ट अन्तर्गत आवंटित बजट के सापेक्ष व्यय/समर्पण विवरण 2016–17

अनुदान संख्या 30 जिला योजना (धनराशि रू0 हजार में)

क0 स0	योजना का नाम	मद का नाम	कुल आवंटन	व्यय की कुल धनराशि	समर्पण घनराशि
1	2	3	4	5	6
1	पशुचिकित्सा हेतु दवा वैक्सीन क्रय/शिविरों का आयोजन	15 मोटरगाडी अनु0	0	0	0
		26 मशीन साज सज्जा	0	0	0
		31 सामग्री सम्पूर्ति	0	0	0
		39 औषधि रसायन	0	0	0
		42 अन्य व्यय	19.30	19.30	0
		योग	**19.30**	**19.30**	**0**
2	वर्तमान कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रो का सुदृढीकरण एवं स्थापना	20 सहायक अनुदान	20	20	0
		योग	**20**	**20**	**0**
3	भेड एंव उन विकास दारिन्दा पद्वति पर बकरा साण्ड क वितरण	42 अन्य व्यय	0	0	0
		योग		**0**	**0**
4	भेड एंव उन विकास भेडो को परजीवी कीटाणुओं से बचाव की योजना ।	42 अन्य व्यय	0	0	0
		योग	**0**	**0**	**0**
5	ग्राम्य और प्रसार कार्यक्रमों के अन्तर्गत प्रदर्शनियोंका आयोजन	42 अन्य व्यय	2.10	2.10	0
		योग	**2.10**	**2.10**	**0**
6	लाभार्थी रोजगार परक कुक्कुट पालन ईकाई	42 अन्य व्यय	840	840	0
		योग	**840**	**840**	**0**
7	प्रदेश में चारा विकास कार्यक्रम का सघनी करण एवं संघनविकास	31 सामग्री सम्पूर्ति	0.00	0.00	0
		42 अन्य व्यय	0.00	0.00	0
		योग	**0.00**	**0.00**	**0**
		महा योग	**30.00**	**30.00**	**0**

राज्य सैक्टर

1	बकरी एंव गौपालन योजना	42 अन्य व्यय	5868	5868	0
		योग	**5868**	**5868**	**0**
2	पशु चिकित्सालयों पर शल्य चिकित्सा आदि की सुविधा	42 – अन्य व्यय	400	400	0
		योग	**400**	**400**	**0**
3	अटल आदर्श ग्राम योजना	वेतन आदि	4410	4410	0
		योग	**4410**	**4410**	**0**

	अटल आदर्श ग्राम योजना निर्माण	24 बृहद निर्माण	3186	3186	0
		योग	**3186**	**3186**	
	अहिल्याबाई होल्कर योजना	42 अन्यव्यय	1652	1652	0
		योग	**1652**	**1652**	0
	गौसदनो की स्थापना	42 अन्य व्यय	1828	1828	0
		योग	**1828**	**1828**	0
	महायोग राज्य सैक्टर :–		**18114**	**18114**	
केन्द्र पोषित					
1	एस्कड योजना 75 प्रतिशत केन्द्र पोषित	42 अन्य व्यय	1498	1498	0
		योग	**1498**	**1498**	**0**
2	पशु चिकित्सालयो का सुदृढीकरण ।	42 अन्य व्यय	0	0	0
		योग	**0**	**0**	**0**
3		42 अन्यव्यय	0	0	0
		योग	**0**	**0**	**0**
4	उत्तराखण्ड राज्य में आर0पी0पी0पी0आर0 रोग का उन्मूलन तथा सर्विलेंस कार्यक्रम 100 प्रतिशत केन्द्रपोषित	04 यात्रा भत्ता	0	0	0
		08 कार्यालय व्यय	4	4	0
		15 मोटर गाडी	10	10	0
		42 अन्य व्यय	17	17	0
		योग	**43**	**43**	**0**
5	एन0एल0एम	42 अन्य व्यय	560	560	0
		योग	**560**	**560**	
6	पशुपालन में साख्यिकी प्रकोष्ठ की स्थापना 50 प्रतिशत केन्द्र पोषित	01– वेतन	0	0	0
		03 महगाईभत्ता	0	0	0
		04–यात्रा भत्ता	0	0	0
		06 अन्य भत्ता	0	0	
		योगः–	**0**	**0**	**0**
	प्रदेश में पशुगणना सम्बन्धी कार्य	**42 अन्य व्यय**	**0**	**0**	**0**
		योग–'	**0**	**0**	**0**
		महायोग	**2101**	**2101**	**0**

(मैनुअल–12)

सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्राहियों के ब्यौरे सम्मलित है ।

विषय सूची

क0स0	विवरण	पृष्ठ सं0
12.1	यु0एल0डी0बी0के अर्न्तगत जनपद में कार्यरत कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रो का नाम	83
12.2	विभागीय कार्यक्रमों से लाभान्वित परिवारों की सूची	84–85

1— उत्तरांचल लाईवस्टाक डेवलपमेन्ट बोर्ड द्वारा राश्ट्रीय गौ एवं महिशवंषीय परियोजना के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्यक्रक चलाये जा रहे है । 1. ,एन0पी0सी0वी0वी0योजनान्तर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम 2, फार्मस ओरियेन्टेषन एवं इनफर्टीलिटी कैम्प	बोर्ड द्वारा यह कार्यक्रम विष्व बैंक की सहायता से 10 वर्शो की अवधि हेतु नवीनतम तकनीकी को बढावा देने तथा पषुधन उत्पादों में वषद्वि करने हेतु उत्तरांचल राज्य में उत्तरांचल लाइवस्टाक डेवलपमेन्ट बोर्ड द्वारा किया जा रहा है ।पूर्ण विवरण संलग्न है । यह कार्यक्रम राज्य के 13 जनपदों में किया जा रहा है, इसका चयन मुख्य पषु चिकित्सा अधिकारी,जनपदीय प्रबन्धक यूएल0डी0बी0 तथा सम्बन्धित दुग्ध संघ के प्रधान प्रबन्धक द्वारा किया जाता है ।

उत्तराखण्ड लाइस्टांक डेवलपमेंट बोर्ड पशुधन भवन मोथरोवाला देहरादून
राजकीय कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र,पशुपालन विभाग उत्तराचंल,
जनपद हरिद्वार ।

क0स0	**राजकीय कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रो का नाम**
1.	पशुचिकित्सालय.हरिद्वार / सदर
2.	पशु सेवा केन्द्र,ज्वालापुर
3	पशुचिकित्सालय,बहादरावाद
4	पशु सेवा केन्द्र,फेरूपुर
5	पशु सेवा केन्द्र,अलावलपुर
6	पशु सेवा केन्द्र,पथरी
7	पशुचिकित्सालय,तेलीवाला
8	पशुचिकित्सालय,बेलडी
9	पशु सेवा केन्द्र,दौलतपुर
10	पशुचिकिल्सालय,रूडकी
11	पशु सेवा केन्द्र,नन्हैडा
12	पशु सेवा केन्द्र,मेवडकला
14	पशुचिकित्सालय,मंगलौर
15	,द,श्रेणीपशुचिकित्सालय,लखनौता
16	पशुचिकित्सालय,झवरैडा
17	पशुचिकित्सालय,नारसन
18	पशुचिकिल्सालय,भगवानपुर
19	,द,श्रेणीपशुचिकिल्साल्र,चुडियाला
20	पशु सेवा केन्द्र,मानकपुर
21	पशु सेवा केन्द्र,बुग्गावाला
22	पशुचिकित्सालय,गोर्वद्वनपुर
23	पशुचिकिल्सालय,लक्सर
24	पशु सेवा केन्द्र,सुल्तानपुर
25	पशु सेवा केन्द्र, एथल
26	पशुचिकिल्सालय,लण्ढौरा
27	पशुचिकिल्सालय,रायसी
28	पशु सेवा केन्द्र,निरंनजनपुर
29	पशुचिकिल्सालय,सिकरौडा
30	पशुचिकिल्सालय,खानपुर
31	पशु सेवा केन्द्र,चन्दपुरी
32	पशुचिकिल्साय,लालढांग
33	पशु सेवा केन्द्र,श्यामपुर
34	पशु सेवा केन्द्र पोडोवाली

एस्कैड– योजना

एस्केड योजना के अंतर्गत रू0 32.16 लाख आंवटित हुए ,जिसके सापेक्ष रू0 32.16लाख 16, पषु चिकित्सालयों वैक्सीनेसन तथा बॉझपन चिकित्सा गोश्ठियां आदि मदो में व्यय किया गया है।

एस्केड योजना के अंतर्गत वर्श 2016.17 में 12 गोश्ठियो का आयोजन किया गया तथा जनपद स्तरीय एक गोश्ठी विकास ख्राण्ड नारसन के अन्तर्गत आयोजित की गयी ।

राज्य सैक्टर योजना– के अन्तर्गत गौपालन योजना में वर्ष 2016.17 में 06 विकास खण्डों में 149 यूनिटों की स्थापना की गयी एवं बकरी पालन योजनाओं में वर्ष 2016.17 में 06 विकास खण्डों में 8 यूनिट की स्थापना हेतु रूपये 5.04 लाख की गयी दोनों योजनाओं (गौपालन एवं बकरीपालन) हेतु कुल धनराशि 58.68 लाख की धनराशि अवमुक्त हुई है।

2 अहिल्यया बाई होल्कर योजनान्तर्गत बकरीपालन योजना में 06 विकासखण्डों में 18 यूनिट स्थापित करने हेतु रू0 1651860.00 की धनराशि अवमुक्त हुई हैं।

मैनुअल 13

अपने द्वारा अनुदत्त रियायतो, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारो के प्राप्ति कर्ताओं की विशिष्टियां

विषय सूची

क्रम सं0		पृष्ठ संख्या
13.1	वर्ष 2013–14 की विशेष उपलब्धियॉ	87–
13.2	पशुओं के प्रमुख संक्रामक रोग लक्षण और बचाओं	88–89
13.3	पशुपालन कैसे करें	89–90
13.4	मुर्गियो के मुख्य रोग, लक्षण निदान, टीकाकरण एवं रोग नियंत्रण	91–99
13.5	नागरिक अधिकार पत्र	100–101

13.1 विशेष उपलब्धियॉ

(अ)–जनपद में कार्यरत पशुपालन संस्थायें:– जनपद हरिद्वार में पशुपालन विभाग में निम्नानुसार संस्थायें कार्यरत है ।

1–पशुचकित्सालय–16

2 पश ुसेवा केन्द्र– 40

3–कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र/उपकेन्द्र 16/38

13.2 पशुओ के प्रमुख संक्रामक रोग लक्षण और बचाव

यह रोग जो बैक्टीरिया, वायरस तथा प्रोटोजोआ द्वारा फैलता है, संक्रामक रोग कहलातें है छूत से फैलने वाले रोग संक्रामक रोग होते है।पशुपालक जानते है कि संक्रामक रोगो द्वारा दुधारू पशुओ में शारीरिक एव आर्थिक हानि हुआ करती है ।

1. खुरपका मॅहपका रोग:

यह एक भयानक संक्रामक वाइरस जनित रोग है । रोग में तेज बुखार आता है जो 104 डिग्री फैरेनाइट तक पहुॅचता है । मुॅह से लार टपकती है, खुर मे घाव हो जाने पर पशु एक स्थान पर खडा नही रह पाता है लंगडाकर चलता है घाव में कीडे पड जाते है पशु खाना पीना छोड देता है, दूध के उत्नपादन में कमी आ जाती है ।

बचाव :–इसका टीका पशुपालन विभाग, उत्तरॉचल द्वारा रियायती दर पर लगाया जाता है, यह टीका वर्ष आरम्भ में हाने से पहले मई–जून में लगवा लेना चाहिए यह टीका लगवा कर महामारी से बचा जा सकता है । यदि बीमारी हो जाए तो बीमार पशु का स्वस्थ पशु से अलग रखना चाहिए ।

2. पोंकनी रोग:

यह भी वाइरस जनित भयानक रोग है इससे काफी पशुओ की मष्त्यु हो जाती है बीमार में बुखार 105 से 107 डिग्री तक आता है, दस्त आते है, मुॅह,जीभ तक आंतो में छाले पड जाते है । पशु कमजोर हो जाता है ऑखे बैठ जाती है, नाक,ऑख तथा मुॅह से पानी गिरने लगता है, पशु कमजोर होकर लडखडाकर गिर जाता है और मर जाता है ।

बचाव :–स्वस्थ पषुओ में बचाव के लिए टीका लगवा लेना आवष्यक है । यह टीका अक्टूबर/नवम्बर में लगाया जाता है । इससे जी.टी.बी. तथा लेपिनाइज्ड वैक्सीन मुख्य है । आजकल रिन्डरपेस्ट उन्मूलन कार्यक्रम चल रहा है इस हेतु आर.पी. खोज कार्य जारी है इसलिए टीकाकरण का कार्य नही कराया जा रहा है ।

3. माता रोग:

यह विषाणु जनित रोग है इसमे अयन एवं थनो में छाले पड जाते है । बाद में घाव बन जाते है । जिससे थनैला रोग होने का भय उत्पन्न हो जाता है ।

बचाव :–बीमार पशु का अलग रखना चाहिए तथा घाव में ऐन्टीसेप्टिक मल्हम लगाना चाहिए ।

4. रैबीज:

यह रोग पागल कुत्ते, सियार के काटने से होता है यह रोग वाइरस जनित है । प्रमुख लक्षणो में पषु का उग्र होना, मुह से लार टपकना, रोगी पषु कंकड तथा मिट्टी को चबाने का प्रयास करता है अंत में लकवा मार जाता है और पशु की मृत्यु हो जाती है । बीमार पशु की लार लगने से मनुष्य में यह रोग फैल जाता है ।

बचाव :–पशु के घाव को कार्बोलिक एसिड साबुन द्वारा साफ करना चाहिए । उसके बाद एन्टीरेबीज का टीका लगवाना चाहिए क्योकि लक्षण पैदा होने पर उपचार संभव हो जाता है । यह टीका राजकीय पशु चिकित्सालय द्वारा निःशुल्क लगाया जाता है ।

5. गलाघोंटू:

जीवाणु जनित रोग है । यह पॉस्टुरेल्ला जीवाणु द्वारा होता है । इस रोग में 104 से 106 डिग्री तक बुखार आता है, गले में सूजन आती है, सॉस लेने मे कठिनाई होती है । उपचार न कराने पर पषु 24 घंटें में मर जाता है । यह रोग आमतौर पर बरसात में होता है परन्तु वर्श मे कभी भी हो सकता है ।

बचाव :–रोग की रोकथाम के लिए पशुओ को प्रतिवर्ष मई–जून माह में टीका लगवा लेना चाहिए । रोग हो जाने पर बीमार पशु को अलग रखना चाहिए तथा उपचार कराये ।

6. लंगडिया बुखार:

यह भी जीवाणु जनित रोग है ।यह क्लोस्ट्रिडियम चोबिआई द्वारा फैलता है मुख्यतः ये रोग छः महीने से दो वर्श तक की आयु के पशुओ में होता है । प्रमुख लक्षणो में तेज बुखार आना, पैर मे सूजन आना और सूजन में गैस का भरना है, सूजन के दबाने से चरचराहट की आवाज आती है ।

बचाव :–रोग की रोगथाम के लिए पशुओ में अगस्त–सितम्बर में टीका लगाना चाहिए । बीमार पशु का एन्टी ब्लैक क्वार्टर सीरम लगवाना चाहिए । मरे पशु को जमीन में गाढ देते है जिससे संक्रामक न हो सके ।

7. जहरी बुखार:

यह रोग 'बैसिलस–एन्थ्रेसिस' नामक जीवाणु से होता है । इस रोग के प्रमुख लक्षणो में 105 से 108 डिग्री फैरेनाइट तक तेज बुखार आता है तिल्ली बढ जाती है तथा खून का रंग काला हो जाता है । नाखूनो से खून निकलता है । अंततः 24–48 घंटे में मृत्यु हो जाती है । रोग संक्रमण द्वारा मनुष्यो में भी फैल जाता है । यह जूनोटिक रोग है ।

बचाव :–रोग के बचाव के लिए स्वस्थ पषुओ में अगस्त माह में एन्थ्रेक्स का टीका लगवाना चाहिए मरे हुए पशु की खाल नही निकालनी चाहिए और शव को गहरे खड्डे मे चूना डालकर दबा देना चाहिए।

इस समस्त रोगो के लक्षण उत्पन्न होने पर पशुचिकित्सक की सलाह से उपचार कराये जिससे पशुपालन शासन द्वारा उपलब्ध सेवाओ का लाभ उठाकर आर्थिक आनि से बच सके ।

13.3 पशु पालन कैसे करें

पशु का आवास व्यवस्था :–

5. पशुषाला का निर्माण ऊॅचे स्थान पर करें ।
6. पशु के खडे होने का स्थान आगे से पीछे की ओर ढाल वाला हो, तथा चिकना न हो वरना पशु के फिसलने का खतरा रहता है ।
7. खुला हवादार स्थान हो तथा फर्श पक्का हो ।
8. पानी के स्तर से ऊचे वाले स्थान पर पशुशाला बनाये ।
9. गोबर, पेसाव गड्ढे मे एकत्र कर खाद बनानी चाहिए ।
10. पशुशाला की सफाई नियमित रूप से दो बार करे ।
11. पशु ुषाला के पास छायादार बृक्ष हो ।
12. पशु को स्नान कराने की व्यवस्था हो ।

कृत्रिम गर्भाधान क्यों अपनाये :–

1. उच्च गुणवत्ता के साण्ड सरलता से नही मिलते ।
2. प्रत्येक साण्ड के रखरखाव एवं चारे पर अधिक खर्च आता है ।
3. छोटे आकार के पशुओ में नैसर्गिक प्रजनन में परेशानी होती है ।
4. साण्ड द्वारा प्रजनन से जननअंग की बीमारी फैलती है ।
5. वीर्य की जॉच साण्ड में सम्भव नही हो पाती है कृत्रिम गर्भाधान से पूर्व वीर्य जॉच कर प्रयोग करते है ।
6. साण्ड मे एक बार के वीर्यदान से एक पशु गर्भित होता है जबकि उसी वीर्य की मात्रा से कृ0गर्भा0 द्वारा 20–30 पशु गर्भित किये जाते है ।
7. साण्ड की मृत्यु के पश्चात् भी उसकी संतति प्राप्त की जा सकती है ।
8. किसी दूरस्थ स्थानो पर पहाडो पर भी कृ0ग0 द्वारा संतति आसानी से प्राप्त की जा सकती है ।
9. एक दिन में साण्ड द्वारा अधिकतम दो कवरिंग होती है जबकि कृ0ग0 द्वारा एक दिन में कितनी भी संख्या में पशुओ को गर्भित किया जा सकता है ।

अच्छा दुग्ध उत्पादन – महत्वपूर्ण तथ्य :–

1. पशु का दुहान नियमित रूप से निश्चित समय पर करें ।
2. दुहान से पूर्व अयन को लाल दवा के पानी से साफ करें ।
3. दुहान का बर्तन ऊपर से आधा तिरछा/ढका हुआ हो ।
4. दुहान निरोग व्यक्ति द्वारा हाथो को साबुन से स्वच्छ कर अथवा लाल दवा से धोकर किया जाय ।
5. दुहान के समय शान्ति का माहौल हो, हल्का संगीत बजाने से अधिक उत्पादन मिलता है ।
6. दुहान का कार्य शीघ्रता से एक बार मे पूरा करना चाहिए ।

7. दूध की प्रारम्भिक धार प्रयोग में नही लानी चाहिए, उसे फेंक देना चाहिए ।
8. गर्मियो में दिन में एक बार पशु को नहलाये एवं अधिक दुग्ध उत्पादन प्राप्त करें ।
9. दुहान के समय गंध वाला आहार न खिलायें या ग्वालो का इत्र का प्रयोग नही करना चाहिए अन्यथा दूध से गंध आ जायेगी

भारतीय पशुओ के आनुवांषिक पदार्थ के संरक्षण की आवष्यकता :–

1–भारतीय नस्ल की दुग्ध उत्पादन क्षमता काफी अच्छी है ।
2.भारतीय नस्लो की बीमारियो के प्रति प्रतिरोधक क्षमता अधिक है ।
3.नर बच्चो की कार्यक्षमता अधिक होती है ।
4.भारतीय नस्लो में वसा का प्रतिशत अधिक होता है
5.रखरखाव में कम खर्च आना ।
6.डिस्टोकिया का प्रतिशत कम होना ।
7.

13.4 मुर्गियो के मुख्य रोग, लक्षण निदान, टीकाकरण एवं रोग नियंत्रण

मुर्गियों के मुख्य रोग निम्न प्रकार है :–

1–रानीखेत

मुर्गियों में यह बीमारी सबसे घातक है । यह एक विशाणु से होती है वैसे तो यह रोग सभी आयु वर्ग में फेलता है परन्तु चूजों में यह अत्यधिक उग्र रूप से फेलता है । गले में घरघराहट,बलगम की षिकायत,स्वास लेने में कठिनाई,मुह खोलकर ष्वांस षरीर की मांसपेषियों में कम्पकपाहट चलने में लंगडापन तथा पैरों में लकवा होना,तेज बुखार,बीट पानी जैसी पतली बदबुदार तथा पंख बिखर जाते है । कलंगी काली पड जाती है । सर,पैरों या पंजे के बीच कर लेती है । यदि पक्षी अंडे देने वाली हो तो उसके अण्डा उत्पादन में गिरावट,अण्डे का छिलका काफी पतला तथा उनका आकार भी कम होता है अदि लक्षण दिखाई देते है । इस रोग का कोई उपचार नही है । रोग होने पर षत प्रतिषत तक मष्त्यु हो जाती है यदि समय पर टीकाकरण किया जोय तो रोग पर नियंत्रण किया जा सकता है । रानीखेत एफ वन स्अेन की बूंद नाक में तथा एक बूंद आंख में एक से छः दिन तक डाल दी जाये तो दो माह की उम्र तक रानीखेत से पक्षियों का बचाव किया जा कसता है । 6 से 8 सप्ताह बाद नययें पक्षियों को रानीखत का टीका लगा दिया जाता है और ऐसा करके पक्षियों को रानीखेत रोग से जीवन भर के लिये सुरक्षित कर लिया जाता है । बीमार पक्षियों को तुरन्त बदल दिया जाये तो बीमारी को फेलने से रोगा जा सकता है ।

2,मुर्गी चेचक

यह दूसरी मुख्य फलने वाली बीमारी है यह एक किस्म के विशाणु द्वारा होती है । यह सभी आयु के पक्षियों में होती है परन्तु बडी में अधिक होती है
लक्षण–भूख की कमी सुस्त सांस लेने में तकलीफ नाक या आंख से पानी आना,कलंगी,कर्णफूल और पैरों में चेचक के दाने पैदा होना,तेज बुखार ,कानों में झागदार पदार्थ जमा हो जाना,मुह में झिल्ली पैदा होना और यदि झिल्ली न निकाली गई तो दम घुटने लगता है । अण्डा उत्पादन गिर जाना,मष्त्यु छोटे बच्चों में अधिक तथा बडों में कम होती है । इस बीमारी से 60ः पतिषत तक म1त्यु सम्भव है । इस रोग से बचाव के लिए आवष्यक है कि दो माह की उम्र पर फाउल पोक्स का टीका लगाया जाये । इस रोग से बचाव के उपाय को ही प्राथमिकता दी जाती है । परन्तुं यदि रोग हो जाये तो स्वस्थ्य पक्षियों को तुरन्त बीमार पक्षियों से अलग कर टीका लगा दिया जाना चाहिये ,बाडों की सफाई तथा कीटाणुनाषक घोल का छिडकाव कर बीमार पक्षियों को सन्तुलित आहार तथा पानी के साथ एन्ओबायोटिक तथा विटामिन्स दिये जाये । मुह में यदि झिल्ली हो गयी हो तो उसे निकाल देना चाहिये ।

3–जुकाम लगना–(फाउल कोराइजा)–

यह जीवाणुओं द्वारा फेलने वाला रोग है जो अतिषीध्र मुर्गियों को अपनी पकड में ले लेता है इस बीमारी के मुख्य लक्षणों में छीक आना,खांसना,सांस लेने में कठिनाई होना,सिर को ऊपर उठाना तथा चेहरे ,कर्णफूल में सूजन,आंख तथा नाक से दुर्गल्धित द्रव का निकलना,भूख में कमी हो जाना,अण्डों की उत्पादन क्षमता में कमी हो जाना । रोग के उपचार के लिये सॅलयुक्त औशधियां आहार या पानी में देनी

चाहिए । इसी के साथ–साथ अच्चे एन्ओवायोंक्सि भी दिये जाते है रोकथाम के लिये रोगग्रस्त पक्षियों को तुरन्त अलग कर देना चाहिए ।

4–मुर्गी का हैचा रोग(फाउल कालरा)–

यह भी जीवाणुओं ,द्वारा होने वाला रोग है यह अधिकतर वर्शा .ऋतु में फेलता है जब बीमारी का प्रकोप होता है तो बिना लक्षण दिखाये काफी संख्या में मष्त पाये जाते है इस बीमारी में हरे पीले दस्त भूख में कमी कभी–कभी सांस लेने में कठिनाई प्यास अधिक लगना
जोडों में सूजन, कलंगी तथा कर्णफूल मे सूजन या काला पड जाना तथा भर मे गिरावट आने के लंक्षण दिखाई देते है । इससे कभी –कभी छः से आठ सप्ताह के आयु वर्ग की मुर्गियो मे रोग होता है परन्तु सामान्यतः बडी मुर्गियो मे ही यह रोग होता है । मष्त्यु कभी कम कभी अधिक होती है रोग के उपचार में सल्फा दवाओ का प्रयोग किया जाता है एनटीवायोटिक द्वारा भी उपचार हो जाता है । रोग से बचाव के लिए डेढ माह से अधिक पक्षियो में फाउल कालरा का टीकस लगवा लेना चाहिए । रोग नियंत्रण के लिए बीमारी के दौरान कुक्कुट गष्हो मे स्वच्छ हवा के आवागमन के लिए उचित व्यवस्था की जाये ।

5. लकवे का रोग (मैरिक्स डिजीज)–

यह विशाणुजनित रोग है इस बीमारी में भी मष्त्यु दर अधिक होती है रोग के मुख्य लक्षण जो पाये जाते है उस के अनुसार बीमार पक्षियो को लकवा रोग पैदा हो जाता है व खा पी नही सकते । जिससे उनकी मष्त्यु हो जाती है यह बीमारी आमतौर से छोटी उम्र के पक्षियो (डेढ माह से दो माह) में अधिक होती है । बडे उम्र के पक्षियो में जो अण्डा देने वाली होती है, उनके पैरो तथा गर्दन में लकवा हो जाता है इन के भार में कमी हो जाती है, सांस लेने मे कठिनाइ होती है, तथा कभी–कभी दस्तो की षिकायत होती है इस रोग से बचाव के लिए एक दिन के बच्चो को एच.बी.टी. नामक वैक्सीन का टीका लगा दिया जाता है । इससे जीवन पर्यन्त इस रोग से सुरक्षा हो जाती है हालांकि बीमारी पैदा हाने पर बीमार पक्षियो की चिकित्सा सम्भव नही परन्तु यदि स्वस्थ पक्षियो को अलग कर बाडो की सफाई, उन मे कीटाणुनाषक दवा का छिडकाव कर दिया जाये और बिछावन बदल दी जाये और मुर्गी बाडो मे स्वच्छ हवा का आवागमन प्र्याप्त कर दिया जाये तो स्वस्थ पक्षियो को बीमार होने से बचाया जा सकता है ।

6. चिचडी ज्वर (स्पाइरोकीटोसिस) –

इस रोग के कीटाणुओ की वजह चिचडिया हाती है । यह मुर्गियो की एक आम व खतरनाक बीमारी है । रोग के लक्षणेा में बीमार मुर्गियॉ अलग–अलग रहती है, सुस्त हो जाती है, पंख बिखर जाते है, पैरो व पंजो में सूजन आ जती है, कमजोर हो जाती है तथा बुखार हो जाता है, ठीक से खडी नही हो पाती, सिर झुका देती है, पानी अधिक पीती है । हरे रंग के तीव्र दस्त, तथा मरने से पहले षरीर का तापक्रम सामान्य से कम हो जाता है । रेग से बचाव के लिए छः सप्ताह से अधिक आयु पर वैक्सीन लगायी जाती है । बीमार होने पर एन्टीवायोटिक का टीका तीन दिन तक लगवाना चाहिए । रोग नियंत्रण के लिए बाडापे से चिचडियो को नश्ट कर दे इसके लिए ब्लो लैम्प का प्रयोग या फिर कीटनाषक दवा का प्रयोग करना होगा ।

7. दीर्घकालीन ष्वांस रोग (सी0आर0डी0) –

यह भी संक्रामक रोग है जो अक्सर सर्दियो में होता है । इस रोग के फैलने पर पक्षियो में मष्त्यु दर 40 प्रतिषत तक हो सकती है रोग के लक्षण, भूख कम लगना, सॉस लेने मे कठिनाई, ऑख से तथा नाक से पानी आना तथा गले के अन्दर पीले रंग का पदार्थ जमा होना तथा एक विषेश प्रकार की आवाज करना है । इस रोग के फैलने में आहार की कमी, परजीवियो का प्रकोप, विटामिन ए की कमी तथा कुक्कुटषालाओ में नमी अधिक होना सहायक होते है । रेागी मुर्गियो का एन्टीवायेाटिक तथा विटामिन्स द्वारा उपचार षुरू कर देना चाहिए । आहार में हरी सब्जियो या बरसीम का प्रयोग कराये । रोग नियन्त्रण हेतु अण्डो की सफाई जर विषेश ध्यान दे क्योकि बीमारी अण्डो के द्वारा खून में फैलती है ।

8,खूनी दस्त लगना (कोक्सीडियोसिस) –

यह बीमारी प्रोटोजोवा कीटाणुओ द्वारा उत्पन्न होती है यह बीमारी कम आयु के चूजो में अक्सर होती है इस रोग के लक्षण जैसे पक्षी की बीट के साथ खून का आना खून मिले दस्त होना, कलंगी का सूखा पड जाना पक्षियो का उधना, भूख में कमी, अण्डा देने में कमी, पक्षियो का कमजोर हो जाना, यदि रोग की चिकित्सा षीघ्र न की जाये तो मष्त्यु दर मे वषद्धि हो जाना, बीमारी के उपचार के लिए पक्षियो को पानी के साथ सल्फा दवा 5 दिन तक दी जानी चाहिए । रोग नियंत्रण के लिए मुर्गी बाउी को सूखा

रखा जाये तथा बिछावन को पलटते रहना चाहिए या उसमें चूना छिडक दें । मुर्गी बाडो में षुद्ध हवा कीउचित व्यवस्था करें । बचाव हेतु 15 दिन की आयु पर चूजो को किसी भी काक्सीडिया पर प्रभावी दवा का कोर्स तीन दिन तक दें पुनः एक माह की आयु पर यह कोर्स दुबारा दें । इसके बाद दो तीन माह तक प्रत्येक माह देते रहें ।

9.एस्केरियासिस–

यह रोग गोल कषमि के कारण होता है तो आंतों में पाई जाती है यह गोल तथा लम्बे होते है जो कि आंतों में गुच्छे बना लेते है इनके कारण पिक्षयों के षरीर के भार में कमी,अण्डा देने की क्षमता गिर जाना,पक्षी सुस्त व कमजोर हो जाते है इसके बचाव व उपचार के लिए कषमिनाषक दवापान प्रतिमाह कराया जाना चाहिए ।

10. शरीर पर लगने वाले बाह्य परजीवी–

चिचडी,जूं,पिस्सू मुर्गी के षरीर के ऊपर पाये जाते है । यह मुर्गी बाडों के दरारों में भी रहते है जहां से रात में निकल कर मुर्गी पर आक्रमण कर देते है यह उनका खून चूसते है जिस कारण चूजो में मृत्यु भी हो जाती है । निन्त्रयण के लिए बाडों का सारा कूडा करकट जला दें,नियमित रूप से बाडों में कीटनाषक दवा का प्रयोग करें । जिन मुर्गियों पर कीडे दिखाई दें उन पर भी कीटनाषक दवा का छिडकाव करायें ।

बर्ड फ्लू निगरानी एंव नियंत्रण कार्य योजना 2006

दिनाक 10–04–2006 को विकास भवन रोशनावाद,हरिद्वार के सभागार में एक दिवसीय वर्ड फ्लू कार्य शाला का आयोजन किया गया जिसकी अध्यक्षता मा0उपाध्यक्ष बीस सुत्रीय का र्यक्रम द्वारा कि गयी एकदिवसीय प्रशिाक्षण कार्य शाला में मा0विधायक रूड़की मुख्य अतिथि, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी हरिद्वार,परियोजना अधिकारी,श्री दिलीप चन्द आर्य जी ,जिला विकास अधिकारी श्री राणा जी,जिला बचत अधिकारी श्री आर0सी बहुगुणा,उप प्रभागी य वन अधिकारी रूड़की हरिद्वार वन प्रभाग सहायक अभियन्ता लद्युसिचॉई,परि योजना अधिकारी डुडा,अपर जिला शिक्षाअधिकारी (वेसिक),जिला पूर्ति अधिकारी हरिद्वार,अधिषासी अभियन्ता जलनिगम,अधिषासी अभियन्ता विद्युत,जिला कार्यक्रम अधिकारी हरिद्वार,ए0एम0ए0जेड0पी0हरिद्वार,प्रतिनिधि जिला षिक्षाअधिकारी,हरिद्वार,समस्त पषुचिकित्साधिकारी,पषुधन प्रसार अधिकारी पशुधन साथी/पैरावेट आदि द्वारा भाग लिया गया ।

1–प्रातः10.00 बजे से10.30 तक समस्त आगन्तुको की उपस्थिति दर्ज करायी गयी तथा पंजीकरण किया गया ।

2– प्रातः10.30 से 11.00 तक समस्त माननीय अतिथियो का स्वागत सत्कार किया गया ।

3– प्रातः 11.00 बजे से 12.30 तक मुख्य पषुचिकित्साधिकारी माननीय अध्यक्ष,माननीय विधायक द्वारा भारत सरकार/उत्तराचंल सरकार द्वारा उक्त रोग के सम्बन्ध में दिये गये दिषा निर्देषो की जानकारी एंव रेाग की रोकथाम हेतु कि ये जाने वाले प्रयासो की जानकारी दी गयी। जिसमें सभी अधिकारियो/कर्मचारियों द्वारा अपने पूर्ण सहभागिता निभाने का अष्वासन दिया गया।

4– 12.30 से 1.00 तक विकास खण्ड स्तर पर का र्य योजना तै यार कर उच्च अधिकारि यों द्वारा दिये गये दिषा निर्देषो पर विचार विमर्ष किया गया तथा भावी योजना हेतु का र्य योजना बना यी गयी ।

5– 1.00से 2.00 तक विचार कि या ग या कि उपस्थित सभी अधिकारी/कर्मचारी अपने क्षेत्र के अर्न्तगत कुक्कुट फार्म/इकाई का प्रतिदिन निरिक्षण कर उनकी समस्यो का समाधान करेगें। किसी भी प्रकार से कुक्कुट मृत्यु की सूचना मुख्य पषुचिकित्साधिकारी हरिद्वार को अभिलम्ब प्रेषित करेगें।
6– 2.00 बजे से 2.30 तक भोजन अवकाश ।

7— 2.30 बजे से 4.00 बजे तक प्रषिक्षण में आये सभी अधिकारी/कर्मचारी की 4 टीमें गठित की गयी है । तथा उन्हे निर्देशित कि या गया कि अपने क्षेत्र के अर्न्तगत कुक्कुट पालको द्वारा पाले जा रहे फार्म/कुक्कुट संख्या/टान्सपोटर/कीपर्स की पुर्ण सूचना तैयार कर मुख्य पशुचिकित्साधिकारी को उपलब्ध करायेगें। एवियन एन्फ्लुएन्जा (वर्डफ्लु) को दृष्टिगत रखते हुए किसी भी प्रकार से होने वाले मृत्यु को जाचॅ के उपरान्त उसे विभागी य रेागनिदान प्र योगशाला ऋषिकेष के माध्यम से गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि विश्व विधालय पन्त नगर को भिजवाने की सूचना तत्काल दी जाये ।

उपरोक्त कार्य में लगये गये अधिकारी/कर्मचारियेा से आग्रह किया गया कि वे उक्त कार्य हेतु अपने संन्साधनो /उपकारणो तथा अन्य सामग्री का आकलन कर एक दूसरे को अवगत करा दे जिससे उनका उपयोग आवशयकता अनुसार अन्यत्र किया जा सके । आर0आर0टी0 मे लगाये गये कर्मचारी यदि उपकरण/सामग्री की कमी अनुभव करते है तो तत्काल मुख्य पषुचिकित्साधिकारी हरिद्वार विकास भवन रोषनावाद हरिद्वार को सुचित करदे । इसी के साथ प्रषिक्षण कार्य के द्वारा अनुरोध किया गया कि वर्डफ्लु जैसे रेाग की रोकथाम एंव बचाव में सहयोग प्रदान करने हेतु आभार व्यक्त कि या ग या ।

एस0सी0पी0 योजान्तर्गत चूजा वितरण/जनपद का नाम–हरिद्वार वर्ष –2016.17

योजना का नाम–जिला योजना अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति

क0 सं0	लाभार्थी का नाम/	पिता/पति का नाम	गांव का नाम	विकास खण्ड का नाम
1	श्री बबलू	श्री लाल सिंह	लखनौता	नारसन
2	श्री रामनाथ	श्री भगवाना	लखनौता	नारसन
3	श्री जसवीर	श्री इलमचन्द	लखनौता	नारसन
4	श्री ओमपाल	श्री इमरत	लखनौता	नारसन
5	श्री यशपाल	श्री जाहारू	लखनौता	नारसन
6	श्री महावीर	श्री कालू	लखनौता	नारसन
7	श्री रविन्द्र	श्री जगतसिंह	लखनौता	नारसन
8	श्री ताहर	श्री हरपाल सिंह	लखनौता	नारसन
9	श्री गुण्डु	श्री महकार	मखदमपुर	नारसन
10	श्री मनोज	श्री मदन	मखदमपुर	नारसन
11	श्री नीटू	श्री धर्मपाल	शेरपुर	नारसन
12	श्री नाथीराम	श्री धर्मपाल	शेरपुर	नारसन
13	श्री धर्मपाल	श्री मन्सा	शेरपुर	नारसन
14	श्री चन्द्रपाल	श्री सोमा	शेरपुर	नारसन
15	श्री सिद्धान्त	श्री रविन्द्र	शेरपुर	नारसन
16	श्री जुम्मन	श्री सुग्गन सिंह	शेरपुर	नारसन
17	श्री प्यारा	श्री रामसुख	शेरपुर	नारसन
18	श्री नितिन	श्री सुरेशचन्द	शेरपुर	नारसन
19	श्री सुभम	श्री बरेसपाल	शेरपुर	नारसन
20	श्री पूरणचन्द	श्री कालराम	शेरपुर	नारसन
21	श्री रविन्द्र टिकोला	श्री जगतसिंह	शेरपुर	नारसन
22	श्री बुजपाल	स्व0 श्री हरदेवा	झवरेडी कला	नारसन
23	श्री नान्नु	स्व0 श्री पन्नीलाल	झवरेडी कला	नारसन
24	श्री मनकुमार	स्व0 श्री बाटूराम	बुडपुर	नारसन
25	श्री उप्रेश	स्व0 श्री रमेश	बुडपुर	नारसन
26	श्री कालू	स्व0 श्री आशाराम	भगतो वाली	नारसन
27	श्री बबलू	स्व0 श्री हरेदेवा	बुडपुर	नारसन
28	श्री प्रवेश कुमार	स्व0 श्री बिरम सिंह	झवरेडा	नारसन
29	श्री मुकेश कुमार	स्व0 बिरम सिंह	झवरेडा	नारसन
30	श्रीमती रामों देवी	पत्नी स्व0श्री विरम सिंह	झवरेडा	नारसन
31	श्रीमती रामों देवी	पत्नी स्व0श्री विजेन्द्र सिंह	झवरेडा	नारसन
32	श्री महेन्द्र सिंह	लटूर सिंह	बसवाखेडी	नारसन
33	पाल्ला	सन्ता	कसवााखेडी	नारसन
34	विनोद	मनकल	कसवााखेडी	नारसन
35	इमरत	–	कसवााखेडी	नारसन
36	राजू	सोम्भा	झवरेडी कला	नारसन
37	संजय	अतर	झवरेडी कला	नारसन
38	राम	श्याम सिंह	झवरेडी कला	नारसन
39	शाशिकान्त	धमवीर	भगतो वाली	नारसन
40	रोबिन	राजपाल	भगतो वाली	नारसन
41	दीपक	जानेश्वर	झवरेडा	नारसन

42	भोला	चन्दू	झवरेडा	नारसन
43	लक्ष्मी	महेन्द्रराणा	झवरेडा	नारसन
44	सुभाष	रमेषचन्द्र	भगतोवाली	नारसन
45	सुधीर	मदन सिंह	झवरेडा	नारसन
46	रोशन लाल	सतपाल	झवरेडा	नारसन
47	सुलीश	भोला	झवरेडा	नारसन
48	प्रदीप	महकसिंह	झवरेडा	नारसन
49	प्रीति	राजू	झवरेडा	नारसन
50	अनिल	सुभाष	झवरेडा	नारसन
51	राज्जो	तीतू	झवरेडा	नारसन
52	रमेश	बकतावर	गडराजुडडा	नारसन
53	सोमपाल	बकतावर	गडराजुडडा	नारसन
54	श्याम लाल	आशा	झवरेडा	नारसन
55	राजपाल	नत्थु सिंह	भगतोवाली	नारसन
56	सुभाष	नत्थी राम	भगतोवाली	नारसन
57	जोगेन्द्र	जगपाल	बुडपुर	नारसन
58	अन्द्रज	बसू	बुडपुर	नारसन
59	रोशन	सतपाल	बुडपुर	नारसन
60	सुधीर	मदन	बुडपुर	नारसन
61	सित्तू	रामदिया	बुडपुर	नारसन
62	रमेश	सुषराम	बुडपुर	नारसन
63	सोनू	छोटा	बुडपुर	नारसन
64	कल्लू	सिताराम	झबरेडा	नारसन
65	सुशील	भगवान	बुडपुर	नारसन
66	राहुल	अमन कुमार	बुडपुर	नारसन
67	सवीस	तोता राम	कोतवाल	नारसन
68	अरव	विरम	झबरेडा	नारसन
69	शिकता	राकेश	झबरेडा	नारसन
70	रेखा	रवि	झबरेडा	नारसन
71	राजेन्द्र	लिला चन्द	भगतोवाली	नारसन
72	पप्पू	हुकम	झबरेडा	नारसन
73	सुलोचना	महक सिंह	झबरेडा	नारसन
74	संजय	जग्गन	झबरेडा	नारसन
75	भेवी	जग्गन	झबरेडा	नारसन
76	महेन्द्र	शीतल	झबरेडा	नारसन
77	मुकेश	बिरम	झबरेडा	नारसन
78	सित्तू	विक्की	झबरेडा	नारसन
79	सुनील	भोला	झबरेडा	नारसन
80	सुरेशो	भोला	झबरेडा	नारसन
81	रिन्कू	भोला	झबरेडा	नारसन
82	सुदीप	जग्गन	झबरेडा	नारसन
83	श्री मन्नू	श्री शंकर सिह	जमालपुर	बहादराबाद
84	श्री रामपाल सिंह	श्री नन्दा सिंह	जमालपुर	बहादराबाद
85	श्री अशोक कुमार	श्री लाल सिंह	जमालपुर	बहादराबाद
86	श्री नाथीराम	श्री बुच्चा	जमालपुर	बहादराबाद
87	श्री ओमप्रकाश	श्रीराजकुमार	जमालपुर	बहादराबाद
88	श्री राजकुमार	श्री कुशाल सिंह	जमालपुर	बहादराबाद

89	श्री ललित	श्री चन्द्र किरण	जमालपुर	बहादराबाद
90	श्री मदन	श्री गोपाल	जमालपुर	बहादराबाद
91	श्री जयपाल	श्री मुकन्दा	जमालपुर	बहादराबाद
92	श्री सन्तर	श्री पाली	जमालपुर	बहादराबाद
93	श्री प्रदीप	श्री जगपाल	जमालपुर	बहादराबाद
94	श्री रविन्द्र	श्री रामभज	जमालपुर	बहादराबाद
95	श्री बुग्ली	श्री स्व0 रामभज	जमालपुर	बहादराबाद
96	श्री सुरेश	श्री हरचन्द	जमालपुर	बहादराबाद
97	श्री नरेश	श्री चिमना	जमालपुर	बहादराबाद
98	श्री सतवीर	श्री महेन्द्र	जमालपुर	बहादराबाद
99	श्री शशिकुमार	श्री चिमन	जमालपुर	बहादराबाद
100	श्री सतीश	श्री हरचन्द	जमालपुर	बहादराबाद
101	श्री रूपचन्द	श्री गोपाल	जमालपुर	बहादराबाद
102	श्रीनाथीराम	श्री वेदप्रकाश	जमालपुर कला	बहादराबाद
103	श्री मुरली	श्री असगर	जमालपुर	बहादराबाद
104	श्रीरविन्द्र	श्री रामभज	जमालपुर कला	बहादराबाद
105	श्री नाथीराम	श्री बुच्चा	जमालपुर कला	बहादराबाद
106	श्री चन्द्रकिरण	श्री रामभज	जमालपुर कला	बहादराबाद
107	श्री बबलू	श्री पल्टूराम	जमालपुर कला	बहादराबाद
108	श्री सुशील	श्री कृष्णपाल	जमालपुर कला	बहादराबाद
109	श्री ललित	श्री चन्द्र किरण	जमालपुर कला	बहादराबाद
110	श्री मोनू	श्री लाल सिंह	जमालपुर कला	बहादराबाद
111	श्री पप्पू पुत्र	श्री रामपाल	जमालपुर	बहादराबाद
112	श्री कुण्णपाल	श्री कल्लू	जमालपुर	बहादराबाद
113	श्री ओमप्रकाश	श्री सुखीलाल	जमालपुर	बहादराबाद
114	श्री राधा	श्री रामनाथ	जमालपुर	बहादराबाद
115	श्री प्रमोद	श्री बेदप्रकाश	जमालपुर	बहादराबाद
116	श्री सुरेश	श्री सूरता	जमालपुर	बहादराबाद
117	श्री अनिल	श्री मवासी	जमालपुर	बहादराबाद
118	श्री सतीश	श्री अहलराम	जमालपुर	बहादराबाद
119	श्री जयपाल	श्री मुरल	जमालपुर	बहादराबाद
120	श्री अलवास	श्री मुमताल	जमालपुर	बहादराबाद
121	श्री डीम्पल	श्री नाथी	जमालपुर	बहादराबाद
122	श्री सुरेश	श्री रामचन्द्र	जमालपुर	बहादराबाद
123	श्री भूरा	श्री प्रेमचन्द्र	जमालपुर	बहादराबाद
124	श्री वेदपाल	श्री सीमर	किशनपुर	बहादराबाद
125	श्री रामकुमार	श्री वेदपाल	किशनपुर	बहादराबाद
126	श्री समेरू	श्री सन्लर	किशनपुर	बहादराबाद
127	श्री ममराज	श्री समेरू	किशनपुर	बहादराबाद
128	श्री जुगल	श्री रतिराम	किशनपुर	बहादराबाद
129	श्री सोहनलाल	श्री चौहल कुमार	किशनपुर	बहादराबाद
130	श्री सतीश	श्री हरपाल सिंह	किशनपुर	बहादराबाद
131	श्री आनन्द	श्री हरिसिंह	किशनपुर	बहादराबाद
132	श्री मुहासी	श्री समेरू	किशनपुर	बहादराबाद
133	श्री राजकुमार	श्री रोतिफ	किशनपुर	बहादराबाद
134	श्री पालू	श्री रामसिंह	किशनपुर	बहादराबाद

135	श्री श्याम	श्री देवी सिंह	किशनपुर	बहादराबाद
136	श्री श्याम लाल	श्री अतर	किशनपुर	बहादराबाद
137	श्री रोहताश	श्री छतर	किशनपुर	बहादराबाद
138	श्री दीपचन्द	श्री रूहला	किशनपुर	बहादराबाद
139	श्री शिवकुमार	श्री दीपचन्द	किशनपुर	बहादराबाद
140	श्री मुल्की	श्री रूहला	किशनपुर	बहादराबाद
141	श्री जयपाल	श्री हरफूल	किशनपुर	बहादराबाद
142	श्री अमित	श्री खूबचन्द	किशनपुर	बहादराबाद
143	श्री तेजपाल	श्री मंगत	किशनपुर	बहादराबाद
144	श्री सदासिंह	श्री मैरसहि	दिनारपुर	बहादराबाद
145	श्री राजकुमार	श्री हीरालाल	दिनारपुर	बहादराबाद
146	श्री प्रमोद	श्री रल्लू	दिनारपुर	बहादराबाद
147	श्री रामपाल सिंह	श्री लीला	दिनारपुर	बहादराबाद
148	श्री कजल	श्री अतर	दिनारपुर	बहादराबाद
149	श्री पवन कुमार	श्री चवली	दिनारपुर	बहादराबाद
150	श्री सुरेश	श्री अलवीर	दिनारपुर	बहादराबाद
151	श्री अर्जन	श्री बाबूराम	दिनारपुर	बहादराबाद
152	श्री विनोद कुमार	श्री रपली	दिनारपुर	बहादराबाद
153	श्री राकेश	श्री रधुवीर	दिनारपुर	बहादराबाद
154	श्री नैनसिंह	श्री बनवारी	दिनारपुर	बहादराबाद
155	श्री नवीन	श्री महेन्द्र	दिनारपुर	बहादराबाद
156	श्री महावीर	श्री बलवीर	दिनारपुर	बहादराबाद
157	श्री भेनपुरी	श्री महेन्द्र	दिनारपुर	बहादराबाद
158	श्री मगद	श्री रफीद	दिनारपुर	बहादराबाद
159	श्री जोगिन्द्र	श्री भंवर	दिनारपुर	बहादराबाद
160	श्री सचिन	श्री जगदीश	दिनारपुर	बहादराबाद
161	श्री बलदेव	श्री पल्टूराम	दिनारपुर	बहादराबाद
162	श्री जगदीश	श्री पल्टूराम	दिनारपुर	बहादराबाद
163	श्री सरोज	श्री श्रीपाल	डालूवाला	बहादराबाद
164	श्री आकाश	श्री वेदपाल	डालूवाला	बहादराबाद
165	श्री राहुल	श्री ऋषिपाल	डालूवाला	बहादराबाद
166	श्री सोनी	श्री गोपाल	डालूवाला	बहादराबाद
167	श्री विकास	श्री लाखन	डालूवाला	बहादराबाद
168	श्री रमेश	श्री रामस्वरूप	डालूवाला	बहादराबाद
169	श्री तेजपाल	श्री रामस्वरूप	डालूवाला	बहादराबाद
170	श्री ईसम	श्री रोघा	डालूवाला	बहादराबाद
171	श्री सुभम	श्री वीर सिंह	डालूवाला	बहादराबाद
172	श्री बल्लू	श्री किशन	डालूवाला	बहादराबाद
173	श्री प्रवीन	श्री हेयल	डालूवाला	बहादराबाद
174	श्री अर्जन	श्री रफलीक	डालूवाला	बहादराबाद
175	श्री अरिवन्द		डालूवाला	बहादराबाद
176	श्री सपना	श्री ललित कुमार	डालूवाला	बहादराबाद
177	श्री सूरज	श्री हुकम सिंह	डालूवाला	बहादराबाद
178	श्री सुरेश	श्री रधुवीर	डालूवाला	बहादराबाद
179	श्री तेजराम	श्री जगराम	डालूवाला	बहादराबाद
180	श्री राजकुमार	श्री हितन	डालूवाला	बहादराबाद

181	श्री हरीश	श्री रधुवीर	डालूवाला	बहादराबाद
182	श्री नितिन	श्री भानीपुर	डालूवाला	बहादराबाद
183	श्री गौरव	श्री रामश्री	डालूवाला	बहादराबाद
184	श्री सूरज	श्री रामलाल	डालूवाला	बहादराबाद
185	श्री भुवन	श्री मंगसूर	डालूवाला	बहादराबाद
186	श्री बलाराम	श्री खेमचन्द	डालूवाला	बहादराबाद
187	श्री सूर्य प्रकाश	श्री फूल सिंह	डालूवाला	बहादराबाद
188	श्री धर्मेन्द्र	श्री सूकड सिंह	चमरावल	बहादराबाद
189	श्री भूपेन्द्र	श्री रणतेज	चमरावल	बहादराबाद
190	श्री राजेन्द्र	श्री भरत	चमरावल	बहादराबाद
191	श्री छोटा	श्री रतिराम	चमरावल	बहादराबाद
192	श्री बल्लू	श्री रामपाल	चमरावल	बहादराबाद
193	श्री रमेश	श्री हसीराम	चमरावल	बहादराबाद
194	श्री सुकरमसिंह	श्री कन्हैया सिंह	बोंगला	बहादराबाद
195	श्री श्याम	श्री रतन सिंह	बोंगला	बहादराबाद
196	श्री प्रताप	श्री शोभत सिंह	बोंगला	बहादराबाद
197	श्री संजय	श्री शोभा राम	बोंगला	बहादराबाद
198	श्री विनाद	श्री रतन सिंह	बोंगला	बहादराबाद
199	श्री सुरेश	श्री रधुवीर	बोंगला	बहादराबाद
200	श्री राजू	श्री हरनन्द	बोंगला	बहादराबाद
201	श्री मुन्ना	श्री रोडा सिंह	अलावलपुर	बहादराबाद
202	श्री वीर	श्री जासन सिंह	अलावलपुर	बहादराबाद
203	श्री अनिल	श्री वीर सिंह	अलावलपुर	बहादराबाद
204	श्री भोल सिंह	श्री नैदरा	अलावलपुर	बहादराबाद
205	श्री अंकुश	श्री भरत सिंह	अलावलपुर	बहादराबाद
206	श्री कुलदीप सिंह	श्री पप्पू	अलावलपुर	बहादराबाद
207	श्री यशपाल	श्री मुल्कीराज	अलावलपुर	बहादराबाद
208	श्री गजा सिंह	श्री मख्खन सिंह	अलावलपुर	बहादराबाद
209	श्री प्रमोद	श्री शीशराम	अलावलपुर	बहादराबाद
210	श्री सलेख	श्री आशाराम	अलावलपुर	बहादराबाद
211	श्री सुवलता	श्री बलदेव	अलावलपुर	बहादराबाद
212	श्री बीर कुमार	श्री बलदेव	अलावलपुर	बहादराबाद
213	श्री अजैन	श्री मेधराज	अलावलपुर	बहादराबाद
214	श्री किशोर	श्री बलवंत	अलावलपुर	बहादराबाद
215	श्री अमेध	श्री वेदपाल	अलावलपुर	बहादराबाद
216	श्री सोम	श्री जियाराज	अलावलपुर	बहादराबाद
217	श्री मोनू	श्री हसुरपाल	अलावलपुर	बहादराबाद
218	श्री ललित	श्री पाला सिंह	अलावलपुर	बहादराबाद
219	श्री जयपाल	श्री जीराज	अलावलपुर	बहादराबाद
220	श्री बिन्दू	श्री सोमपाल	अलावलपुर	बहादराबाद
221	श्री कालथी	श्री सिमरू	अलावलपुर	बहादराबाद
222	श्री कनकपाल	श्री भंवरलाल	अलावलपुर	बहादराबाद
223	श्री मांगेराम	श्री ओमप्रकाश	अलावलपुर	बहादराबाद
224	श्री रामकुमार	श्री वेदपाल	अलावलपुर	बहादराबाद
225	श्री समेरू	श्री सल्फर	अलावलपुर	बहादराबाद
226	श्री ममराज	श्री समेरू	अलावलपुर	बहादराबाद
227	श्री सोहनलाल	श्री लीला सिंह	अलावलपुर	बहादराबाद

228	श्री सतीश	श्रीहरपाल सिंह	अलावलपुर	बहादराबाद
229	श्री विकास	श्री वीर सिं	मेहवडकला	रूडकी
230	श्री श्रवण	श्री दयाराम	मेहवडकला	रूडकी
231	श्री राहुल	श्री पूर्ण सिंह	मेहवडकला	रूडकी
232	श्री मोनू	श्री शाभाराम	मेहवडकला	रूडकी
233	श्री प्रमोद	श्री पदम सिं	मेहवडकला	रूडकी
234	श्री कुलदीप	श्री शंकर सिंह	मेहवडकला	रूडकी
235	श्री राकेश	श्री चतपाल	मेहवडकला	रूडकी
236	श्री सतीस	श्री सतपाल	मेहवडकला	रूडकी
237	श्री मोनू	श्री मागेराम	मेहवडकला	रूडकी
238	श्री किरण	श्री धर्मपाल	मेहवडकला	रूडकी
239	श्री प्रवीन	श्री रामपाल	मेहवडकला	रूडकी
240	श्री फकीर	श्री बससीत	मेहवडकला	रूडकी
241	श्री प्रदीप	श्री बससीत	मेहवडकला	रूडकी
242	श्री अमसिंह	श्री रामलाल	मेहवडकला	रूडकी
243	श्री अतर सिंह	श्री केवडलाल	मेहवडकला	रूडकी
244	श्री रामू	श्री रामजीवन	मेहवडकला	रूडकी
245	श्री रण्वीर	श्री बुंद	केल्लनपुर	रूडकी
246	श्री विक्की	श्री नरेश	केल्लनपुर	रूडकी
247	श्री धर्मसिंह	श्री नन्दू	केल्लनपुर	रूडकी
248	श्री असगर	श्री हुसन शह	केल्लनपुर	रूडकी
249	श्री अगवेद	श्री अतिशेर	केल्लनपुर	रूडकी
250	श्री नन्नू	श्री अमर सिंह	केल्लनपुर	रूडकी
251	श्री रविन्द्र	श्री रामसिंह	मेक्डकला	रूडकी
252	श्री अजित	श्री मागेराम	मेक्डकला	रूडकी
253	श्री रमश	श्री रहतराम	भगेही	रूडकी
254	श्री मुकेश	श्री रामसिंह	भगेही	रूडकी
255	श्री पल्टूराम	श्री रामदिया	भगेही	रूडकी
256	श्री नरेश	श्री राजकुमार	भगेही	रूडकी
257	श्री सतपाल	श्री रामचन्द	भगेही	रूडकी
258	श्री रामू	श्री रामचन्द	भगेही	रूडकी
259	श्री नेम सिंह	श्री भोपाल सिंह	प्रलादपुर	खानपुर
260	श्री राजेन्द्र सिंह	श्री बलजीत सिंह	प्रलादपुर	खानपुर
261	श्री सतीश	श्री बलजीत सिंह	प्रलादपुर	खानपुर
262	श्री सुधपाल	श्री सरोज सिंह	प्रलादपुर	खानपुर
263	श्री ईशवर पाल	श्री पल्टू सिंह	प्रलादपुर	खानपुर
264	श्री राज सिंह	श्री नत्था	प्रलादपुर	खानपुर
265	श्री शिवकुमार	श्री सौनू (कुन्दन)सिंह	प्रलादपुर	खानपुर
266	श्री सुन्दर पाल	श्री पल्टू	प्रलादपुर	खानपुर
267	श्री कुशलपाल	श्री मणि सिंह	प्रलादपुर	खानपुर
268	श्री मदन सिंह	श्रीमती लाली	प्रलादपुर	खानपुर
269	श्री प्रदीप कुमार	श्री भोपाल सिंह	प्रलादपुर	खानपुर
270	श्री सैनू	श्री चरण सिंह	प्रलादपुर	खानपुर
271	श्री योगेश	श्री हकला	प्रलादपुर	खानपुर
272	श्री सुशील	श्री महेन्द्र	प्रलादपुर	खानपुर
273	श्री अशोक	श्री पाला	प्रलादपुर	खानपुर

274	श्री राम कुमार	श्री नकली	खानपुर	खानपुर
275	श्री विनोद कुमार	श्री बाबाराम	खानपुर	खानपुर
276	श्री बलिया	श्री मंगल सिंह	पडौवाला	खानपुर
277	श्री विजेन्द्र सिंह	श्री भरता	गिद्धावाला	खानपुर
278	श्रीमती रीता	श्री रोजेन्द्र	गिद्धावाला	खानपुर
279	श्री नीटू	श्री रामदास	गिद्धावाला	खानपुर
280	श्री सुभाष	श्री नत्थू	गिद्धावाला	खानपुर
281	श्री नेम सिंह	श्री भोपाल सिंह	प्रलादपुर	खानपुर
282	री राजेन्द्र सिंह	श्री बलजीत सिंह	प्रलादपुर	खानपुर
283	श्री सतीश	श्री बलजीत सिंह	प्रलादपुर	खानपुर
284	श्री सुधपाल	श्री सरोज सिंह	प्रलादपुर	खानपुर
285	श्री ईशवर पाल	श्री पल्टू सिंह	प्रलादपुर	खानपुर
286	श्री राज सिंह	श्री नत्था	प्रलादपुर	खानपुर
287	श्री शिवकुमार	श्री सौनू (कुन्दन)सिंह	प्रलादपुर	खानपुर
288	श्री सुन्दर पाल	श्री पल्टू	प्रलादपुर	खानपुर
289	श्री कुशलपाल	श्री मणि सिंह	प्रलादपुर	खानपुर
290	श्री मदन सिंह	श्रीमती लाली	प्रलादपुर	खानपुर
291	श्री प्रदीप कुमार	श्री भोपाल सिंह	प्रलादपुर	खानपुर
292	श्री सैनू	श्री चरण सिंह	प्रलादपुर	खानपुर
293	श्री योगेश	श्री हकला	प्रलादपुर	खानपुर
294	श्री सुशील	श्री महेन्द्र	प्रलादपुर	खानपुर
295	श्री विजेन्द्र	श्री भरता	गिद्दावाली	खानपुर
296	श्री नीटू	श्री रामदास	गिद्दावाली	खानपुर
297	श्री सुभाष	श्री नत्थु	गिद्दावाली	खानपुर
298	श्री कर्णपाल	श्री सव0 फक्कर	माथूखेडी	मगंलोर
299	श्री आशाराम	श्री जाहरू	माथूखेडी	मगंलोर
300	श्री बलराम	श्री निहाला	माथूखेडी	मगंलोर
301	श्री जनेश्वर	श्री जय सिंह	माथूखेडी	मगंलोर
302	श्री महक सिंह	श्री इलम सिंह	माथूखेडी	मगंलोर
303	श्री राजेन्द्र सिंह	श्री पल्टू	माथूखेडी	मगंलोर
304	श्री जौनी	श्री बलराम	माथूखेडी	मगंलोर
305	श्री संजय	श्री किरण पाल	लिब्बरहेडी	मगंलोर
306	श्री अमित	श्री बाबू	लिब्बरहेडी	मगंलोर
307	श्री पुष्वेन्द्र	श्री शीशराम	लिब्बरहेडी	मगंलोर
308	श्री नेता	–	लिब्बरहेडी	मगंलोर
309	श्री आजाद	श्री महेन्द्र	लिब्बरहेडी	मगंलोर
310	श्री विकास	श्री आनन्द	लिब्बरहेडी	मगंलोर
311	श्री मुन्ना	श्री मांगेराम	लिब्बरहेडी	मगंलोर
312	श्री राजपाल	श्री फललू सिंह	लिब्बरहेडी	मगंलोर
313	श्री बब्लू	श्री खटल	लिब्बरहेडी	मगंलोर
314	श्री पवन	श्री नेत्रपाल	लिब्बरहेडी	मगंलोर
315	श्री मोनू	श्री श्याम लाल	लिब्बरहेडी	मगंलोर
316	श्री ललित	श्री बब्लू	लिब्बरहेडी	मगंलोर
317	श्री राजू	–	लिब्बरहेडी	मगंलोर
318	श्री छोटा	–	लिब्बरहेडी	मगंलोर
319	श्री सुनील	श्री राजू	लिब्बरहेडी	मगंलोर

13.5 नागरिक अधिकार
पशुपालन विभाग

पशुपालन विभाग की पृथक रूप से स्थापना वर्श 1944 में की गई । इससे पूर्व सिविल वेटरीनरी डिपार्टमेन्ट एवं कृशि विभाग द्वारा ही पशुपालन संबंधी कार्य सम्पादित किये जाते थे । उस समय पषुपालन विभाग मुख्यतः पषुरोग नियंत्रण एवं अष्व प्रजनन का कार्य करता था । बाद में पशु पालन विभाग के पृथक रूप से स्थापना होने पर सर्वांगीण विकास करने हेतु पषुचिकित्सा एवं रोग नियंत्रण के साथ–साथ पषुधन विकास प्रजनन एवं चारा विकास आदि कार्यक्रम भी आरम्भ किये गये । वर्तमान में पशुपालन विभाग ग्राम्य विकास से सम्बन्धित एक महत्वपूर्ण विभाग है, जो किसानो के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान हेतु संकल्पित है ।

विभाग द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमो एवं योजनाओ का उद्देशय :–

1. समन्वित पषु स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमो द्वारा पशुधन को स्वस्थ रखना तथा उसकी पूर्ण क्षमता का उपयोग ।
2. विभागीय एवं वैज्ञानिक नीतियो से विभिनन पशुधन की प्रजनन व उत्पादन क्षमता में बढोत्तरी तथा स्वदेषी पशुधन प्रजातियो का संरक्षण एवं संवर्धन करना ।
3. पषुधन हेतु पर्याप्त चारा एवं पोशण की व्यवस्था करना, तथा उन्नत पशु प्रबन्ध विधियों का प्रचार–प्रसार करना ।
4. ग्रामीण क्षेत्रो के पशु पालको का गॉवो में ही स्वरोजगार के अवसर प्रदान कर उनका सामाजिक एवं आर्थिक उन्नयन तथा उद्यमिता विकास, और उसमें व्यवसायिक विविधीकरण हेतु चेतना जागर्षति करना ।
5. गो नस्ल, गोवंशीय पशुओ की अवैध तस्करी/परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण रखना ।
6. प्रदेष में विभिन्न पषुधन उत्पादो की क्षमता में वृद्धि कर दूध, ऊन, अण्डा व मॉस आदि का उत्पादन बढाना तथा पषुपालको को उनके उत्पादो का समुचित मूल्य उपलब्ध कराना ।

पशुपालको एवुं ग्रामीणो के प्रति विभाग की प्रतिबद्धता :–

पशुपालन विभाग द्वारा किसानो के समग्र सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान हेतु निम्न सेवायें उपलब्ध कराई जा रही है –

1. पशुचिकित्सा एवं रोगो के रोकथाम हेतु निरन्तर सेवाये 16 पषुचिकित्सालयो,15 पषुसेवा केन्द्रो व 02 ''द'' श्रेणी औशधालयो के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है । जनपद के प्रत्येक विकास खण्ड में पषुचिकित्सालय तथा पषुसेवा केन्द्र उपलब्ध है ।
2. विभिनन पषु बीमारियो के नियंत्रण हेतु सघन टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है । गलाघोटू, बी0क्यू0, खुरपका–मुॅहपका,रोग, एफ0पी0, आर0डी0 का टीकाकरण सम्पादित किया जाता है, साथ ही पशुमेला तथा हाटों में पशुओं का संक्रामक रोगो से बचाव हेतु टीका करना अनिवार्य किया जा रहा है ।
3. पशुओ में उत्पन्न होने वाली बीमारियो के निदान हेतु रोगो की जॉच/पैथोलोजी की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है ।
4. पशुओ में खुरपंका–मुॅहपका बीमारी पर प्रभावी नियंत्रण प्राप्त करने हेतु पशुपालक को भारत सरकार की 75 प्रतिशत सहायता से टीकाकरण की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है ।
5. रिन्डर पेस्ट घातक बीमारी प्रदेश में समाप्त हो चुकी है, परन्तु इस बीमारी का पुनः प्रकोप न होने के उद्देष्य से निरन्तर सीरोसर्वेलेन्स एवं मॉनिटरिंग किया जा रहा है ।
6. निदेशालय स्थित डिजीज सर्वेलेन्स एवं मानिटरिंग सेल द्वारा प्रदेश में पशुओ की 10 प्रमुख बीमारी तथा अन्य प्रचलित बीमारियों पर नियंत्रण प्राप्त करने के उद्देश्य से रोग सर्वेलेन्स का कार्य निस्पादित किया जा रहा है ।
7. वर्तमान समय में बाझपन पशुओ उर्वरकता में ह्रास की जटिल समस्या हो रही है । जिसके निवारण हेतु विषेश बाझंपन निवारण शिविर लगाकर पषुपालको को सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है ।
8. पशुधन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत प्रमुख रूप से गायो एवं भैंसो में प्रजनन कार्य अतिहिमिकृत वीर्य द्वारा किया जा रहा है । प्रजनन कार्यक्रम को सुदृढ करने हेतु उत्तरॉचल पशुधन विकास परिषद् का गठन किया गया है । जिसके माध्यम से गाय, भैंस प्रजनन कार्यक्रम की निरन्तरता के लिए विषेश सुविधा कराई जा रही है ।

9. प्रजनन आच्छादन को 23.00 प्रतिशत से बढाकर 30 प्रतिशत किये जाने का प्रयास किया जा रहा है । आगामी वर्शो हेतु पषु प्रजनन नीति बनाई गई है । ऊपर वर्णित विभागीय संस्थाओ के माध्यम से कृत्रिम गर्भाधान की सुविधाए उपलब्ध कराई जा रही है । कृषको के द्वार पर कृत्रिम गर्भाधान की सेवाओं को उपलब्ध कराने हेतु स्वरोजगार सृजन कर पैरावेट की व्यवस्था की गई है
10. प्रदेश में गोवध पर प्रतिबन्ध लगाने हेतु गोवध निवारण अधिनियम अंगीकृत कर लागू कराया जा रहा है ।
11. पंजीकृत गोशलाओं का विस्तार एवं सुदृढीकरण तथा स्वदेशी पशुओ के संरक्षण के लिए गोषालाओ को प्रोत्साहन दिया जा रहा है ।
12. हरे चारे की व्यवस्था में बायोमास, प्रमाणित चार बीज उत्पादन, मिनीकिटों द्वारा चार प्रदर्षन तथा सिल्वीपाष्चर विकास पर बल देतें उन्नतषील चारा बीज के मिनीकिटों का वितरण किया जा रहा है ।
13. बेरोजगारे को रोजगार प्रदानप करने हेतु स्वर्ण जयन्ती स्वरोजगार एवं अन्य सम्बन्धित योजनाओ के माध्यम से प्रदेष के युवक युवतियो को लाभान्वित करने के लिए मिनी डेयरी, बकरी, सूकर तथा कुक्कुट इकाई की स्थापना कराई जा रही है । साथ ही विभाग द्वारा उनके लिए उक्त हेतु विषेश प्रषिक्षण कार्यक्रम संचालित किये जा रहे है
14. प्रदेश के नागरिको को आरोग्यदायी एवं स्वच्छ मांस उपलब्ध कराने हेतु वधशालाओ पर विभाग द्वारा गुणवत्ता मांस उत्पादन सुनिशिचित कराने की व्यवस्था की जा रही है ।

(मैनुअल–14)

किसी इलैक्ट्रानिक रूप में सूचना के सम्बन्ध मे ब्यौरे जो उसको उपलब्ध हो या उसके द्वारा धारित हो ।

विषय सूची

क0सं0	विवरण	संख्या
14.1	किसी इलैक्ट्रानिक रूप में सूचना के संबंध मे ब्यौरे जो उसको उपलब्ध हो या उसके द्वारा धारित हो ।	102–104

14.1 विभागीय ई0मेल आई0डी संबंधी

1.	किसी इलैक्ट्रानिक रूप में उपलब्ध सूचना के संबंध में ब्यौरे	कार्यालय मुख्य पशुचिकित्साधिकारी ,हरिद्वार का मैनुअल कम्प्युटर में सुरक्षित है व सी0डी0 व हार्ड कापी मे रखा गया

मुख्य पशु चिकित्साधिकारी ,हरिद्वार

क0स0	संगठन का नाम	सूचना का विवरण
1–	इलेक्ट्रोनिक रूप में सूचना के सम्बन्ध में ब्यौरें,	इलेक्ट्रोनिक के रूप में अधिकार अधिनियम 2005धारा 4(1) के अन्तर्गत निम्न सूचना के ब्यौरे है ,जो उस में उपलब्ध होगी । 1,सगठन की विशिष्ठिया कष्त्य और कर्तव्य 2,अधिकारियों एंव कर्मचारियो की शक्तिया व कर्तव्य । 3,विनिश्चिय करने की प्रकिया में पालन की जाने वाली प्रकिया एवं पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्य । 4–कर्तव्यों के निर्वहन के लिए स्थापित मानक । 5–दस्तावेजो का विवरण जों नियंत्रणधीन है। 6–व्यवस्था की विशिष्ठियां बोंर्डो ,परिषदो का विवरण । 7–अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निर्देशिका । 8–प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक 9–सभी योजनाओं ,प्रस्तावित व्ययों और किये गये समवितरणो पर रिपोर्ट की विशिष्टियां । 10–सहायक कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति एवं फायदाग्राहियों के ब्यौरे 11–अनुदत्त /रियायंतो के प्राप्त कर्ताओ की विशिष्टियां 12–लोक सूचनाधिकारियों के नाम 13–कर्तव्यो के निवहान के लिए प्रयोग मे लिए गये नियम विनियम निर्देशिका तथा विशेष जानकारी लोक सूचनाधिकारी ,सहायक लोक सूचनाधिकारी के पास मैनुअलो मे धारित रहेंगी ,जिसके ब्यौरे मैनुअल भाग–2/5,1,2,3,4, में उपलब्ध रहेगी।

पशु पालन विभाग के लोक सूचनाधिकारियों की सूची एवं वैबसाइट/ई0 मेल

क0स0	लोक सूचना अधिकारियों के पते	लोक सूचना अधिकारियों की वैवसाइट/ई0मेल0
1,	सचिव ,पशुधन एंव सहकारिता उत्तराखण्ड शासन	secy_avus@ua.nic.in
2,	पशुपालन एंव डेयरी उत्तराखण्ड शासन	vd_panai121@rediffmail.com
3,	निदेशक, पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड	dirahuk@gmail.com
4	अपर निदेशक,पशुपालन विभाग गढवाल मण्डल पौडी ।	adahgarhwal@gmail.com
5	अपर निदेशक, पशु पालन विभाग नैनीताल	adahkumaun@gmail.com
6	केन्द्रीय भेड एंव उन अ0 के0पशुलोक	ddahpasulok@yahoo.com
7	संघन भेड़ विकास प्रायोजना पौडी	----------
8	संघन पशु विकास प्रायोजना हल्दानी	----------
9	प्रभारी,विदेशी पशु प्रजनन प्रक्षेत्र भरारीसैण	--------
10	प्रभारी अधिकारी ,विदेशी भेड प्रजनन प्रक्षेत्र , मक्कु/रूद्रप्रयाग	--------
11	प्रयोजना अधिकारी ,डी0एफ0एस0श्रीनगर गढवाल	---------

12	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी ,पौडी	drlokesh1963@gmail.com
13	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी ,देहरादून	drsrawat@gmail.com
14	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी ,हरिद्वार	cvohardwar@gmail.com
15	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी ,टिहरी	cvo_teh_ua@nic.in
16	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी ,रूद्रप्रयाग	cvo_rpg@redifmail.com
17	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी ,चमोली	singhalneeraj7083@gmail.com
18	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी ,उत्तरकाशी	cvouttrakashi@yahoo.com
19	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी ,अल्मोडा	cvoalm@gmail.com
20	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी ,नैनीताल	karnatakbc@gmail.com
21	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी ,उद्यम सिह नगर	cvousn@gmai.com
22	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी ,चम्पावत	drpshankar@redifmail.com
23	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी ,बागेश्वर	cvobgr@gmail.com
24	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी ,पिथोड़ागढ	drtribhuwan@yahoo.com
25	उत्तराचंल लाईबस्टाक डबलपमेंट बोर्ड	www.uldb..org ceo_uldb@redifmail.com
26	उत्तराचंल शीप एण्ड वूल डवपलपमेट बोर्ड	ceo.uswdb@yahoo.com
27	प्रभारी अधिकारी ,शशक प्रक्षेत्र,चम्पावत	----
28	प्रभारी अधिकारी ,कुक्कुट रोग निधान प्रयोगशाला ,कोटद्वार	-----
30	प्रभारी अधिकारी ,कुक्कुट अल्मोडा	-----

मैनुअल–15

सूचना अभिप्राप्त करने के लिये नागरिको को उपलब्ध सुविधाओं कि विशिष्टियां जिनके अंतर्गत पुस्तकालय या वाचन कक्ष की यदि लोक उपयोग के लिये व्यवस्था की गयी हो,तो उसका भी विवरण

विषय सूची

क्रम सं0	विवरण	पृष्ठ सं0
15.1	सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिको को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियां पुस्तकालय, वाचनालय कक्ष की सुविधा	105–106

15.1 सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिको को उपलब्ध सुविधाओ की विशिष्टियॉ

1,	सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधा एंव विशिष्टियां	1,सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (1) के अन्तर्गत पशुपालन विभाग में निम्न सुविधा उपलब्ध की गयी है। अ,निदेशालय स्तर पर निदेशक पशुपालन लोक सुचना अधिकारी द्वारा ब,) मण्डल स्तर पर अपर निदेशक ,लोक सूचना अधिकारी । स,) जिला स्तर पर मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, लोक सूचना अधिकारी द,)ब्लाक स्तर पर सहायक लोक सूचना अधिकारी पशु चिकित्साधिकारी । थ,) ग्राम स्तर पर सहायक लोक सूचना अधिकारी पशुधन प्रसार अधिकारी । सभी लोक सूचना एंव सहायक लोक सूचना अधिकारियों के पास (अ,ब,स,) सूचना उपलब्ध कराने के लिए 16 मैनुअल उपलब्ध होगें तथा सूचना लेने के लिए रसीद बही भी उपलब्ध होगी । 2, सूचना प्राप्त करने के लिए जिला स्तर पर मुख्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है । 3,पशुपालन विभाग की समस्त सूचनायें N.I.C.dh वैवसाईट www.ua.nic.in पर भी उपलब्ध होगी ।
2,	सूचना प्राप्त करने की सुविधा	कार्यालय के कार्य दिवस में प्रातः 10:बजे से सायः5 बजे के मध्य सूचना प्राप्तकर्ता मैनुअलों की हस्तपुस्तिका का अवलोकन करके नियमानुसार सूचना प्राप्त कर सकता है।

मैनुअल–16

मुख्य पशुचिकित्साधिकारी के अन्तर्गत सूचना/लोक सूचना अधिकारियों का विवरण

विषय सूची

क्रम सं0	विवरण	पृष्ठ संख्या
16.1	मुख्य पशुचिकित्साधिकारी के अन्तर्गत सूचना/सहायक लोक सूचना अधिकारियों का विवरण	107–111

16.1 पशु पालन विभाग के क्रियान्वयन से सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारियों तथा विभागीय अपील अधिकारियों का विवरण–

क	कार्यालय	लोकसूचना अधिकारी		विभागीयअपील अधिकारी		
		कार्यालय का पूर्ण पता	टेलीफोन/ ई0मेल नम्बर	पदनाम	कार्यालय का पूर्ण पता	टेली0नं0/ई0मेल
1,	उत्तराखण्ड शासन	पशुपालन,उत्तराखण्ड शासन देहरादून	0135–2712810	सचिव	पशुपालन,उत्तराचंल शासन देहरादून	0135–2711718
2,	निदेशक	कार्यालय निदेशक,पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड देहरादून	0135–2665200 diahuk@gmail.com	सचिव	पशुपालन,उत्तराचंल शासन देहरादून	0135–2711718
3,	अपर निदेशक,गढवाल मण्डल	कार्यालय अपर निदेशक ,पशुपालन विभाग गढवाल मण्डल पौडी	01368–222480	निदेशक	कार्यालय **निदेशक,पशुपालन** विभाग उत्तराखण्ड देहरादून	0135–2532909
4,	अपर निदेशक,कुमॉऊ मण्डल	कार्यालय उप निदेशक पशुपालनविभाग कुमॉऊ मण्डल	05942–236204	निदेशक	कार्यालय **निदेशक,पशुपालन** विभाग उत्तराखण्ड देहरादून	0135–2665200
5,	परियोजना निदेशक, भेड़ पशुलोक	कार्यालय परियोजना निदेशक, पशु पालन विभाग केन्द्रीय भेड़ एंव ऊन अनुसंधान सस्थान पशुलोक देहरादून	0135–2453398	निदेशक	कार्यालय **निदेशक,पशुपालन** विभाग उत्तराखण्ड देहरादून	0135–2532909
6,	प्रायोजना निदेशक ,बष्हद भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र ,मक्कु /रूद्रप्रयाग	कार्यालय–प्रायोजना निदेशक ,बष्हद भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र ,मक्कु /रूद्रप्रयाग		निदेशक	कार्यालय **निदेशक,पशुपालन** विभाग उत्तराखण्ड देहरादून	01372–252266 01372–252267
7	प्रभारी अधिकारी,विदेशी पशु प्रजनन प्रक्षेत्र ,भरारीसैण चमोली	कार्यालय–प्रभारी अधिकारी,विदेशी पशु प्रजनन प्रक्षेत्र ,भरारीसैण चमोली		निदेशक	कार्यालय **निदेशक,पशुपालन** विभाग उत्तराखण्ड देहरादून	01372–252266 01372–252267
8	प्रभारी अधिकारी ,अगोंरा शशक प्रक्षेत्र,चम्पावत	कार्यालय–प्रभारी अधिकारी ,अगोंरा शशक प्रक्षेत्र,चम्पावत		निदेशक	कार्यालय **निदेशक,पशुपालन** विभाग उत्तराखण्ड देहरादून	01372–252266 01372–252267
9	प्रभारी अधिकारी,कुक्कुट रोग निदान प्रयोगशाला ,कोटद्वार पौडी गढवाल	कार्यालय–प्रभारी अधिकारी, कुक्कुट रोग निदान प्रयोगशाला ,कोटद्वार पौडी गढवाल		निदेशक	कार्यालय **निदेशक,पशुपालन** विभाग उत्तराखण्ड देहरादून	01372–252266 01372–252267

10	प्रभारी अधिकारी,कुक्कुट रोग निदान प्रयोगशाला ,हल्द्वानी नैनीताल	प्रभारी अधिकारी,कुक्कुट रोग निदान प्रयोगशाला ,हल्द्वानी नैनीताल		निदेशक	कार्यालय **निदेशक,पशुपालन** विभाग उत्तराखण्ड देहरादून	01372–252266 01372–252267

11	उप निदेशक ,सघन भेड़ विकास प्रायोजना ,पौडी	कार्यालय–उप निदेशक ,सघन भेड़ विकास प्रायोजना ,पौडी	01368–222489	निदेशक	कार्यालय **निदेशक,पशुपालन** विभाग उत्तराखण्ड देहरादून	01372–252266 01372–252267
12	उप निदेशक संघन पशु विकास प्रायेाजना ,हल्द्वानी	कार्यालय–उप निदेशक संघन पशु विकास प्रायेाजना ,हल्द्वानी	05946–222035	निदेशक	कार्यालय **निदेशक,पशुपालन** विभाग उत्तराखण्ड देहरादून	01372–252266 01372–252267
13	रोग निदान अधिकारी ,(भेंड)	कार्यालय–रोग निदान अधिकारी, (भेंड)श्रीनगर पौडी गढवाल	–	निदेशक	कार्यालय **निदेशक,पशुपालन** विभाग उत्तराखण्ड देहरादून	01372–252266 01372–252267
14	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी ,हरिद्वार	कार्यालय–मुख्य पशु चिकित्साधिकारी ,हरिद्वार	01334–239978	अपर निदेशक ,गढवाल मण्डल	कार्यालय– अपर निदेशक ,गढवाल मण्डल पौडी	01368–222480
15	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी ,देहरादून	कार्यालय–मुख्य पशु चिकित्साधिकारी ,विकास भवन सर्बे चौक देहरादून	0135–2712891 0135–2712572	अपर निदेशक ,गढवाल मण्डल	कार्यालय– अपर निदेशक ,गढवाल मण्डल पौडी	01368–222480
16	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, पौडी	कार्यालय–मुख्य पशु चिकित्साधिकारी,पौडी	01368–223084	अपर निदेशक ,गढवाल मण्डल	कार्यालय– अपर निदेशक ,गढवाल मण्डल पौडी	01368–222480
17	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, रूद्रप्रयाग	कार्यालय–मुख्य पशु चिकित्साधिकारी,रूद्रप्रयाग	01364–233251	अपर निदेशक ,गढवाल मण्डल	कार्यालय– अपर निदेशक ,गढवाल मण्डल पौडी	01368–222480
18	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, चमोली	कार्यालय–मुख्य पशु चिकित्साधिकारी,चमोली	01372252273	अपर निदेशक ,गढवाल मण्डल	कार्यालय– अपर निदेशक ,गढवाल मण्डल पौडी	01368–222480
19	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी ,टिहरी	कार्यालय–मुख्य पशु चिकित्साधिकारी,टिहरी	01378–227296	अपर निदेशक ,गढवाल मण्डल	कार्यालय– अपर निदेशक ,गढवाल मण्डल पौडी	01368–222480
20	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी	कार्यालय–मुख्य पशु चिकित्साधिकारी,	01374–222320	अपर निदेशक ,गढवाल	कार्यालय– अपर निदेशक ,गढवाल मण्डल	01368–222480

		उत्तरकाशी		मण्डल	पौड़ी	
21	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी,नैनीताल	कार्यालय–मुख्य पशु चिकित्साधिकारी,विकास भवन भीमताल नैनीताल	05942–248367	अपर निदेशक ,कुमांयु मण्डल	कार्यालय– अपर निदेशक ,कुमायु मण्डल नैनीताल	05942–236204
22	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, उद्यम सिह नगर	कार्यालय–मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, उद्यम सिह नगर	05944–242787	अपर निदेशक ,कुमांयु मण्डल	कार्यालय– अपर निदेशक ,कुमायु मण्डल नैनीताल	05942–236204
23	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, अल्मोड़ा	कार्यालय–मुख्य पशु चिकित्साधिकारी,अल्मोड़ा	05962–232289 05962–232290	अपर निदेशक ,कुमांयु मण्डल	कार्यालय– अपर निदेशक ,कुमायु मण्डल नैनीताल	05942–236204
24	प्रभारी अधिकारी ,कुक्कुट	मुख्य तकनिकी अधिकारी ,अल्मोड़ा	05962–232289 05962–232290	अपर निदेशक ,कुमांयु मण्डल	कार्यालय– अपर निदेशक ,कुमायु मण्डल नैनीताल	05942–236204
25	मुख्य पशुचिकित्साधिकारी,बागेश्वर	कार्यालय–मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, बागेश्वर	05963–220041	अपर निदेशक ,कुमांयु मण्डल	कार्यालय– अपर निदेशक ,कुमायु मण्डल नैनीताल	05942–236204
26	मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, चम्पावत	कार्यालय–मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, चम्पावत	05965–230843	अपर निदेशक ,कुमांयु मण्डल	कार्यालय– अपर निदेशक ,कुमायु मण्डल नैनीताल	05942–236204
27	मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, पिथोडागढ	कार्यालय–मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, पिथोडागढ	05964–225319	अपर निदेशक ,कुमांयु मण्डल	कार्यालय– अपर निदेशक ,कुमायु मण्डल नैनीताल	05942–236204

सब डिवीजन /तहसील /विकास खण्ड /अन्य स्तर पर सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 5 (2) के अन्तर्गत सहायक लोक सूचना अधिकारियों का विवरण –
(शासन/निदेशालय के लिए)

विभाग का नाम :– पशु पालन विभाग ,उत्तराखण्ड ,

जनपद हरिद्वार ।

क्रमांक	सहायक लोक सूचना अधिकारी		
	पद नाम	**कार्यालय का पूर्ण पता**	**टेलीफोन /ई0मेल**
1,	पशु चिकित्साधिकारी	कार्यालय–पशु चिकित्साधिकारी,हरिद्वार	01334–226826
2	पशु चिकित्साधिकारी	कार्यालय–पशु चिकि0 अ0 बहादरावाद	9412634383
3	पशु चिकित्साधिकारी	कार्यालय–पशु चिकित्साधिकारी,बेलडी	9456713730
4	पशु चिकित्साधिकारी	कार्यालय–पशुचिकित्साधिकारी, तेलीवाला	9837109111
5	पशु चिकित्साधिकारी	कार्यालय–पशु चिकित्साधिकारी रूडकी	9411171492
6	पशु चिकित्साधिकारी	कार्यालय–पशु चिकित्साधिकारी ,रायसी	–
7	पशु चिकित्साधिकारी	कार्यालय–पशु चिकित्साधिकारी ,लक्सर	8006578368
8	पशु चिकित्साधिकारी	कार्यालय–पशुचिकित्साधिकारी ,खानपुर	8859002108
9	पशु चिकित्साधिकारी	कार्यालय–पशुचिकित्साधिकारी गोर्वद्वनपुर	9756138779
10	पशु चिकित्साधिकारी	कार्यालय–पशुचिकित्साधिकारी , नारसन	9412639420
11	पशु चिकित्साधिकारी	कार्यालय–पशुचिकित्साधिकारी ,लण्डोरा	9456564864
12	पशु चिकित्साधिकारी	कार्यालय–पशुचिकित्साधिकारी ,मंगलोर	9410302041
13	पशु चिकित्साधिकारी	कार्यालय–पशुचिकित्साधिकारी भगवानपुर	9412966149
14	पशु चिकित्साधिकारी	कार्यालय–पशुचिकित्साधिकारी सिकरौडा	9412940668
15	पशु चिकित्साधिकारी	कार्यालय–पशुचिकित्साधिकारी ,झवरैडा	9639990510
16	पशु चिकित्साधिकारी	कार्यालय–पशुचिकित्साधिकारी लालढांग	8449484923

(मैनुअल–17)

अन्य उपयोगी जानकारियां

विषय सूची

क्रम सं0	विवरण	पृष्ठ संख्या
17.1	पशुपालन विभाग द्वारा सम्पादित की गई वर्ष 2007 की पशुगणना	112–117

7.1 पशुपालन विभाग द्वारा सम्पादित की गई वर्ष 2012 की पशुगणना

जनपद हरिद्वार में गोवंशीय (देशी) पशु

जाति एंव वर्ग	पशुओं की संख्या वर्ष 2012 की पशुगणना के आधार पर
2 वर्ष से ऊपर नर	13907
3 वर्ष से ऊपर मादा	24545
2 वर्ष से कम नर तथा 3 वर्ष से कम मादा	21692
योग	60144

जनपद हरिद्वार में गोवंशीय (क्रासब्रीड) पशु

जाति एंव वर्ग	पशुओं की संख्या वर्ष 2012 की पशुगणना के आधार पर
1.5 वर्ष से ऊपर नर	2970
2.5 वर्ष से ऊपर मादा	49616
1.5 वर्ष से कम नर तथा 2.5 वर्ष से कम मादा	39790
योग	92376

जनपद हरिद्वार में महिसवंशीय पशु

जाति एंव वर्ग	पशुओं की संख्या वर्ष 2012 की पशुगणना के आधार पर
2 वर्ष से ऊपर नर	15634
3 वर्ष से ऊपर मादा	120578
2 वर्ष से कम नर तथा 3 वर्ष से कम मादा	100993
योग	237205

जनपद हरिद्वार– भेंड़ और बकरियां

जाति एंव वर्ग	पशुओं की संख्या वर्ष 2012 की पशुगणना के आधार पर
भेड़	5956
बकरियां	24398

जनपद हरिद्वार ,घोड़े /टट्टू और सूकर

जाति एंव वर्ग	पशुओं की संख्या वर्ष 2012 की पशुगणना के आधार पर
घोडे/टट्टू	1926
सूकर	9205

जनपद हरिद्वार ,कुल पशुधन

पशुधन वर्ग	पशुओं की संख्या वर्ष 2012 की पशुगणना के आधार पर
कुल पशुधन	444329

जनपद हरिद्वार ,कुक्कुट

जाति एंव वर्ग	पशुओं की संख्या वर्ष 2012 की पशुगणना के आधार पर
मुर्गे /मुर्गिया /चूजे	46390
अन्य पालतू पक्षी	4864
कुल कुक्कुट	51254
खरगोश	780
कुत्ते	12608